खण्ड-152, अंक-1
सोमवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1876
(21 मार्च, 1955 ई0)

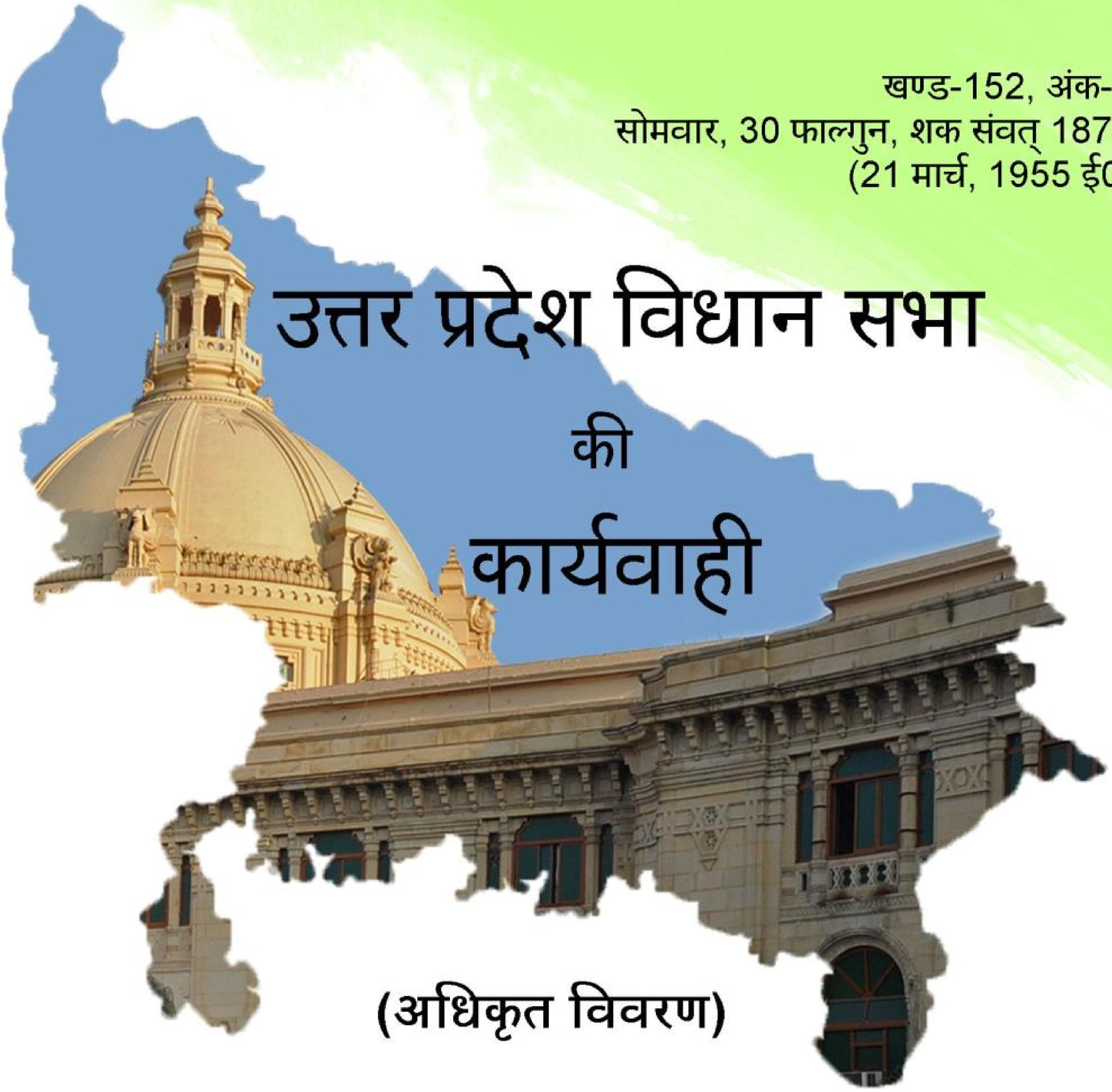

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 152 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २१ मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में, ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३४)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिलमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह, राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री

बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खेरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामभूति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
राम सुन्दर राम, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
राम स्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री

रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामा चरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २१ मार्च, १९५५ ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में भयंकर ओला-वर्षा से फसल को हानि

**१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की ४ तहसीलों में कुछ समय पूर्व की भयंकर ओला-वर्षा से फसल की भीषण हानि हुयी है ?

माल उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी हां। आजमगढ़ में हाल में ओला-वर्षा हुई और उससे प्रभावित क्षेत्र की फसल को काफी हानि पहुंची ।

**२—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह हानि कितने गांवों में और कितनी हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ओलों से आजमगढ़ जिले के कुल ४९१ गांव प्रभावित हुये, जिनमें हानि की मात्रा निम्नलिखित है :—

ग्रामों की संख्या	हानि की मात्रा
१९९	रुपये में ६ आना से कम
२९२	रुपये में ८ आना से १६ आना तक

**३—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि उसकी ओर से क्या सहायता हेतु कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पीड़ित लोगों की सहायतार्थ निम्नलिखित कार्यवाही की गयी :—

(१) १०,००० रु० अहेतुक सहायता के लिये दिया गया ।

(२) १ लाख रु० विपत्तिकालीन तकावी वितरित करने के लिये स्वीकृत किया गया ।

(३) जिन क्षेत्रों में हानि की मात्रा, आठ आने या उससे अधिक है वहां खरीफ की अब तक न वसूल की गयी मालगुजारी तथा तकावी की वसूली स्थगित की जा रही है। रबी की मालगुजारी में नियमानुसार छूट दी ही जायगी। आगे और जितनी आवश्यकता होगी, सहायता दी जायगी ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय राजस्व मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह ४९१ गांव जो इससे प्रभावित हुए बताये गये हैं वह किन किन तहसीलों में कितने-कितने गांव प्रभावित हुए हैं, और जो सहायता दी जा रही है वह किस तहसील में कितनी सहायता दी जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह करीब करीब ४ तहसीलों के गांव ऐसे हैं जिनको यह सहायता दी जा रही है सदर, सगड़ी, महमूदाबाद और घोसी तहसीलों को अलग-अलग तहसील के कितने गांवों को कितनी रकम दी जायगी यह मेरे पास नहीं है । यह कुल रकम जिले के लिये है वही मेरे पास है और वह बतला दी गयी है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि हानि की मात्रा को देखते हुए जिन २९२ गांवों में ८ आना से १६ आने तक हानि हुई है वहां खरीफ की शेष मालगुजारी और तकावी सरकार माफ करने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह बतला दिया गया है कि तकावी और मालगुजारी की वसूली मुल्तवी कर दी गयी है। फिर आगे देखा जायगा कि यदि ऐसी परिस्थिति हुई तो क्या किया जाय, किन्तु आशा है कि आगे फसल अच्छी होगी।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या एक लाख रुपया जो दिया गया है वहां की आवश्यकता को देखते हुये सरकार इस रुपये को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह बतला दिया गया है कि अगर आवश्यक होगा तो और दिया जायगा। एक लाख रुपया तो यह है और आगे मांग हुयी तो और भी रुपया तकावी के लिये दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि ६ आना और ८ आना जिन गांवों को नुकसान हुआ है इसकी जांच किन अधिकारियों के द्वारा करायी गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माल विभाग के अधिकारियों के द्वारा ही जांच होती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जिन गांवों में ८ से १६ आना तक नुकसान है उनमें लगातार ३ सालों से बाढ़ अथवा सूखा पड़ रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, अक्सर गांव वही हैं जिनमें पहले भी केलेमिटीज आ चुकी हैं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनके पास इस किस्म की सूचना आयी है कि घोसी के जिन ४० गांवों में नुकसान हुआ है उन गांवों के लोग बढ़गांव प्राइमरी स्कूल पर इकट्ठे हुये कि उन्हें कोई सहायता दी जायगी, लेकिन उनको कोई सहायता नहीं दी गयी ?

श्री अध्यक्ष—यह ब्योरे का सवाल है, अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों में इतनी विस्तृत सूचना की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जो भी सहायता इन गांवों को दी जाय वह सीधे इन गांवों को ही दी जाय न कि १०–२० गांवों को मिलाकर ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कोशिश यही की जायगी कि सहायता सीधी पहुंचे। जितनी सहायता दी जा सकती है उतनी ही दी जा सकेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि १० हजार रुपये की सहायता और १ लाख रुपये की तकावी जो उनको दी गयी है वह अभी तक वितरित नहीं हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी सूचना नहीं है लेकिन आशा है कि काफी रुपया वितरित हो गया होगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन तहसीलों में बराबर तीन सालों से सूखा पड़ रहा है उनमें केवल इस वर्ष की मालगुजारी सरकार माफ कर देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी ऐसी कोई सूचना मौजूद नहीं है कि लगातार तीन सालों से सूखा पड़ रहा हो और ऐसी कोई चीज होगी तो विचार किया जा सकता है।

इलाहाबाद में खूनी होली

**४—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि इलाहाबाद में दिनांक १०—३—५५ को दो व्यक्ति होली खेलते समय जान से मारे गये और कुछ अन्य व्यक्ति सख्त घायल हुये ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटना का विवरण और मृत व्यक्तियों के नाम बताने की कृपा करेगी ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—जी हां। गत १० मार्च को सुबह मुहल्ला नखास कोना में एक सिख श्री सन्तोष सिंह के ऊपर लाल जी नामक १२ वर्ष के बालक ने रंग डाल दिया। इस पर श्री संतोष सिंह को गुस्सा आया और उन्होंने लड़के का पीछा किया। उन्होंने लड़के की गर्दन पर तलवार से प्रहार किया। इसके बाद मुहल्ले के लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। इस प्रयत्न में दो अन्य व्यक्तियों के चोटें आयीं। मुहल्ले वालों ने लाठियों से मारपीट करके श्री संतोष सिंह को पकड़ लिया। घायल लोग अस्पताल भेजे गये। वहां श्री संतोष सिंह तथा लाल जी बालक की उसी दिन मृत्यु हो गयी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन दो लोगों को चोटें आयी हैं उनके क्या नाम हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ज्यादा तफसील मेरे पास नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मोहल्ले के जिन लोगों ने संतोष सिंह को लाठी से मार दिया उनकी लिस्ट सरकार के पास है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस सम्बन्ध में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। तफतीश के बाद जिनको समझा जायगा उनके ऊपर मुकदमा चलाया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि संतोष सिंह ने जिस लड़के की हत्या की वह लड़का रंग डालने वाला लड़का नहीं था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जब मुकदमा चलेगा तभी पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके विरोध में नागरिकों की दूसरे दिन हड़ताल हुयी और वहां की जनता ने एक प्रस्ताव पास कर सरकार के पास भेजा है जिसमें प्रार्थना की गयी है कि ऐसे अवसर पर तलवार और कृपाण लेकर चलने पर सिखों पर रोक लगा दी जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—हड़ताल की कोई सूचना तो है नहीं और चूंकि वहां कोई इस प्रकार का साम्प्रदायिक रूप नहीं था, एक घटना थी इसलिये और बातों की कोई जरूरत नहीं महसूस होती।

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस स्थान पर यह झगड़ा हुआ उसी स्थान पर पुलिस आर्म्ड गार्ड और सिविल पुलिस का पहरा था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—साधारणतः पुलिस अपना पैट्रोल करती है और जिस स्थान पर यह झगड़ा हुआ उसी स्थान पर पुलिस मौजूद थी, ऐसी बात नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिये कोई ऐसा आदेश जारी किया जायगा कि किसी के ऊपर जबरन रंग न डाला जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत---ऐसी घटना साधारणतः तो नहीं होती। सूबे में इस तरह की एक घटना हुई और उसके लिय साधारण जनता पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय, इसको मैं कोई उचित नहीं समझता।

[१४ मार्च, १९५५, के स्थगित तारांकित प्रश्न]

* * *

ब्लाक नियोजन समिति, ऊखीमठ, द्वारा जानवरों के अस्पताल की मांग

*६---श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---क्या यह सही है कि ब्लाक नियोजन समिति, ऊखीमठ, ने वहां जानवरों के अस्पताल की मांग की है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है?

कृषि मंत्री (श्री. हुकुमसिंह)---जी नहीं।

तहसील चमोली, जिला गढ़वाल में गाय भैंस की नस्ल सुधार का प्रबन्ध

*७---श्री गंगाधर मैठाणी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील चमोली, जिला गढ़वाल, में गाय और भैंस की नसल सुधार के लिये सरकार ने कुछ प्रबन्ध किया है? यदि हां, तो क्या?

श्री हुकुमसिंह---गाय और भैंस की नस्ल सुधार के लिये सरकार ५०) रु० के नाम मात्र के मूल्य पर जनता को अच्छी नस्ल के सांड देती है और उन्नतिशील नस्लों के दुधारू जानवर खरीदने के लिये तकावी ऋण देती है।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ५० रु० की क़ीमत के चमोली तहसील, गढ़वाल, में कितने सांड़ अब तक दिये गये हैं?

श्री हुकुमसिंह---५० रु० के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन चमोली तहसील में २३ सांड़ दिये गये थे जिसमें १० बाक़ी हैं, और मर गये।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वे सांड़ कहां कहां किस किस स्थान पर दिये गये हैं?

श्री अध्यक्ष---अगर २३ जगह दिये गये हों तो मैं उनके नाम पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री हुकुमसिंह---जगह मैं नहीं बतला सकता हूं लेकिन मुख्तलिफ स्थानों में दिये गये हैं।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिला गढ़वाल में सांड़, गाय और भैंस की नस्ल सुधारने के लिये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने का वह विचार रखती है?

श्री हुकुमसिंह---अभी फिलहाल तो नहीं।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र की नस्ल सुधारने के लिये अच्छे किस्म के सांड़ व बछड़े पश्चिमी जिलों से मंगवाने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री हुकुमसिंह---पश्चिमी जिलों में वैसे ही कमी है। पशु-पालन केन्द्र ऋषिकेष क्षेत्र में खुला है, वहीं से उपलब्ध करके भेजे जायेंगे।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ४६ में पोस्टवार प्रोग्राम के अन्दर ऊखीमठ में जानवरों का एक अस्पताल खोलने का निर्णय हुआ था, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हुकुमसिंह—ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था। वहां स्टाकमैन सेंटर खोली है।

* * *

जूट उत्पादकों को तकावी देने का विचार

*११—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस राज्य में जूट उत्पादन के कितने केन्द्र हैं तथा उनका उत्पादन पिछले तीन वर्षों में कितना हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह—इस राज्य में जूट उत्पादन के ६५ केन्द्र हैं जो २५ जिलों में कार्य कर रहे हैं। उनका तीन वर्षों का उत्पादन इस प्रकार है :

	मन
१९५२-५३	६,०२,१२७
१९५३-५४	२,७२,०००
१९५४-५५	३,४१,५३०

अनुमानित है क्योंकि वर्ष ३० जून को समाप्त होता है।

*१२—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार जूट उत्पादकों को तकावी देने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह—जूट उत्पादकों को तकावी देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह देखते हुये कि जूट पानी में नहीं खराब होता है तो जो बाढ़ क्षेत्र हैं वहां पर जूट की फ़सल बढ़ाने के विचार से उत्पादकों को तकावी देने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह—प्रश्न सं० १२ के जवाब में कहा गया है कि तकावी देने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतायेगी कि जूट की खेती किस जिले में अधिक होती है ?

श्री हुकुमसिंह—तराई के जिलों में होती है जूट और जहां बाढ़ ज्यादा होती है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतायेगी कि केन डेवलपमेंट की तरह जूट बोर्ड के बनाने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं। इसकी जरूरत नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल—सरकार ने जूट के उत्पादकों को किस किस प्रकार की सहायता पिछले सालों में दी है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ११ व १२ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

श्री हुकुमसिंह—तालाब बनवा दिये हैं जिसमें उसे भिगोवें और उनको ढंग बताया कि किस तरह से उसका फाइबर निकालें। इस तरह की सहायता उनको दी जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जूट की जो खेती किसान करते हैं, उस जूट की बिक्री के लिये कोई प्रबन्ध सरकार की ओर से है ?

श्री हुकुमसिंह—बाजार में बिक रही है।

अल्मोड़ा जिले में भोट विकास योजना पर व्यय

*१३—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पशु पालन विभाग द्वारा क्या-क्या काम अब तक भोट विकास योजना के अन्तर्गत किये गये और वे काम कहां-कहां हुए ?

श्री हुकुमसिंह—भोट विकास योजना के नाम से कोई अलग योजना नहीं है। किन्तु पहाड़ी क्षेत्रों में भेंड़ पालन तथा पशु-पालन योजना के अन्तर्गत पशुपालन विभाग ने जो अल्मोड़ा जिले में अब तक काम किया है उसका विवरण संलग्न सूची में दिया है।

*१४—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस योजना में कितना रुपया व्यय हो चुका है और कितना रुपया और खर्च होगा ?

श्री हुकुमसिंह—कृपया संलग्न सूची देखिये।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७६ पर।)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह जो सूची दी गयी है उस के अन्तर्गत कोई वेटरनरी हास्पिटल खोलने की योजना है ?

श्री हुकुमसिंह—वेटरनरी हास्पिटल खोलने में जरा दिक्कत है और चूंकि अभी डाक्टरों की कमी है इस वजह से मथुरा वेटरनरी कालेज में बजाय ५० के सौ का एडमिशन करना शुरू किया गया है, जब पर्याप्त संख्या में डाक्टर मिलने लगेंगे तो यह दिक्कत कम हो जायगी।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—जब तक वहां डाक्टर नहीं हैं, क्या तबतक के लिये वहां स्टाकमैन दिये जायंगे ?

श्री हुकुमसिंह—इस पर विचार किया जायगा।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह भोट विकास योजना क्या है और कहां-कहां लागू है ?

श्री हुकुमसिंह—भोट विकास कोई अलग योजना नहीं है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार जबतक वेटरनरी डाक्टर्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं उस वक्त तक रिटायर्ड लोगों को हास्पिटल्स में रखने की कोशिश करेगी ?

श्री हुकुमसिंह—रिटायर्ड आदमियों से ठीक काम नहीं चलता।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—यह जो ७८ हजार और २ लाख ७८ हजार की रक़म बताई गई है वह किस योजना पर और कहां खर्च होगी ?

श्री हुकुमसिंह—वह विकास योजना में व्यय होगी, उस का डिटेल मेरे पास नहीं है।

* * *

आजमगढ़ में जिला पशु-सुधार अधिकारी की नियुक्ति

*२०—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला पशु-सुधार अधिकारी आजमगढ़ कब से मुअत्तल हैं और उनके स्थान पर कोई स्थायी अधिकारी अब तक क्यों नहीं भेजा गया?

श्री हुकुमसिंह—जिला पशु-सुधार अधिकारी, आजमगढ़ १० जुलाई, १९५४ से मुअत्तल किये गये हैं। उनके स्थान पर स्थायी रूप से श्री इब्राहीम अली खां को १६ दिसम्बर, सन् १९५४ से नियुक्त किया गया है।

श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि जिला पशु-सुधार अधिकारी, आजमगढ़ क्यों मुअत्तल हुये और उनके विरुद्ध क्या चार्जेज थे?

श्री हुकुमसिंह—सरकारी दवाओं का उन्होंने दुरुपयोग किया था।

आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज क्षेत्र में भेड़ पालन व्यवसाय का विकास

*२१—श्री विश्राम राय—क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज क्षेत्र में भेड़ पालन व्यवसाय का विकास किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार इस विकास में क्या सहायता पहुंचा रही है?

श्री हुकुमसिंह—जी हां। इस क्षेत्र में गड़रियों की मांग के मुताबिक बीकानेरी भेड़ें नस्ल सुधार के लिये दी गयी हैं।

[२१ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न]

महोबा, जिला हमीरपुर में शरणार्थियों के क्वार्टर्स का मासिक किराया

*१—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महोबा (जिला हमीरपुर) में कुछ क्वार्टर्स शरणार्थियों के लिये बनवाये गये हैं? यदि हां, तो कितने और उनकी लागत क्या है?

श्री हुकुमसिंह—जी हां। २० सी टाइप (एक कमरे वाले) क्वार्टर्स शरणार्थियों के लिये बनवाये गये हैं। इन पर जमीन को लेकर लगभग ५३,६०० रुपये व्यय हुआ है।

*२—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ये क्वार्टर्स कब बन कर तैयार हुये और प्रत्येक का मासिक किराया कितना है?

श्री हुकुमसिंह—ये क्वार्टर्स जून, सन् १९५४ में तैयार हो गये थे। प्रत्येक क्वार्टर का मासिक किराया १२ रुपये है।

*३—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनमें से कितने क्वार्टर में कितने शरणार्थी कब से रहने लगे हैं?

श्री हुकुमसिंह—अभी ये नहीं भरे हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये क्वार्टर्स प्रदेशीय सरकार द्वारा बनाये गये हैं या म्युनिसिपैलिटी द्वारा?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सही है कि कुछ शरणार्थियों ने सरकार को प्रार्थना-पत्र दिये हैं कि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुये क्वार्टर्स का किराया अधिक है और वह कम किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह—जरूर दिये हैं।

श्री जोरावर वर्मा—सरकार ने ऐसे प्रार्थनापत्र पर कोई विचार किया है या कोई विचार वह करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह—वह ऐसा प्रार्थना पत्र है जिस पर विचार करने की जरूरत नहीं है ?

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी को मालूम है कि कानपुर और लखनऊ में जहां बिजली और पानी की सुविधायें हैं वहां भी इन क्वार्टर्स से कम किराया लिया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री जोरावर वर्मा—इन क्वार्टर्स में जो अभी तक शरणार्थी नहीं आये हैं उसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह—पहले उन लोगों ने दरख्वास्त दी थी कि हम एकोनामिक रेन्ट पे करेंगे, हम उनको १२ रुपये पर देने को तैयार हैं लेकिन अब वह चाहते हैं कि केवल ५ रुपये पर ही दिये जायं, इसलिये वह खाली हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या यह क्वार्टर्स रिफ्यूजीज के अलावा अन्य नागरिकों को भी दिये जा सकेंगे ?

श्री हुकुमसिंह—रिफ्यूजीज का इंतजार करने के बाद इस पर सोचा जायगा।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सही है कि रिफ्यूजीज क्वार्टर्स का अधिक किराया होने के कारण वहां आबाद नहीं हो रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह—जो एकोनामिक रेन्ट रखा गया है वह ठीक है, अधिक नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि क्या यह सही है कि पी० डब्लू० डी० का स्टाफ अब भी इन क्वार्टर्स पर अधिकार किये हुये है और वे खाली नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह—अगर खाली नहीं हैं तब भी जो रिफ्यूजी आयेंगे उन को हम खाली कराके देंगे।

गोपेश्वर, जिला गढ़वाल में श्री रुद्रनाथ मन्दिर की जीर्ण अवस्था

*४—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार को विदित है कि गोपेश्वर (गढ़वाल) में श्री रुद्रनाथ जी का बहुत प्राचीन मन्दिर है ?

श्री हुकुमसिंह—जी हां।

*५—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि उपर्युक्त श्री रुद्रनाथ जी का मन्दिर जीर्ण अवस्था में है और उसके टूटने का खतरा है ?

श्री हुकुमसिंह—जी हां। सरकार को सूचना मिली है कि वर्तमान रावल के, जो एक वृद्ध पुरुष हैं और ठीक प्रबन्ध नहीं कर पा रहे हैं, प्रबन्ध में मन्दिर की अवस्था जीर्ण हो रही है।

*६—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार के पास मन्दिर के प्रबन्ध और अव्यवस्था के सम्बन्ध में कोई सूचना आई है? यदि हां, तो सरकार ने मन्दिर की व्यवस्था का क्या प्रबन्ध किया है या करने का विचार रखती है?

श्री हुकुमसिंह—जी हां। यह समस्या सरकार के विचाराधीन है कि इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिये।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री जी को मालूम है कि गोपेश्वर के मन्दिर में अब भी राजा जनमेंजय के समय के ताम्रपत्र और शिलालेख विद्यमान हैं?

श्री हुकुमसिंह—माननीय सदस्य कह रहे हैं तो जरूर होंगे।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय ने कोई ऐसी व्यवस्था अब तक की है कि इन मन्दिरों के प्राचीन महत्व का निरीक्षण कराया जाय?

श्री हुकुमसिंह—अभी तो सोचा जा रहा है कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाय और लीगल एडवाइस ले रहे हैं।

*७—९—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[१८ अप्रैल, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ५–७ के अन्तर्गत स्थानान्तिरित किये गये।]

*१०–११—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—[४ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

कल्दियानी, जिला टेहरी में ट्राउट मछली का उत्पादन

*१२—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फिशरीज विभाग द्वारा कोई हैचरी ट्राउट मछली के उत्पादन के लिये बनाई गई है?

श्री हुकुमसिंह—ट्राउट उत्पादन के लिये कलदियानी, जिला टेहरी में एक सरकारी हैचरी है।

*१३—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—यदि हां, तो क्या सरकार Experiment के रूप में पर्वतीय प्रदेश के किसी नाले में ट्राउट कलचर की योजना बनायेगी?

श्री हुकुमसिंह—ऐसे प्रयोग (Experiments) किये जा रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह जो एक्सपेरीमेंट किये जा रहे हैं वह अब तक किस नाले पर किये गए हैं?

श्री हुकुमसिंह—उस हेचरी के करीब ही नाला है, पहाड़ के नाम टेढ़े होते हैं इसलिये नाम तो मुझे याद नहीं हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि इस एक्सपेरीमेंट में कितनी कामयाबी रही?

श्री हुकुमसिंह—एक्सपेरीमेंट खत्म होने पर नतीजा बरामद हो सकता है। अभी बीच में कहना ठीक नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या मंत्री महोदय इस योजना को वन विभाग द्वारा कार्यान्वित कराने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह—जंगल के लोग मछली पालें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कल्दियानी ट्राउट हैचरी कब से शुरू हुई है?

श्री हुकुमसिंह—यह तो मर्जर के पहले से ही थी, बड़ी गिरीपड़ी और रद्दी हालत में सरकार को मिली है।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि हैंचरी में किस-किस किस्म की मछलियां पाली जा रही हैं और मर्जर के बाद से सरकार ने उस में क्या प्रगति की है ?

श्री हुकुमसिंह—मेरी इत्तिला है कि सिर्फ ट्राउट ही पाली जा रही हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि ट्राउट उत्पादन केन्द्र और कहां-कहां पर प्रदेश में हैं ?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

आजमगढ़ जिले के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में तकावी और अहेतुक सहायता

*१४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की किन-किन तहसीलों के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में तकावी और मुफ्त सहायता कितनी-कितनी दी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आजमगढ़ जिले के सूखा पीड़ित क्षेत्रों-में वितरित की गई संकट-कालीन तकावी तथा अहेतुक सहायता का विवरण इस प्रकार है :

नाम तहसील	संकटकालीन तकावी	अहेतुक सहायता
	रु०	रु०
१—घोसी	१३,८७०	१,५००
२—सगड़ी	३८,०००	१,५००
३—सदर	३,०००	५००
४—मुहम्मदाबाद	१४,०००	१,५००
५—लालगंज	२४,०००	१,५००
६—फूलपुर	८,०००	१,५००
योग . .	१,००,८७०	८,०००

*श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार के पास इस बात की शिकायत आयी है कि फूलपुर, सदर, मुहम्मदाबाद और लालगंज तहसीलों में सूखा अधिक पड़ा है और जो तकावीं और अहेतुक सहायता उनको दी गयी है वह बहुत कम है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि फूलपुर, लालगंज, मुहम्मदाबाद और सदर तहसील में जो तकावी और अहेतुक सहायता दी गयी है वह बहुत कम दी गई है और वहां के लोगों को इस सम्बन्ध में शिकायत है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—फिलहाल तो ऐसी कोई जांच की जरूरत नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो बात कर लें।

आजमगढ़ जिले में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के क्षेत्रों की फीस मुआफी

*१५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के हायर सेकेन्डरी स्कूलों में पढ़ने वाले सूखा एवं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के छात्रों की फीस-मुआफी के मद में कितनी सहायता दी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आजमगढ़ जिले के पीड़ित क्षेत्रों के हायर सेकेंड्री स्कूलों के छात्रों की फीस माफी की मद में २,३४५ रुपये की सहायता दी गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि वह कितने हायर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं, जिनमें २,३४५ रुपये की सहायता दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आंकड़े वगैरह तो हमारे पास इस समय नहीं हैं लेकिन जितने हायर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं उस क्षेत्र में उनको सहायता दी गयी है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि २,३४५ रुपये जो उस क्षेत्र के छात्रों की फीस माफ करने के लिये दिये गये उससे कितने विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जितने विद्यार्थी फीस देते होंगे उनको फायदा पहुंचा होगा।

श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़ एवं सूखा पीड़ित क्षेत्रों में विद्यार्थियों से सहायता देने के लिये आवेदन-पत्र मांगे गये थे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि २,३४५ रुपये की जो सहायता दी गई है अभी और भी बहुत से स्कूल बाक़ी पड़े हैं जिनको इसमें से कोई सहायता नहीं प्रदान की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी तो कोई शिकायत अभी नहीं आयी, न कोई सूचना है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि सरकार के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऐसा सर्कुलर आया है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लड़कों की फीस माफ की जाय और उनकी जितनी फीस माफ होगी वह उनको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसे किसी सर्कुलर की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री उन स्कूलों की संख्या बतला सकते हैं जिनकी फीस माफ की गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अभी अर्ज किया कि मेरे पास कोई संख्या नहीं है।

*१६—श्री झारखंडे राय—[१८ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*१७—श्री झारखंडे राय—[२२ मार्च, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आजमगढ़ जिले की भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि

*१८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूदान यज्ञ में आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में कितनी-कितनी भूमि प्राप्त हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—२१ दिसम्बर, १९५४ ई० तक सदर तहसील में ११७.२२२ एकड़, सगड़ी में ६९.०९४ एकड़, घोसी में २८७.४४८ एकड़, मुहम्मदाबाद में ९०.७२० एकड़, फूलपुर में ७२.४७४ एकड़ और लालगंज में ९७.५०२ एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को यह मालूम है कि इन तहसीलों में जो जमीनें दी गई हैं भूमि दानयज्ञ में, उनमें अधिकतर ऊसर या पानी में पड़ी हुई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय सदस्य को ऐसी इत्तिला होगी, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार के पास इस तरह की कोई शिकायत आई है जिसका जवाब १४ अक्तूबर, १९५४ को सरकार द्वारा प्रदान किया गया है कि घोसी तहसील के केशव सुल्तानीपुर भूदान यज्ञ में जो जमीन दी गई है वह चरागाह है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी कोई शिकायत मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अभी माल मंत्री ने जवाब दिया है कि मेरे पास कोई सूचना नहीं है, इस पर मैं आपत्ति प्रकट करता हूं कि सरकार को सूचना है। त्रिलोकनाथ भटनागर, सहायक सचिव की तरफ से १४ अक्तूबर, १९५४ को एक चिट्ठी भेजी गयी किसानों के प्रार्थना-पत्र के उत्तर में कि केशव सुल्तानीपुर की परती जमीन व चरागाह को कुछ लोगों ने भूदान यज्ञ में जिसे गांव समाज ने पाया था उसे जोत लिया है, सरकार उस पर विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—इस वक्त उनके पास इसकी सूचना नहीं है ऐसा उनका मतलब था। मैं माननीय मंत्री जी से भी कहूंगा कि जो सूचना उनके पास न हो उसके लिये वे कहें कि सूचना चाहिये। यह जवाब अति उत्तम होगा न कि यह कि इस वक्त फलां सूचना मेरे पास नहीं है, फलां चीज नहीं है ? तरीका यही उत्तम होगा कि वे स्पष्ट कहें कि उन्हें नोटिस की आवश्यकता है। वर्ना इस प्रकार के उत्तर में बड़ा धोखा हो जाता है।

आजमगढ़ जिले में देवारा खास राजा के गृह विहीन परिवारों का पुनर्वासन

*१९—श्री उमाशंकर—क्या सरकार बतायेगी कि सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ के देवारा खास राजा के कितने परिवार नदी घाघरा से इस वर्ष मकान कट जाने के कारण गृहविहीन हो गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस वर्ष सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ के देवारा खास राजा के १६० परिवार जमीन के नदी में कट कर गिर जाने के कारण गृह विहीन हो गये।

*२०—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा कर के उक्त देवारा खास राजा के किसान परिवारों को अन्य कहीं खेती तथा बसने की जगह देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। १६० गृह विहीन परिवारों में से सरकार इस साल ७२ परिवारों को ८५ एकड़ जमीन दे चुकी है। कुछ और जमीन उपलब्ध की गई है और शीघ्र ही वह गृह विहीन परिवारों को वितरण की जायगी। दी गई जमीन पर उक्त ७२ परिवार बस गये हैं और खेती कर रहे हैं।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि उन ७२ परिवारों को जो जमीन दी गई है वह किस गांव में है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ?

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जिन लोगों को अब तक कोई जमीन नहीं दी गई है वह आजकल कहां हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये भी नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि यह जिन लोगों की जमीन कट गयी उन लोगों को दुर्भिक्ष सहायता या और किसी मद से अब तक कितना पैसा दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो पूछा नहीं गया था और इसके लिये भी नोटिस की जरूरत पड़ेगी कि कितना पैसा दिया गया ।

* २१—२३—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—[१८ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

गोंडा जिले में मत्स्य से आय तथा कर्मचारियों पर व्यय

* २४—श्री उम्मेद सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष ५३–५४ और ५४–५५ में गोंडा जिले में मत्स्य से कितनी आय हुई और कर्मचारियों पर कितना खर्च हुआ ?

श्री हुकुमसिंह—गोंडा तथा बहराइच जिलों में मत्स्य से वित्तीय वर्ष १९५३–५४ और १९५४–५५ में प्राप्त आमदनी तथा कर्मचारियों पर किया गया खर्च निम्नलिखित है :—

वर्ष			आमदनी			खर्च		
			रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा
१९५३–५४	गोंडा	..	१०,५७७	५	३	१२,१८४	९	०
	बहराइच	..	५,७८०	०	०		..	
	योग	..	१६,३५७	५	३	१२,१८४	९	०
१९५४–५५	गोंडा	..	१९,६९३	३	९	११,८३१	९	९
	बहराइच	..	१२,०९५,	०	०		..	
	योग	..	३१,७८८	३	९	११,८३१	९	९

नोट—गोंडा जिले में नियुक्त कर्मचारी बहराइच जिले का भी काम देखते हैं ।

नोट—तारांकित प्रश्न २४ राजा वीरेन्द्रशाह ने पूछा ।

रायबरेली के लेखपालों की परीक्षा के संबंध में शिकायत

*२५—श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री के पास राय बरेली के लेखपालों की परीक्षा के सम्बन्ध में कोई शिकायत आई है और इस सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधि मण्डल भी उन से मिला है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। शिकायत आने पर इस जिले के सदर कानूनगो को एक दूर के जिले में तबादला कर दिया है और जिलाधीश से इस मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के आने तक लेखपाल स्कूल का परीक्षाफल रोक दिया गया है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे शिकायतें किस-किस प्रकार की हैं जो सरकार के पास भेजी गयी हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—शिकायत यह है कि एक कानूनगो है, जिसने रिश्वत वगैरह लेकर लोगों को पास कर दिया।

पंचायतों पर माल विभाग का नियंत्रण

*२६—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसका विचार है कि पंचायतों पर माल विभाग का नियंत्रण हो?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

*२७—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह पंचायत मन्त्रियों को लेखपाल बनाना चाहती है और उसने अभी तक कितनी मन्त्रियों को लेख पाल बनाया है?

श्री चरणसिंह—यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है इसलिये प्रश्न का दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को तकावी

*२८—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी उनकी झोपड़ी की हैसियत के आधार पर सरकार तकावी देती है?

श्री चरणसिंह—नियमों के अनुसार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को तकावी नहीं दी जाती परन्तु बाढ़ से मकानों के गिर जाने पर ऐसे लोगों को ऋण दिया जा सकता है। जो लोग बहुत गरीब हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे ऋण अदा कर सकें उन्हें बाढ़ से गिरे मकानों को पुनः बनाने तथा मरम्मत करने के लिये अहेतुक सहायता मिल सकती है।

*२९—३१—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—[१८ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

अधिवासियों के पास भूमि

*३२—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में १ जुलाई, १९५२ ई० को कुल कितनी एकड़ भूमि पर अधिवासी थे?

नोट—तारांकित प्रश्न २५ श्री व्रज विहारी मिश्र ने पूछा।

नोट—तारांकित प्रश्न २६-२७ श्री देवदत्त मिश्र ने पूछे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—ठीक १ जुलाई, १९५२ ई० को कुल कितनी एकड़ भूमि पर अधिवासी थे इसकी सही सूचना उपलब्ध नहीं है किन्तु फसली वर्ष १३६० में २१,१५,९७१ एकड़ भूमि पर अधिवासी थे।

*३३—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—नये भूमि व्यवस्था संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत ३० अक्तूबर, १९५४ ई० को ये अधिवासी कुल कितनी एकड़ भूमि के सीरदार बन गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ से कुल अधिवासी सीरदार नहीं हुये। कुछ अधिवासी बाक़ी रह गये और कुछ अधिवासी असामी भी हो गये। जब तक इन सब तब्दीलियों का असर कागजात में न डाल दिया जाय तब तक कहना सम्भव न होगा कि कितनी भूमि के अधिवासी ३० अक्तूबर, १९५४ को सीरदार हो गये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या यह सही है कि १३५२ फसली के बाद शिकमी अधिवासियों की १२ लाख एकड़ भूमि उनके कब्जे से निकल गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कितने एकड़ भूमि निकल गयी इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी लेकिन यह सही है कि कुछ भूमि उनके कब्जे से निकल गयी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि असामी को छोड़कर वह कौन से अधिवासी हैं जो सीरदार नहीं हो सके, अधिवासी ही बने रह गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो कानून की बात है जिसको माननीय सदस्य जानते होंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि अधिवासी जो सीरदार हो गये उनकी सूची बनाने के लिये सरकार की तरफ से कोई आर्डर गया है और क्या उसमें यह लिखा है कि १३५९ के कब्जे का विशेष ध्यान रखा जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। कार्यवाही इस पर की जा रही है।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब भी बहुत से अधिवासी ऐसे हैं जिनके नाम कागजात में शिकमी या और किसी तरह से दर्ज नहीं हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् ५९ में जो अधिवासी हैं उसको सरकार सीरदार मान लेगी?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप कायदे का प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री अब्दुल मुईज खां—क्या लैंड रिफार्म्स सप्लीमेंटरी ऐक्ट के अधीन जो कार्यवाही हो रही थी वह समाप्त हो गयी या अब तक अधिवासी उस अधिनियम के अधीन बनाये जा रहे हैं या दर्ज किये जा रहे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो कार्यवाही कानूनन चल रही है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या तीन वर्ष से अधिक काबिज लिखे हुये काश्तकार इस कानून के अनुसार सीरदार मान लिये जायंगे ?

श्री अध्यक्ष—आप फिर कानूनी राय पूछ रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार बतायेगी कि जिन अधिवासियों को सीरदार बनाया गया है उनसे सम्बन्धित भूमिधरों को मुआविजा देने का कोई फ़ार्मूला सरकार ने तैयार कर लिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो कानून पास ही किया गया है, उन्हें मुआविजा देने का विचार हो रहा है।

गोंडा में बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ खोले गये टेस्ट वर्क के बन्द होने का कारण

*३४—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा तहसील तरबगंज के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जो टेस्ट वर्क शुरू हुआ था वह बन्द कर दिया गया ?

श्री चरणसिंह—बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ खोले गये टेस्ट वर्क थोड़े समय पूर्व तक जारी थे परन्तु अब उन्हें बन्द कर दिया गया है।

*३५—श्री गंगाप्रसाद (अनुपस्थित)—यदि हां, तो बन्द करने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—इस समय रबी की फसल की कटाई आदि हो रही है। इन कार्यों से श्रमिक वर्ग अपनी जीविका उपार्जित कर सकता है, अतः टेस्ट वर्क इस समय अनावश्यक है।

जिला जालौन में ग्राम रजपुरा-रामपुरा सड़क की मरम्मत

*३६—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला जालौन में ग्राम रजपुरा-रामपुरा की सड़क जो बांध पर से जाती है इतनी कट गयी है कि यातायात बन्द है और हजारों रुपये की सरकार की हानि होने की सम्भावना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह ठीक है कि जिला जालौन में ग्राम रजपुरा-रामपुरा की सड़क जो बांध पर से जाती है कट गयी है परन्तु श्रमदान द्वारा उसकी मरम्मत हो जाने के कारण यातायात बन्द नहीं है।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार को यह मालूम है कि उपरोक्त सड़क न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में है और न पी० डब्लू० डी० में है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी, यह सड़क तो पहले राजा साहब के कब्जे में थी।

राजा वीरेन्द्रशाह—सरकार को क्या मालूम है कि सन् १९५२ में जब जागीर विलीन होकर यह सड़क सरकार में आयी तो इसकी मरम्मत क्यों नहीं की गयी और मरम्मत हुयी या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सड़क ग्राम सभा के चार्ज में होगी और इसकी मरम्मत श्रमदान द्वारा हो रही है।

कानपुर जिले की तहसीलों में रेहुए ऊसर को रोकने के लिये कार्यवाही

*३७—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले की अकबरपुर, बिल्हौर और कानपुर तहसीलों में बढ़ते हुये रेहुए ऊसर को रोकने की उसने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह—इस सम्बन्ध में प्रारंभिक साधारण कार्य किया जा रहा है। कानपुर तहसील का एक नक्शा तैयार हो गया है, जिसमें २०० एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले ऊसर के चक दिखाये गये हैं। कानपुर जिले की मिट्टी की जांच के विषय में विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

*३८—श्री विश्रामराय—[२३ मार्च, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३९-४०—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—[२९ मार्च, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

चरखारी, जिला हमीरपुर के पशु चिकित्सालय में डाक्टर की कमी

*४१—श्री मन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि चरखारी, जिला हमीरपुर में पशु चिकित्सालय में डाक्टर बहुत दिनों से नहीं है?

श्री हुकुमसिंह—जी हां, पशु चिकित्सालय चरखारी, जिला हमीरपुर में चिकित्सक २ जुलाई, १९५३ ई० से नहीं हैं। पशु चिकित्सक की अनुपस्थिति में एक ट्रेन्ड कम्पाउन्डर अस्पताल का कार्य कर रहा है।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव—क्या सरकार निकट भविष्य में किसी डाक्टर को भेजने का विचार रखती है?

श्री हुकुमसिंह—अवश्य।

अतारांकित प्रश्न

मुजफ्फरनगर की तहसील केराना को शामली में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

१—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार के समक्ष मुजफ्फरनगर की तहसील केराना को शामली लाने का प्रश्न विचाराधीन है? यदि हां, तो इस कार्य में सरकार को शामली में तहसील और मुंसिफी के लिये नये मकान बनवाने में कितने धन का व्यय करना होगा?

श्री चरणसिंह—जी हां, किन्तु यह प्रस्ताव इस सीमा तक नहीं पहुंचा है कि उसके बारे में होने वाले पूरे व्यय का हिसाब लगाया जा सके। इसलिये इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि तहसील की इमारतों और मुंसिफ के न्यायालय की इमारत के बनाने में कितना रुपया खर्च होगा।

सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ में भूमिधरी हक प्राप्त करने के लिए जमा रकम

२—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ में ८ मई, सन् ५४ को कितनी रकम भूमिधरी हक प्राप्त करने के लिये जमा हुई है?

श्री चरणसिंह—सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ में ८ मई सन् ५४ को कुल ८७रु० ८ आ० भूमिधरी हक प्राप्त करने के हेतु जमा हुए।

३—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके यह बता सकती है कि उक्त तारीख में जमा की गयी दसगुने की रकम की भूमिधरी की सनद बन गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। जिन खेतों के लिये रुपया जमा किया गया उनका परिच्छेद अभी जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम २३ लगायत २५ के अनुसार नहीं हुआ है। परिच्छेद होने पर शीघ्र ही सनद दे दी जायगी।

तारांकित प्रश्न १५ से सम्बद्ध श्री उमाशंकर के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रार्थना करनी है। अभी प्रश्न संख्या १५ के उत्तर में जो मैंने सप्लीमेंटरी प्रश्न किया था, उसका माननीय माल मंत्री जी ने जवाब दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सर्क्युलर ऐसा नहीं आया है। श्रीमन्, मेरे पास वह सर्क्युलर मौजूद है और मैंने मालमंत्री जी के सामने उसको पेश कर दिया था। तो इस तरह से इस सदन में उन्होंने गलत जवाब दे दिया कि सरकार के पास कोई सर्क्युलर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष---उसके ऊपर आप फिर से मेरे पास शिकायत भेज दीजिये तो मैं उनसे बात करूंगा।

श्री उमाशंकर---जी हां। मगर यह गलतबयानी उन्होंने की है।

१३ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न ६२ से सम्बद्ध श्री चिरंजीलाल जाटव के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन

श्री अध्यक्ष---माननीय माल मंत्री, आपने पिछले प्रश्नों के कुछ जवाब गलत दे दिये थे। उनके सम्बन्ध में यदि आप कुछ दुरुस्ती करना चाहते हैं तो आप सदन को उसकी सूचना दे दें।

माल उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---१३ दिसम्बर, १९५४ को तारांकित प्रश्न ६२ से संबंधित श्री चिरंजीलाल जाटव के एक अनुपूरक प्रश्न, जिसमें यह पूछा गया था कि "हरिजन तहसीलदार गैरस्थायी रूप में कितने तहसीलदारों के पद पर काम कर रहे हैं", उसके उत्तर में यह कहा गया था कि "७७ तहसीलदार हैं, जिसमें दो अल्पकालिक हैं"। यह सूचना ठीक नहीं थी। अब मालूम हुआ है कि ३ हरिजन तहसीलदार अस्थायी रूप से उस समय तहसीलदार के पद पर काम कर रहे थे। तो यह इस तरह का संशोधन कर दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---ये तीन हरिजन तहसीलदार उस तारीख के बाद हुए या पहले से थे?

श्री चतुर्भुज शर्मा---पहले ही थे। गलत जवाब हो गया था।

रायबरेली जिले के शिवरतनपुर थाने में सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---मेरे पास जो कामरोको प्रस्ताव मदनमोहन जी उपाध्याय ने १४ तारीख को दिया था उस सम्बन्ध में मैंने उनसे यह कहा था कि इसके सम्बन्ध में जो वाकयात हैं उनके बारे में कोई उन्होंने उसमें कागजात नहीं दिये। केवल उस वक्त अखबार में इस सम्बन्ध में कोई खबर छपी थी। बाद में मेरे मौका देने पर उन्होंने जो कागजात मेरे पास भेजे, उसको देखने से मुझे यह प्रतीत होता है कि यह मामला ऐसा था कि किसी एक गांव में झगड़ा हो जाने से कुछ जमीन के ऊपर कुछ व्यक्तियों में परस्पर शिकायतें थीं। इससे झगड़ा होने के कारण कुछ गिरफ्तारियां हुईं और शायद मुकदमा भी इस सिलसिले में चल रहा है। जब अदालत के सुपुर्द यह मामला हो रहा है और इससे कोई सम्बन्ध प्रत्यक्ष सरकार से नहीं प्रतीत होता, केवल स्थानीय शासकीय प्रश्न दिखायी देता है, तो ऐसी अवस्था में मैं यह अनुमति नहीं देता हूं कि इस प्रश्न पर कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किया जाय।

इसके बारे में एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज जो अनुदान आ रहे हैं अगर कोई शासकीय गड़बड़ियां हुई हों तो उस सम्बन्ध में उन अनुदानों पर विवाद में जिक्र हो सकता है। लेकिन इतना जरूर उसमें ख्याल रहेगा कि ऐसा विषय विवाद में सामने नहीं आयेगा जो कि अदालत पर असर डालने वाला हो। उसको बचाते हुये इस पर विचार हो सकता है, इसलिये भी प्रस्ताव की अर्जेंसी नहीं रहती।

१९५५–५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ समय विभाजन

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष, १९५५–५६ ई० के लिये आय–व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव होंगे। माननीय श्री जगन्नाथ मल्ल, समय का निर्धारण आप किस तरह से करेंगे?

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि आज अनुदान संख्या १२--सामान्य प्रशासन और अनुदान संख्या १३--कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय, ये दोनों ले लिये जायं। सुविधा के लिये मैं यह भी कह दूं कि मैं चाहता हूं कि कल अनुदान संख्या १७--पुलिस खाली लिया जाय। परसों दोपहर तक अनुदान संख्या १६--जेल और अनुदान संख्या ३५--प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते, ये दोनों ले लिये जायेंगे। दोपहर के बाद, लंच आवर के बाद, अनुदान संख्या ३९--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान ले लिया जाय। और चौथे रोज खाली शिक्षा चले।

श्री अध्यक्ष--इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--हम चाहते थे कि हरिजन सहायक विभाग के लिये एक दिन दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक वर्ष समय बढ़ाना पड़ता है। अगर एक दिन पूरा दे दिया जाय, तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--पौने तीन घंटे इसके लिये रहते हैं, साथ ही मैं समझता हूं कि शिक्षा के अनुदान पर भी परिगणित जातियों का विषय आ सकता है, तो एक दिन तक उसमें भी विवाद हो सकता है।

श्री शिवनारायण--तो हमारा विचार यह है कि शिक्षा और वह अनुदान दोनों साथ-साथ ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष--इसमें आपत्ति है?

श्री जगन्नाथ मल्ल--जी हां, यह बिलकुल अलग-अलग विषय हैं, अलग-अलग लिये जाने चाहिये। एक और निवेदन करना था कि यह जो सामान्य प्रशासन के कारण व्यय और कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय है इन दोनों को एक साथ ले लिया जाय, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन हमारे जो कटमोशन होंगे वह अलग-अलग होंगे।

श्री अध्यक्ष--यह नहीं हो सकता है। अगर दोनों एक साथ ही लिये जाते हैं तो साधारणतः एक ही कटमोशन होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल--तो श्रीमन्, दोनों को अलग-अलग ही रखा जाय। ढाई घंटे पहले के लिये और डेढ़ घंटा दूसरे के लिये।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब स्पीकर साहब, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का मसला बहुत अहम है, इसलिये इसके लिये ७ मिनट के बजाय १० मिनट रख दिये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—आप चाहते हैं कि ७ मिनट के बजाय १० मिनट रख दिये जायं पहले के ऊपर ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी हां, मैं दोनों के लिये चाहता हूं।

महाराजकुमार बालेन्द्रशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय और सामान्य प्रशासन के कारण व्यय, यह दोनों इकट्ठे लिये जाते हैं। मैं समझता हूं कि इनके ऊपर अलग-अलग बहस करने में आपत्ति होगी।

श्री अध्यक्ष—मैं भी यही उचित समझता हूं कि दोनों एक साथ ले लिये जायं। मैं बोलने की इजाजत दे दूंगा, अलग-अलग कट मोशन के मूव करने की क्या जरूरत है ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, बात असल में यह है कि इन दोनों के ऊपर हमारे यहां के दो सदस्यों ने तैयारी की है। इसलिये आप माननीय रामसुन्दर पांडेय को ज्यादा समय देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—इसमें यह राय है कि दोनों एक साथ लिये जायेंगे। प्रस्तावक के लिये मैं १५ मिनट दे दूंगा और बाकी के लिये १०-१० मिनट रहेंगे।

अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (लेखा शीर्षक—२५-सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत २,७७,४५,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत २,७५,२०,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, इन दोनों मांगों को पेश करते हुये मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। सामान्य प्रशासन, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध शासन के सभी विभागों से है परन्तु क्योंकि प्रत्येक विभाग के सम्बन्ध में अलग अलग चर्चा हो रही है और जिन विभागों की अभी चर्चा नहीं हुई उनके ऊपर चर्चा जरूर होगी इसलिये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात बहुत मामूली सी रह जाती है। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन एक ढांचा है जिसमें और जितने भी शासन के विभाग हैं वह कहीं न कहीं आकर बैठते हैं। यह एक वह डोरी है जो सभी विभागों का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध करती है। यदि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक ढंग से चले, सामान्य प्रशासन ठीक ढंग से हो, तो और सभी विभाग भी ठीक ढंग से काम करेंगे।

इस सम्बन्ध में कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिये कि और विभागों में बहुत से नये प्लान्स, नयी स्कीमें, आयोजन तथा नियोजन होते रहते हैं लेकिन यह तो अंग्रेजी शब्द में बड़ा सा विभाग है, इसमें कोई आयोजन और नियोजन नहीं हुआ करते हैं, स्कीमें नहीं हुआ करती हैं और कभी

भी इसमें कोई क्रांतिकारी बड़ा उपयोगी शब्द है कि रिवोल्यूशनरी बात कभी इस विभाग में देखने में नहीं आती है ऐसा बहुत ही कम होता है लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विभाग गतिशील नहीं रहता है। विभाग गतिशील रहता है। समय के अनुरूप इस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। मैं समझता हूं, हुआ है और मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि हुआ है और उसका असर और जगह भी निश्चय ही पड़ता है।

कभी-कभी ऐसे सुझाव आते हैं और आज भी सम्भवतः कटमोशन्स के सिलसिले में ऐसे सुझाव आयेंगे कि लोगों के वेतन और दूसरी बातों में परिवर्तन कर दिया जाय। हमको इसके लिये एक बात ध्यान में रखनी चाहिये और वह यह है कि इस विभाग में प्रायः ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ आई० सी० एस० और ज्यादातर आई० ए० एस० हैं। यह आल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं और आई० सी० एस० तो पहले से चले आते हैं लेकिन आई० ए० एस० सर्विस हमारे देश के स्वतंत्र होने के बाद अपनी ही स्वतंत्र गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। यह उसकी बनायी हुई आल इंडिया सर्विस है। इसके जो सदस्य हैं वह केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं हैं बल्कि बंगाल, मद्रास और दूसरे जितने भी प्रदेश हैं यह लोग उन सब में हैं। एक प्रदेश से वह दूसरे प्रदेश में जा सकते हैं, केन्द्र से प्रदेश में आते हैं और प्रदेश से केन्द्र में भी जाते हैं। इसलिये उनका जो वेतन है या उनका जो पुरष्कार है इन बातों में हम बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते। जो परिवर्तन करना हो तो वह आल इंडिया रूप में ही होना चाहिये। वेतन की बात हमारे वश की बात नहीं है इस बात का ध्यान रखना चाहिये।

एक बात का चर्चा कभी-कभी हुआ करता है कि सर्विसेज की संख्या बहुत बढ़ती चली जाती हैं और लोगों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। हमको एक बात का ख्याल रखना चाहिये कि एक समय ऐसा होता है कि ज्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और एक ऐसा ही सिद्धांत रहता है कि कहीं पर फौजदारी न हो जाय, कोई विदेशी आक्रमण न हो जाय, सरकार का काम बस इतना ही है कि वह हुकूमत को चलाये जाय किन्तु ऐसे प्रबन्ध में सरकारी अहलकारों की संख्या बहुत कम रहती है। लेकिन जिन लोगों को प्लानिंग के सिद्धांत का ज्ञान है और जिन लोगों को दुनियां में और दूसरे देशों में जहां-जहां प्लानिंग हुई है उसका अनुभव है, वह इस बात को जानते होंगे कि प्लानिंग के मायने हैं बहुत ज्यादा सरकारी अहलकारों का बढ़ाना। यदि सरकार अपने हाथ में शिक्षा का विभाग ले तो उतने ही अफसर उस विभाग में और रखने होंगे। यदि सरकार सड़कों का काम अपने हाथ में ले तो उसको सड़क बनाने के लिये मजदूर से लेकर सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर तक कितने ही आदमियों को बढ़ाना पड़ेगा; हर देश में ऐसा हुआ है। रूस में भी जब नई गवर्नमेंट बनी तो लेनिन ने कहा था कि हम अपने देश में प्लानिंग करने जा रहे हैं तो हमको इस बात के लिये तैयार रहना होगा कि बहुत बड़ी संख्या सरकारी कर्मचारियों की बढ़ायी जाय और सरकारी अफसरों को बहुत बड़ी संख्या में रखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सरकारी अहलकारों की संख्या वहां पर बढ़ी है। अगर सरकार जीवन की हरएक आवश्यकता में दखल देगी, शिक्षा विभाग में या सड़क बनाने में अगर वह दखल देगी तो उतने ही सरकारी अफसरों की संख्या उसको बढ़ानी पड़ेगी। यह दुनियां का हर एक जगह का अनुभव है, इसके बिना कोई उद्योग बढ़ नहीं सकता। परन्तु एक बात ख्याल रखने की है कि सरकार अहलकारों को अनियंत्रित न रखे उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिये। हम इस बात की कोशिश करते हैं और जहां तक हो सकता है हम इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि सरकारी अहलकारों पर नियंत्रण रहे।

दूसरी बात यह है कि अगर हो सकता हो बगैर क्षमता के गिरे, बिना एफिशियेन्सी के गिरे डिसेंट्रलाइजेशन होता रहे। हमने पंचायत राज्य के रूप में डिसेंट्रलाइजेशन को स्वीकार किया है और आज प्लानिंग की बात है, फिर और प्लानिंग के लिये यह कोशिश की गयी है कि जहां तक हो सके डिसेंट्रलाइज किया जाय। माननीय सदस्यों को पता है कि अभी हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि जितने सरकारी दफ्तर हैं उन सब दफ्तरों में कहां-कहां सम्भव है कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सके। गवर्नमेंट जो अधिकार रखती है वह नीचे

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

वालों को दिये जायं। इस बात को बहुत जल्द करना चाहते हैं ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो सके तो किया जाय, लेकिन एफिशियेन्सी न बिगड़ने पाये। एफिशियेन्सी डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ हद तक बिगड़ती है। यहां पर पालिसी बनती है और मेम्बर साहब इससे परिचित होंगे और सेक्रेटेरियट से परिचित होंगे कि जितना भी नीचे की तरफ जाया जाय उतना ही वह डायलूट हो जाती है। ऊपर से नीचे तक देखने में नीचे वह चीज दिखायी नहीं देती है। होम्योपैथी में तो ऐसा होता है कि जितना भी डायलूट किया जाय उतनी ही पोटेन्सी बढ़ती जाती है, लेकिन सरकारी कामों में देखा जाय तो अक्सर नीचे में वह पोटेन्सी डायलूट होने से घट जाती है। तो इस बात का खयाल रखना चाहिये और जहां तक हो सकता है हम इस बात का खयाल रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि हम अपने ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी (शासनयंत्र) के सम्बन्ध में बराबर प्रयत्नशील रहते हैं और जो जिस समय के अनुरूप होता है उसको वैसा ही बनाने का प्रयत्न करते हैं और मेरा ऐसा विश्वास है कि हमने ऐसा बनाया है।

एक शिकायत और थी कि जो अफसर सेक्रेटेरियट में बहुत दिनों तक रह जाते हैं उनकी बाबत यह कहा जाता है और ठीक ही कहा जाता है कि वे जीवन के सत्य से दूर हो जाते हैं। काग़ज़ों के बीच में रहते-रहते जीवन से वे बहुत दूर हो जाते हैं। इसके लिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि पिछले एक डेढ़ वर्ष में बहुत से अफसर सेक्रेटेरियट से ज़िलों में गये हैं और ज़िलों के बहुत से अफसर सेक्रेटरियट में आये हैं। जिससे ज़िलों का जो उनका अनुभव है उससे लाभान्वित होकर वे सेक्रेटरियट में काम कर सकें, ज़िलों में जीवन की समस्याओं का जो उनको बराबर अनुभव रहा है उस दृष्टिकोण से वे गवर्नमेंट को सलाह दे सकें। इसके अतिरिक्त यहां के अफसर जो गवर्नमेंट की मनोवृत्ति को जानते हैं, जिनसे आशा की जाती है कि उनका दृष्टिकोण व्यापक होगा, उनका आउटलुक व्यापक होगा, उससे वे ज़िलों में कार्य कर सकें।

एक नयी चीज़ और है, गज़ेटियर का रिवीज़न। जिन लोगों को काम पड़ा होगा, वे जानते होंगे कि ये इनफार्मेशन के भंडार होते हैं लेकिन वे अपने पुराने ढंग के ही हैं। जिस सरकार के ज़माने में वे बने हैं, मैं अपने अनुभव से कहता हूं, राजनैतिक दृष्टिकोण से उसमें बहुत कमी है तथा उसमें जो बहुत सी सूचनायें हैं वे बहुत ही पुरानी हो गयी हैं। इसके अतिरिक्त हर पांचवें साल एक रिपोर्ट निकलती है जिसे क्विंकीनियल रिपोर्ट कहते हैं। आप यह तो सब जानते हैं ही कि परिवर्तन कितनी तेजी से हो रहे हैं और इस ज़िले के भिन्न-भिन्न पेशों में ५ साल में बहुत फर्क हो जाता है। उसमें यह इनफार्मेशन रहती है कि फलां-फलां ज़िले में फलां-फलां पेशे के मानने वाले कितने लोग हैं। पांच साल के बाद बहुत से पेशे बढ़ जाते हैं और बहुत से कम हो जाते हैं और जो सूचना आज से पांच साल पहले सच्चाई के साथ रक्खी गयी है उसमें फर्क हो जाता है, इस प्रकार से वैसे तो हमारी क्विंकीनियल रिपोर्ट छपती ही है लेकिन उसके साथ ही साथ गज़ेटियर का रिवीज़न हो जाय तो बहुत अच्छा काम होगा। इसके लिये क्योंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया भी चाहती है इसलिये उसको अंग्रेजी में छपाया जायगा लेकिन लोगों को अधिक से अधिक सूचना मिल सके इसके लिये हम उसको अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में छपवाना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन इन दोनों मांगों को स्वीकार करेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या १३—कमिश्नरों और ज़िला प्रशासन का व्यय, के सम्बन्ध में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, सामान्य प्रशासन हमारे राज्य शासन का वह केन्द्र बिन्दु है जिसकी परिधि के चारों ओर हमारे सारे राज्य का शासन चलता है। इस दृष्टिकोण से जब हम प्रस्तुत बजट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर विचार करते हैं तो हमारे सदन का दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने संक्षेप में कुछ सिद्धांतों का जिक्र किया, यह सिद्धांत उनके अपने हैं, उनके अपने व्यक्तिगत कुछ मौलिक विचार हैं और हम सभी इस बात की अपेक्षा करते हैं कि मुख्य मंत्रि पद पर आरूढ़ होने के बाद अपने मौलिक विचारों को कार्यान्वित करने का वह पूरा प्रयत्न करेंगे। कार्य बड़ा दुष्कर है, बहुत बड़ा है और मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इस सामान्य प्रशासन की जो परम्परा पिछले ८ सालों में रही है वह लगभग वही रही है जो अंग्रेजों के जमाने में साम्राज्यशाही और नौकरशाही के संगठन में थी, उसमें बहुत कम सुधार हुआ है, करीब-करीब वही आज भी बनी हुई है। इसके बाद मैं आपके द्वारा कुछ आर्थिक अनुदानों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं और उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो मुझे इसमें असंगत मालूम हुये हैं। पहली असंगति तो यह है कि जो अभी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर का जिक्र किया गया है, आप देखेंगे कि उसके लिये दोनों अनुदानों में अलग-अलग रुपये रखे गये हैं। ३५ हजार रुपया तो रखा गया है अनुदान संख्या १२ में और एक लाख १४ हजार रुपया रखा गया है अनुदान संख्या १३ में। तो यह उचित होता कि दोनों खर्चे एक ही अनुदान में रखे जाते।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह नहीं हो सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—दूसरी बात यह है कि जो अधिवासी हैं उनको सीरदार बनाने के सम्बन्ध में कुछ स्टाफ की व्यवस्था इसमें रखी गयी है, लेकिन उनके मुआविजे के लिये जो रुपया रखा गया है वह जमींदारी अबालिशन फंड में रखा गया है। मैं समझता हूं कि जमींदारी एबालिशन फंड इसलिये नहीं बनाया गया था कि वह अधिवासी सीरदार को मुआविजा दिया जाय। जो दो करोड़ रुपया था वह भी इस अनुदान में न होकर लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर या रेवेन्यू अनुदान में होता तो ज्यादा उचित होता। तीसरी बात यह है कि जो चपरासियों की तनख्वाह २ रुपये बढ़ायी गयी है, तो जाहिर है कि जो गवर्नर के चपरासी हैं वे भी पायेंगे, लेकिन गवर्नर महोदय का जो चार्ज्ड एमाउन्ट है उसके अन्दर उनके ३८ चपरासियों के लिये कोई लम्प सम एमाउन्ट नहीं दिखलाया गया है। उसको इस साल के चार्ज्ड बजट में बदलना चाहिये था। चौथी बात यह है कि लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर के कार्यालय का खर्चा जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर नहीं आना चाहिये। यह रेवेन्यू का बजट है जिस पर रेवेन्यू मिनिस्टर कंट्रोल करता है। उसी तरह से बोर्ड आफ रेवेन्यू का अनुदान भी सामान्य प्रशासन के अन्दर जो दिखलाया गया है वह नहीं आना चाहिये। मैं समझता हूं कि इनफार्मेशन डिपार्टमेंट जिसके मंत्री अलग हैं, उसका भी जिक्र इस अनुदान में आया है। मैं समझता हूं कि यह भी इस अनुदान में नहीं आना चाहिये। जहां तक इनफार्मेशन डिपार्टमेंट का सवाल है यह कमर्शियल संगठन है इसलिये इसका एकाउन्ट भी हमारे सामने आना चाहिये। अप्रैल सन् ५१ से इनफार्मेशन डाइरेक्टोरेट व्यापारिक संगठन करार दिया गया। इसी तरह से सेक्रेटेरियट के सम्बन्ध में आप देखेंगे कि ११ मिनिस्टर्स हैं और १७ सेक्रेटरीज हैं। लेकिन मिनिस्टर्स के विभाग अलग हैं और सेक्रेटरीज के विभाग अलग-अलग हैं। मैं तो यह कहता हूं कि जितने मिनिस्टर्स हैं उतने ही सेक्रेटरीज होने चाहिये और जो जिस विभाग के मिनिस्टर हों उनके साथ उसी विभाग के सेक्रेटरी होने चाहिये। यह नहीं कि पी०डब्लू० डी० के मिनिस्टर हों और उनके साथ इनफार्मेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हों, या इनफार्मेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हों और उनके साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हों। इसी तरह से अंडर सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरीज का भी सामंजस्य रहना चाहिये। अगर ऐसा हो तो मैं समझता हूं कि इससे काम में ज्यादा सहूलियत हो सकती है। जहां तक तनख्वाह को घटाने का सवाल है मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को इस पर भी सोचना चाहिये। आज कल संविधान का संशोधन हो रहा है, इसलिये इस गवर्नमेंट को यह चाहिये कि वह गवर्नमेंट आफ इंडिया से सिफारिश करे कि वह संविधान में ऐसा संशोधन लावे जिससे कि आई०ए०एस० और आई०सी०एस० अफसरों की तनख्वाह भी कम हो सके। मद्रास सरकार ने ऐसा एक प्रपोजल किया भी था। यह कुछ उचित नहीं लगता कि माननीय मंत्री जी तो १२०० रु० तनख्वाह लें और उनके जो सेक्रेटरी हों उनकी तनख्वाह ढाई तीन हजार के ग्रेड तक पहुंचे।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैं समझता हूं कि सम्पत्तिदान के इस युग में इस सूबे में कुछ न कुछ होना चाहिये और मैं समझता हूं कि हमारे जो बड़े-बड़े अफसर हैं वे राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण उद्देश्य में अवश्य योग देंगे और अपनी-अपनी तनख्वाह कम करने के लिये स्वतः राजी हो जायेंगे।

इसमें गवर्नर महोदय की टूरिंग एलाउंसेज के लिये कुछ खर्चा मांगा गया है। मैंने पहले भी प्रश्न उठाया था कि जब चांसलर की हैसियत से गवर्नर दौरा करते हैं तो उनका खर्चा कौन देता है, यह प्रश्न हमारे सामने है। यह दिक्कत तब और भी हमारे सामने आती है जब कि राज्यपाल महोदय यूथ कांग्रेस का जो फंक्शन होता है उसमें भी शामिल होने लगे हैं। मैं समझता हूं कि यूथ कांग्रेस हो या यंग सोशलिस्ट लीग हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे राज्यपाल महोदय को ऐसे दौरे में नहीं जाना चाहिये। यह मैं कोई सुझाव नहीं देता हूं.....

श्री शिवनारायण—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्यपाल महोदय की किसी चीज के ऊपर कोई माननीय सदस्य इस सदन में चर्चा कर सकता है?

श्री अध्यक्ष—जहां तक बजट का संबंध है, उसके ऊपर उनसे संबंधित खर्चे पर विवाद हो सकता है कि कौन सा खर्चा किस काम के लिये उचित है या अनुचित है। इसके ऊपर सुझाव हो सकते हैं पर वोट नहीं होगा, और उसी दृष्टि से उन्होंने यह बात कही है और उन्होंने यह भी कहा है कि वे उसके ऊपर कोई टीका नहीं करना चाहते।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, इसके बाद मैं पेटीशंस डिपार्टमेंट की अवश्य कुछ शिकायत करना चाहता हूं। रिपोर्ट से मालूम होता है कि पेटीशंस डिपार्टमेंट के पास सन १९५२ में १९ हजार अर्जियां आयीं लेकिन उनमें से ६,१२७ या तो नष्ट कर दी गई या डिपाजिट कर दी गई है। तो इस तरह से एक तिहाई अर्जियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे पेटीशंस डिपार्टमेंट को ओवरहाल करें क्योंकि तमाम जिलों से शिकायतें आती हैं कि जितनी अर्जियां कार्यवाही के लिये भेज दी जाती हैं उनपर कोई कार्यवाही आजतक हुई या नहीं उनको पता नहीं होता। उनको यह लिखकर भेज दिया जाता है कि आपकी अर्जी उचित कार्यवाही के लिये भेज दी गई है। तो इससे कोई कार्य होने वाला नहीं है और इसलिये इसके ओवरहाल करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

इसके बाद दूसरी बात आपके लेजिस्लेचर सेक्रेटेरियेट का सवाल है। सारा सदन चाहता है कि लेजिस्लेचर सेक्रेटेरियट का सारा निर्णय आपके हाथ में अंतिम रूप से आवे। आखिर पार्लियामेंटरी प्रणाली में आप जानते ही हैं कि पार्लियामेंट में सब कुछ वहां के आफिसरों की नियुक्तियों आदि का जो अनुदान है उन पर आदरणीय अध्यक्ष महोदय का निर्णय अंतिम होता है। आप इस संबंध में पूर्णतया सचेष्ट हैं लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इस संबंध में सदन को आश्वासन दें कि हमारे सदन का जो मंत्रालय है, जो इस लेजिस्लेचर के कार्य करने वाले हैं ये पूर्णतया, श्रीमन् आपके ही कंट्रोल में है। सब मामलों में फायनल अथारिटी आपकी हो, आपका ही अंतिम निर्देश होगा यह हम चाहते हैं।

अब इन्फारमेशन डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आप यह देखेंगे कि ५३–५४ में १० लाख रुपये के लगभग मांगा गया था और इस बजट में ४० लाख रुपये से अधिक मांगा गया है। तो दो सालों में यह चौगुने से अधिक खर्च बढ़ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है? सूचना विभाग के संबंध में आपको क्यों बार-बार अपनी नीति बदलनी पड़ रही है? पहले इंफारमेशन आफिसर्स, जिला प्लानिंग कमेटी या प्लानिंग डिपार्टमेंट के मातहत थे बाद को वह अलग कर दिये गये, फिर उनको इंफारमेशन डिपार्टमेंट के नीचे कर लिया गया। फिर आप इसमें यह देखेंगे कि इसमें यह कहा जा रहा है कि एक मासिक मैगजीन छपवायेंगे। उसका कारण यह बतलाया गया है कि यह साहित्यिक और सांस्कृतिक

आवश्यकता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आवश्यकता है? और उस समय जब कि आज भारतवर्ष में अनेकों हिन्दी की मैगजीनें अच्छी से अच्छी निकल रही हैं, और अच्छे से अच्छे लेखक उनको निकाल रहे हैं, तो क्या आवश्यकता है कि सरकार अपनी भी एक मैगजीन उसमें जोड़ दे। अगर प्रोत्साहन देना है तो वह उन मन्थली मैगजीन्स को प्रोत्साहन दे सकती है जिनके जरिये से कार्य हो रहा है और कार्य हो सकता है।

दूसरी बात ३० हजार उत्तर प्रदेश पंचायतराज अखबार की कापियां और मांगी जा रही हैं। ४० हजार कापियां पंचायत राज अखबार की पहले से निकाली जाती हैं। पहला एतराज तो हमारा यह है कि पंचायत राज अखबार, पंचायत राज डिपार्टमेंट को निकालना चाहिये; इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट को कोई अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह इसको छापे। पहले तो पंचायत डिपार्टमेंट उसको लेख भेजे और इस के बाद फिर वह पूछे कि यह क्यों नहीं छापा और यह क्यों नहीं छापा, इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। पंचायत राज अखबार को पंचायत राज डिपार्टमेंट से छपवाइये। फिर जब ४० हजार प्रतियां पंचायत राज अखबार की निकलती हैं और हमारे पंचायत सब मिलाकर कुल ४३ हजार हैं, तो फिर ये ३० हजार प्रतियां और छपाकर ७० हजार प्रतियों की क्या आवश्यकता है? श्रीमन्, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ९ लाख रुपया मासिक चंदा बाकी हो गया है। तो ऐसे अखबार जो कि चन्दे से चलते हैं, और इतना चन्दा बाकी है तो फिर मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि ३० हजार प्रतियों को छपवाना अनुपयुक्त है।

इसके बाद यह है कि इसमें एक पी० सी० एस० आफिसर काम करेंगे। पता नहीं है उनका डेजिगनेशन क्या होगा? उसमें है पी० सी० एस० और 'एनी सुटेबिल आफिसर'। लेकिन उनके क्या फंक्शन्स होंगे इसका पता नहीं है।

इसके अलावा इंफार्मेशन डिपार्टमेंट में पब्लिकेशंस ब्यूरो है। यह कभी सूचना पंचांग छपवा दिया करता है और कभी सूचना डायरी छपवा दिया करता है। इस सूचना पंचांग और सूचना डायरी से राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ा है क्योंकि पंचांग लेना होगा, ज्योतिष शास्त्र पढ़ना होगा। बड़े-बड़े ज्योतिषी पंचांग छापते हैं और हमको अगर जरूरत होगी तो उन पंचांगों को खरीद लेंगे और डायरियां भी बाजार से ले लेंगे। कुछ आंकड़े भी उनमें लिखे होते हैं कि उत्तर प्रदेश इतना वर्ग मील लम्बा है, इतने वर्ग मील चौड़ा है, तो ये चीजें इंफार्मेशन डिपार्टमेंट की कृपा से हर साल बहुत से पैम्फलेट्स के जरिये मिल जाती हैं। जब एक्नामिक ड्राइव हो रहा है तो डायरियां और पंचांग जो सूचना विभाग निकालता है, उनको आर्थिक दृष्टिकोण से बन्द कर दें और इससे मुक्ति दे दें।

बोर्ड आफ रेवेन्यू के संबंध में मैं यह अवश्य चाहूंगा कि इसको एबोलिश कर दिया जाय। बांचू जुडीशियल रिफार्म कमेटी ने सिफारिश की थी कि बोर्ड आफ रेवेन्यू की कोई आवश्यकता नहीं रही। इसके लिये सवा ४ लाख रुपया मांगा जा रहा है लेकिन अब यह एबालिश हो जाना चाहिये।

इसी तरह से जिले में न्याय की समस्या है। जुडीशियरी और एक्जिक्यूटिव ये अलग-अलग किये जा रहे हैं और इसके लिये जुडीशियल आफिसर्स की नियुक्ति हुई है। लेकिन अब क्या बात है? पहले एस० डी० एम० जुडीशियल आफिसर के स्थान पर काम करते थे लेकिन अब जुडीशियल आफिसर्स एक्जिक्यूटिव का काम करने लगे हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जुडीशियल आफिसर्स को परमानेंट करने व वेतन बढ़ाने का कारण यह है कि वे एक्जिक्यूटिव का काम करने लगे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार की यह मंशा नहीं थी और न होनी चाहिये कि जुडीशियल आफिसर्स एक्जिक्यूटिव फंक्शंस करने लगें और फिर वही पुरानी बातें जो थीं वे शुरू हो जायं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

आपको श्रीमन्, याद होगा कि सदन में कहा गया था कि तहसील अलग कर दी जयं, पट्टियां और परगने अलग कर दिये जांय, यह जिले की मांग है। मैं निवेदन करूं कि वह समय आ गया है जबकि जिलों की पुनः सीमा तय करने के लिये पुराने नये सब डिवीजन्स की पुनःवर्गीकरण की आवश्यकता है कि किसी सब-डिवीजन में दूसरा हिस्सा लगना अनिवार्य है, या कोई नई तहसील बनानी है, या कोई नया परगना बनाना है या नहीं? या कोई नया लेखपाल सर्किल बनाना है या नहीं? इसके लिये एक कमीशन या कमेटी बैठाई जाय जो प्रांत के शासन को नियंत्रित या विकेंद्रीकरण करने की दृष्टि से, जनता को सस्ता न्याय मिलने की दृष्टि से और शासकीय व्यय को भी सस्ता करने की दृष्टि से बनाई जाय और जो सब-डिवीजन्स की सीमा, परगना, तहसील और जिलों की सीमा को तय करे।

इसके साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एंटी करप्शन कमेटियां हैं। सारे यू० पी० के लिये, उनकी पब्लिसिटी के लिये ५०० रु० रक्खे गये हैं जो बहुत ही कम हैं। डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कमेटी ने जो सुझाव दिया था उनको सरकार ने स्वीकार कर लिया और हिदायतें जारी कर दीं। यह भी कहा गया है कि जो भ्रष्टाचार के केस बतलाने में मुखबिर का काम करेगा उसको पुरस्कृत किया जायगा। लेकिन मुझे अपने जिले का निजी तजुर्बा है कि एक सरकारी कर्मचारी ने एक भ्रष्टाचार की शिकायत मलेरिया विभाग के डी० एम० ओ० के बारे में की और कागजात भेजे। मैंने वे कागजात चेयरमैन को और गुप्ता जी को दिये, लेकिन बजाय इसके कि उस कर्मचारी को जिसने इस भ्रष्टाचार के कागजात दिये जो कि हजारों रुपया से संबंध रखता था उसको पुरस्कृत किया गया होता उस पर उल्टे मुकदमा चल रहा है, और जिसके खिलाफ सूचना दी उनकी तरक्की होकर वे असिस्टेंट डायरेक्टर हो गये हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि ये एंटी करप्शन कमेटियां नाम की रह जायंगी। इनको हमें वास्तविक अधिकार देने चाहिये और हमें यह भी तय कर लेना चाहिये कि अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत हो तो किस प्रकार उसकी खबर सरकारी कर्मचारी को देना चाहिये, एंटी करप्शन कमेटी को वह किस प्रकार इत्तिला दे और उसका क्या हश्र होगा।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जिक्र है लेकिन जब से यह स्थापित हुआ तब से ३९ मामले पेश हुये। लेकिन मैं यह नहीं समझता कि माननीय मंत्री और यह सदन यह समझता होगा कि भ्रष्टाचार इस प्रदेश में इतना कम हो गया है क्योंकि ३९ मामले ३ साल के अन्दर आये और २० कर्मचारी डिसमिस हो सके।

मैं श्रीमन्, समाचार पत्रों को यहां उद्धृत तो नहीं कर सकता लेकिन मैंने कल यह पढ़ा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में यह घोषणा की थी कि वह आदेश निकालने वाले हैं कि जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। मिसाल के लिये यह कि जितने सरकारी अफसर हैं वह अपना एक एकाउन्ट दें कि कितनी उनके पास कुल चल अथवा अचल संपत्ति है। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सही है लेकिन अगर वह ऐसा करें तो वह हमारी बधाई के पात्र होंगे क्योंकि भ्रष्टाचार को कम करने के लिये और यह दिखलाने के लिये ही नहीं कि हमारे अफसर ईमानदार हैं, बल्कि इसलिये भी कि दुनिया देखे कि वह ईमानदार हैं इसकी जरूरत है, जैसा कि पं० नेहरू ने कहा था हमें ईमानदार रहना ही नहीं चाहिये बल्कि लोग यह देखें कि हम ईमानदार हैं, तो इसलिये हमें बहुत से ऐसे कदम उठाने होंगे कि जिन से हम इस देश में और प्रदेश में भ्रष्टाचार को, यह एक विश्वास जो कि निर्मूल होते हुये भी कुछ चल रहा है जरूर इसको बन्द करने के लिये सक्रिय कदम उठा सकें।

महाराज कुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, जिस विषय के सम्बन्ध में एक व्यक्ति पहले से ही अपनी कमजोरी माने, उसको यहां दोहराना मैं समझता हूं कि क्रूर बुद्धि प्रकट करना होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और वह हमारे बधाई के पात्र हैं कि जिस निसंकोच

रूप से उन्होंने मुख्य मंत्री का पद ग्रहण करने के बाद यह आम महफिलों में कहा था कि पहाड़ी जिलों के सम्बन्ध में उनको बहुत कम जानकारी है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर केवल मात्र कुछ सुझाव दे कर मैं उनसे यह आशा करूंगा कि वह पहाड़ी जिलों की जो विशेष और विभिन्न समस्यायें हैं उन पर उचित विचार करके उचित कार्यवाही करें। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के सामान्य प्रशासन के बजट पर जो बहस हो रही है उसमें केवल मात्र चन्द जिलों के विषय में यह कहना उचित नहीं होता किन्तु आप मानेंगे कि इस अवसर को छोड़कर और कोई ऐसा अवसर हमको नहीं मिलता कि जब हम माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने सुझाव रख सकें। यह भी मानी हुई बात है कि जितनी इन पहाड़ों के चार जिलों और इसमें पांचवां देहरादून जिले को भी शामिल करता हूं, इन पांच जिलों की जितनी समस्यायें हैं वह वास्तव में और जिलों से बिल्कुल ही भिन्न हैं। यह भी मानी हुई बात है कि हमारे सम्पूर्ण मंत्रिमंडल में, मैं समझता हूं कि माननीय नेगी जी के अलावा और चन्द एक लोगों के अलावा और कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है जिसको पहाड़ पर जाने का अब तक अवसर मिला हो। मैं जब पहाड़ का जिक्र करता हूं अध्यक्ष महोदय, तो मैं नैनीताल का जिक्र नहीं करता, हालांकि नैनीताल पहाड़ में है। लेकिन केवल नैनीताल जाने से यह समझना कि सारे पहाड़ों की समस्या की जानकारी वहां पर बैठ कर हो सकती है, गलत होगा। अध्यक्ष महोदय, पहाड़ों की बहुत सी समस्यायें हैं किन्तु मैं इस समय केवल एक ही समस्या माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और वह यह कि पहाड़ के निवासी समझते हैं और उनका यह भाव है कि लखनऊ की सरकार के पास उनके बारे में कोई खास या विशेष जानकारी नहीं है और जिसका फल यह होता है कि उनके भाग्य का निर्णय बगैर निजी जानकारी के होता है। यह मैं मानता हूं, अध्यक्ष महोदय और सब जानते हैं कि सेक्रेटेरियट में बहुत से अफसर ऐसे हैं जिनको कि वहां पहाड़ों पर रहने का बहुत अवसर प्राप्त हुआ। उनको अनुभव है, किन्तु यह डेमोक्रेसी के युग में यदि हमारा मंत्रिमंडल केवल मात्र सेक्रेटेरियट के ऊपर ही निर्भर रहे और जानकारी के लिये स्वयं जानकारी प्राप्त न कर सके, तो मैं समझता हूं कि यह गलत होगा। इस परेशानी को मैं समझता हूं कि एक ही रीति होगी कि जिससे यह दूर की जा सकती है, और वह यह कि मंत्री महोदय पहाड़ों की आवाज यहां तक पहुंचाने के लिये कोई तरीका निकालें।

मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि मन्त्री पद ग्रहण करने के बाद शीघ्र ही उन्होंने एक कुमायूं बोर्ड स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे शंका है कि यह बोर्ड कुछ विशेष काम कर सकेगा। इसके पहले भी एक कुमायूं फारेस्ट कमेटी है, जिसका सदस्य मैं भी हूं। उसके अतिरिक्त एक कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड और है जिसके मैं सुनता हूं कि हमारे नेगी जी सभापति हैं। इन दोनों कमेटियों की जो कार्यवाही हुई है, और जो प्रगति हो पायी है, उनको ही अगर ध्यान में रखा जाय तो मैं मन्त्री महोदय से यह कहूंगा कि इस प्रकार कमेटियां बनाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। किन्तु मैं समझता हूं कि जो मंत्री मण्डल ने इस बार जिस बात का निश्चय कर लिया है कि एक बार फिर कमिश्नरों को रिवाइव किया जाय, मैं समझता हूं कि उसको यदि इस दिशा में काम में लाया जाय तो पहाड़ों की समस्या कुछ हद तक तक दूर हो सकती है। डीसेन्ट्रलाइजेशन की चर्चा करते समय अक्सर यह कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर डीसेन्ट्रेलाइजेशन किया जाय। यह एक विवाद का विषय है कि किस लेविल पर किया जाय? कुछ लोगों की राय यह है कि केवल दिल्ली से ही पूरे भारत का प्रशासन हो सकता है। कुछ यह कहते हैं कि लखनऊ से ही पूरे उत्तर प्रदेश का प्रशासन हो सकता है और जैसा मैंने कहा कि कुछ लोगों की राय यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल में ही कुछ असेम्बली की तरह की तस्वीर कायम की जाय, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं और उस लेविल में डीसेन्ट्रेलाइजेशन लाया जाय। वाकई मेरे खयाल में डिस्ट्रिक्ट लेविल में डीसेन्ट्रेलाइजेशन लाना शायद सरल नहीं होगा, इसलिये मेरा सुझाव यह होगा कि कमिश्नरी लेविल पर, यानी ४, ५ जिलों को इकट्ठा करके उस लेविल में वास्तव में डीसेन्ट्रेलाइजेशन स्थापित किया जाय। डीसेन्ट्रेलाइजेशन भी एक बहुत ही

[महाराजकुमार बालेन्दु शाह]

इल्यूसिव टर्म है और जहां तक जनता का तात्पर्य है, मैं तो यही समझ पाया हूं कि उनकी एक मांग है डीसेन्ट्रेलाइजेशन पर, और वह यह है कि उन की जो शिकायतें हैं, वह कोई फौरन सुन ले और फौरन उत्तर मिल जाय। आज जो प्रथा है कि टेहरी-गढ़वाल का एक आदमी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पेटीशन दे या शिकायत करे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको 'इन हिज गुड टाइम' लखनऊ भेजता है, और सेक्रेटेरियट में गुड टाइम में वह फाइल घूमती है, और अन्त में मंत्री महोदय के पास आती है। सम्भवतः कभी-कभी दुबारा रिफरेंस में वह फाइल दुबारा घूमेगी और कहीं दो वर्ष में, जैसा नारायणदत्त जी ने कहा कि पेटीशन का जो फेट है, वह दो, तीन साल के बाद उसका नतीजा पहुंचता है। इस लिए यदि जनता की शिकायत, चाहे उसकी शिकायत नामंजूर ही क्यों न हो, किन्तु जनता की मांग है कि उसकी सुनाई फौरन हो जाय और यह आशा करना कि लखनऊ में पूरी एक्जीक्युटिव मैशिनरी है और यह कहना कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में अधिकार है, मैं समझता हूं कि उसकी पोजीशन को मैगनीफाई करना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में अवश्य काफी अधिकार हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश कम ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं जो अपना इनशियेटिव चलाने के लिए हिम्मत रखते हैं। मैं अपने जिले के अनुभव से कह सकता हूं कि मर्जर के बाद ४ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो चुके हैं और उनमें से एक ही ऐसे निकले, नाम लेना अनावश्यक है जो कि वास्तव में जो सही समझते थे वही करते थे और अभी भी कानून से बाहर नहीं जाते और इस तरह से जनता की सुनाई करते हैं और सन्तोष देते हैं।

समय न होने के कारण अन्त में मैं यही कहूंगा कि पहाड़ी जिलों की समस्यायें विशेष और विभिन्न हैं। मन्त्री महोदय जो कुछ भी इस दिशा में करने का विचार रखते हों उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, मगर मैं समझता हूं कि समय अब उचित आ गया और आवश्यक हो गया कि कम से कम पहाड़ों के सम्बन्ध में एक ऐसी स्टैन्डिंग कमेटी बने, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेविल पर हो या कमिश्नरी लेविल पर, चाहे इस सदन की एक स्टैन्डिंग कमेटी हो, जैसे और विभागों की होती है और उन स्टैन्डिंग कमेटीज को कुछ हद तक अधिकार दिया जाय, जो कुछ भी पहाड़ों के सम्बन्ध में सरकार के करने का विचार हो, स्टैन्डिंग कमेटीज के द्वारा यहां आये, ताकि जो जनता की शिकायत है कि इस सदन के सदस्यों की कम जानकारी के कारण या कम दिलचस्पी के कारण, उनके पिछड़े होने के कारण दिलचस्पी कम हो या और चाहे कोई कारण हो, जो भी हो, उसका जो दुष्फल उनके ऊपर आज पड़ रहा है, उनको इसी रूप से दूर किया जा सकता है कि उनको जब दिखाया जाय कि उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड कमेटी है या चाहे जो भी हो, या और जो भी कमेटी माननीय मन्त्री जी सोचें किन्तु यह आवश्यक है कि पहाड़ों के लिए ऐसा कोई रास्ता निकाला जाय। मैं माननीय सदस्यों का कोई अपमान नहीं करना चाहता, किन्तु वास्तव में बात यह है कि जो प्लेन्स के सदस्य होते हैं, उनको पहाड़ों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं होती। मुझे हालांकि त्रिपाठी जी के जिले फैजाबाद के बारे में भी बोलने का अधिकार है, किन्तु मैं वहां के बारे में कुछ नहीं जानता। तो इस एनामली को दूर करने के लिए मन्त्री महोदय को कोई न कोई उपाय निकालना चाहिए।

*श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री ने अपना पद ग्रहण करने के साथ-साथ निम्नकोटि के कर्मचारियों के सम्बन्ध में और इस सचिवालय के कार्यकरों के कार्य करने के घंटों के सम्बन्ध में जो शीघ्र निर्णय किये, उनके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। मैं आज एक विशेष विभाग की ओर आपके द्वारा उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यद्यपि हमारे संविधान को लागू हुए कई वर्ष हो गये, यद्यपि हमारे प्रदेश में नयी परम्परायें उभर रही हैं, जो कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के शब्दों में ही हमारे प्रदेश के शासन यंत्र को नया जामा पहना रही हैं, लेकिन एक विभाग निश्चय रूपेण ऐसा रहा है जिसकी अब तक उपेक्षा हुई है, यद्यपि सर्वप्रथम उसी की ओर माननीय मुख्य मन्त्री, मन्त्रि मण्डल और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सदन का ध्यान आकर्षित होना चाहिए था। मेरा मतलब विधान सचिवालय से और उसके कर्मचारियों से है। हमारे संविधान के आर्टिकिल १८७ में इस सचिवालय के कार्यकरों के सम्बन्ध में इस प्रकार कुछ बातें निर्धारित हैं। उनमें से एक बात तो यह थी, जिसकी ओर मैं माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान आपकी आज्ञा से दिलाना चाहूंगा :—

"The Legislature of a State may by law regulate the recruitment and the conditions of service of persons appointed to the secretariat staff of the House Or Houses of the Legislature of the State".

और रूल ३, १८७ में यह दिया है—"Until provision is made by the Legislature of the State under clause (2) the Governor may, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be, make rules regulating the recruitment and the conditions of service of persons appointed to the secretariat staff of the Assembly or the Council and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause."

श्रीमन्, पिछले वर्ष मेरे एक माननीय मित्र ने इस भवन में कुछ प्रश्न माननीय न्याय मन्त्री से किये थे। उन प्रश्नों के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कहा गया था कि इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। मुझे खेद है कि आज तक न तो जहां तक मेरी जानकारी है, कोई रूल्स ऐसे बने हैं जिन पर कि सरकार ने माननीय स्पीकर महोदय की राय से इन कर्मचारियों और कार्यकरों के सम्बन्ध में कोई निश्चित रूपरेखा तैयार की हो और न तो इस भवन में ही इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई विधेयक सरकार ने उपस्थित किया है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस भवन की प्रतिष्ठा, इस संविधान का आदर, दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इस विभाग के कर्मचारियों को और उनके काम करने की शर्तों को संविधान की मंशा को पूरा करते हुए अलग कर दिया जाय। श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में दो चार बातें और कहना चाहूंगा। हमारे देश में जो हमारी पार्लियामेंट है, उसका सेक्रेटेरियट का स्टाफ, उस स्टाफ का डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट माना जाने लगा है, लेकिन हमारे यहां एक अजीब सिलसिला है। हमारे सेक्रेटेरियट के कर्मचारियों का जो यह विभाग है, इस विभाग को लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के मातहत माना जाता है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसको ज्यादा विवाद बनाने की आवश्यकता नहीं है। इशारा आप कर सकते हैं, क्योंकि डेलीकेट मामला पड़ता है। इसके विषय के साथ मेरा भी सम्बन्ध आता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। तो मुझे आशा है कि उन सभी बातों पर सरकार का ध्यान निश्चय ही आकर्षित होगा और यह सरकार शीघ्रातिशीघ्र ऐसा कदम उठा सकेगी जिससे यह कमियां पूरी हो सकें।

मैं दो चार बात छोटे कर्मचारियों के बारे में भी कहना चाहूंगा। सेक्रेटेरियट के जो विभिन्न विभाग हैं, उनके जो कैशियर हैं, उनको, जो कि २५,००० से अधिक कैश एक महीने में हैन्डिल करते हैं, पहले २५ रुपया स्पेशल पे दी जाती थी। पारसाल के बजट से २५ रुपये से ४० रुपये कर दिये गये। लेकिन हमारे इस सेक्रेटेरियट विभाग के जो कैशियर हैं, जो वर्ष में करीब करीब १५ लाख रुपया डिस्बर्स करते हैं (१० और १५ लाख के बीच में करते हैं) जिसका औसत ८०-९० हजार रुपया महीने में आता है, उनको एक रुपया महीना भी स्पेशल पे नहीं दी जाती! यद्यपि जो सेक्योरिटी उनको डिपाजिट करनी पड़ती है, वह कहीं ज्यादा है उससे जो अन्य विभागों के कैशियर्स को देनी पड़ती है।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

साथ ही इसके श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार का नियम है कि ३ वर्ष तक जो कोई पोस्ट चली आवे, वह आटोमैटिक परमानेंसी का हकदार हो जाता है, लेकिन यह जो हमारा विभाग है, इसके कर्मचारियों की जो आवाज मुझ तक पहुंची है, वह यह है कि कई कर्मचारी ऐसे हैं जो तीन साल से चले आ रहे हैं, लेकिन .....।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप उसी ओर बढ़ रहे हैं। आप स्वयं स्वतंत्रता चाहते हैं, दूसरी तरफ आप सामान्य प्रशासन के ऊपर जोर डाल देते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैं उसे छोड़े देता हूं। साथ ही एक बात मैं आपके द्वारा जो आम बात है, उसके सम्बन्ध में भी माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्य मन्त्री बहुत दिनों तक और आज भी हमारे प्रदेश के श्रम आन्दोलन के साथ सम्बन्धित रहे। वह यह भी जानते हैं कि जो प्राइवेट कारखाने हैं, छोटे-मोटे कारखाने हैं, वहां रूल है स्टैन्डिंग आर्डर्स के मुताबिक कि ६ महीने की सर्विस अगर कोई करे तो वह परमानेंसी का हकदार हो जाता है, लेकिन यह एक आम शिकायत है सरकार के खिलाफ कि चाहे कोई विभाग हो, कैसा भी क्यों न हो, वहां २५ साल और ३५ साल और कुछ-कुछ मानों में तो तीन साल पहले ४५ साल तक भी टेम्पोरेरी रहते थे। रिटायर होने के बाद जब वह घर आते थे तो एक पैसा भी पेंशन के नाम पर लिये बगैर लौट आते थे। स्वराज्य के बाद भी, अगर पुरानी किताबों की कसम खावें तो आपका चाहे जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, वह कहे कि हमको रूल दिखाओ तो न उसका दिखाना हमारे लिए सम्भव है, और न मुमकिन है, क्योंकि कोई नया रूल इस दिशा में स्वराज्य के बाद बनाया ही नहीं गया। इसी सम्बन्ध में एक दृष्टांत और देना चाहता हूं। कुछ समय हुआ एक बेचारा गरीब क्लार्क अन्धा हो गया। उसकी ९ वर्ष की नौकरी थी। उसकी आंखों के अन्धे होने का कारण उसके डिपार्टमेंट के सुपरिन्टेंडेंट और सेक्रेटरी के शब्दों में यह था कि उसको बहुत ज्यादा एग्जर्शन पड़ा, बहुत ज्यादा काम हमने लिया। तो इस वजह से वह अन्धा हो गया। ९ वर्ष की सर्विस के बाद, जब वह अन्धा हो गया, तो मेडिकल बोर्ड के सामने यह कह दिया गया कि तुम तो अनफिट हो, अब तुम इस काबिल नहीं रहे कि हमारे इस्तेमाल में आ सको और आज से दो वर्ष पहले, उस आदमी को नौकरी से अलग कर दिया गया! वह अंधा होकर, इस सरकार की सेवा करता-करता अपने घर चला गया। आज उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है! इस सरकार में उसने नौ साल की सर्विस की। अगर उसकी कुल लीव जोड़ ली जाय तो उसकी सर्विस १० साल कुछ महीने की हो जाती है। लेकिन फाइनेंस का यह कहना है कि तुमने काम तो नहीं किया, इस लिए छुट्टी सर्विस में क्यों शामिल की जाय ? मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहता हूं कि वह अपने जमाने में जितनी जल्दी हो इस प्रकार के गलत कानूनों को बदल दें, ताकि सरकारी कर्मचारी समझने लगें कि उनके साथ इन्सान की तरह से बर्ताव हो रहा है। क्योंकि यह कानून जो बनते हैं वह हमारे हित के लिए बनते हैं, अहित के लिए नहीं बनते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस सचिवालय और विधान सभा के कर्मचारियों के बारे में आपके द्वारा दिलाऊंगा कि वह शीघ्र से शीघ्र उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--अध्यक्ष महोदय, पहले इसके कि मैं कुछ निवेदन करूं, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी को, जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं कि 'शार्ट ऐन्ड स्वीट' भाषण पर उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि अन्य मन्त्री भी उनका अनुकरण करेंगे। श्रीमन्, अभी माननीय नारायणदत्त जी तिवारी के भाषण में मैंने वह शब्द फिर सुना जो बजट में बराबर सुनने में आता है और वह शब्द उधर से ही नहीं बल्कि इधर से भी दुहराया जाता है। उन्होंने नौकरशाही के बारे में कुछ कहा है श्रीमन्, नौकरशाही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई जानवर या चिड़िया नहीं है, बल्कि यह एक मेन्टैलिटी हुआ करती है और अगर कोई यह कहे कि हमारी नौकरशाही की मेन्टैलिटी में कोई फर्क नहीं हुआ है और अभी भी वैसे ही कायम है जैसी कि अंग्रेजी जमाने में थी श्रीमन्, यह झूठ नहीं, तो असत्य जरूर होगा। ढांचा हो सकता है, हमें यह देखना है कि इसमें काम कैसे हो रहा है ?

श्रीमन्, इसके कहने में मैं कोई हिचकूंगा नहीं कि आजकल की परिस्थिति को देखते हुए, आजकल की कठिनाइयों को देखते हुए, और आजकल के समय को देखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश का शासन सर्वोत्तम है और शायद हमारे मित्र जो उधर बैठे हुए हैं इसको सुनना पसन्द नहीं करते क्योंकि वह यहां से बाहर नहीं गये। श्रीमन्, मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि मैं एक काम से चार प्रदेशों में गया, उड़ीसा गया, आंध्र गया, मदरास गया और मध्य प्रदेश गया। मैं कोई पामिस्ट की बात नहीं कहता हूं बल्कि अपोजीशन की बात कहता हूं कि सब उत्तर प्रदेश के शासन की तारीफ करते हैं। श्रीमन्, हमारे मित्र एक ही ढांचे में देखकर और ओवरआल पिक्चर न देख कर गुस्से में खड़े हो जाते हैं कि फलां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अच्छा नहीं है, गुस्से में खड़े हो जाते हैं कि फलां तहसीलदार अच्छा नहीं है, ठीक काम नहीं कर रहा है। बजट के समय हमें यह देखना चाहिए कि शासन की ओवरआल पिक्चर क्या है ? मैं फिर दुहराता हूं कि हमारे यहां की ओवरआल पिक्चर अत्यन्त सुन्दर है।

हमारे माननीय नारायणदत्त तिवारी ने ऊपर के अफसरों की ओर इशारा करते हुए उनके वेतन के बारे में कहा कि उनका वेतन कम हो, अगर सरकार कम कर सके, नहीं तो आफिसर्स स्वयं कर लें। माननीय नारायणदत्त जी शायद जानते हैं कि नीचे के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए और उनका स्तर ऊंचा करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है ? श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि हम इसके लिए जल्दबाजी ऊपर के अफसरों के वेतन के काटने में न करें। मेरा ख़याल तो यह है कि उनका वेतन काटे बगैर नीचे के कर्मचारियों का वेतन इतना ऊंचा उठेगा कि ज्यादा डिसपैरिटी नहीं रह जायगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि ऊंचे वेतन पाने वाले कर्मचारियों का पैर नीचे घसीट दिया जाय, किन्तु देखना यह है कि जितना रुपया उससे बचायेंगे, और अगर इतना रुपया बचा लिया गया तो इससे क्या हालत हो जायगी ? क्या इतने रुपये को बचाकर हम नीचे के कर्मचारियों को उठाकर उनके समान ले जायेंगे ? श्रीमन्, वेतन तो उनको उतना ही मिलेगा, जहां पर वह जिस शासन में हैं और जहां जिस शासन प्रणाली में हैं, जितना वह काम करते हैं। और जिस किस्म का काम करते हैं उस काम को करने के लिये उस जगह पर उनको रहना पड़ेगा। कभी कोई कहता है कि मोटर उनको दी जाती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि बिना मोटर के शासन नहीं हो सकता है। बिना मोटर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहीं पर नहीं जा सकता है। श्रीमन्, यह कैसे सम्भव हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक बैलगाड़ी पर दौरा करे ? मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपत्ति के साथ इसको कहता हूं कि आजकल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनको आज जनता से उतना सम्पर्क नहीं है, जितना कि पहले था। इसका कारण यह है कि आज डिसेन्ट्रलाइजेशन का जमाना है और उनके ऊपर बड़ा बोझ डाल दिया गया है। उनके पास काम करने के लिए बहुत काम है। बहुत लोगों से उनको मुलाकात करनी पड़ती है किन्तु यह सब होते हुए भी यह निश्चित है कि उनका जनता से सम्पर्क घटता चला जा रहा है। मुझे यह मालूम है कि पारसाल यह आर्डर दिया गया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इतने दिनों का दौरा अवश्य साल भर में करें, मैं समझता हूं यह जरूरी नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि जहां पर जनता भूखी है, जहां पर जनता को कष्ट है और जनता में बेकारी है, वहां कम से कम जनता को इतना सन्तोष और आश्वासन तो होना चाहिए कि वह जब जी चाहे, तब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जा सके। मैं देहात का रहने वाला हूं, इस बात को जानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस के सिर्फ दौरा करने से ही जनता को बड़ा सन्तोष होता है, क्योंकि इससे वह इस बात को जानते हैं कि यह लोग जनता का बड़ा खयाल करते हैं।

[श्री सुरेशप्रकाश सिंह]

सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के बारे में मेरा यह निवेदन है कि यदि सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट का हेडक्वार्टर तहसील पर कर दिया जाय, तो इससे केवल जनता का सम्पर्क ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि जनता के लिए बहुत ही बड़ी सुविधा की यह बात होगी। गरीब जनता को छोटे-छोटे मामले जैसे १०७ के मुकदमे हैं, जो महीनों चलते हैं, न मालूम उनको हेडक्वार्टर पर कितनी दूर जाना पड़ता है ? न मालूम एस० डी० ओ० के पास कितना काम है ? ऐसा नहीं हो सकता कि जो तारीख दी गयी है, उस तारीख को मुकदमा हो जाय। उनको लौटना पड़ता है और फिर जाना पड़ता है। उनका कष्ट बहुत बढ़ जाता है। बहुत समय लग जाता है, एक-एक मुकदमे के फैसले के लिए और काफी आर्थिक नुकसान भी उनको होता है। इस कारण यदि सरकार इस बात पर विचार करे कि उन अड़चनों को हटा दिया जाय तो वह इस प्रकार के आदेश जारी कर सकती है कि सब डिवीजनल ऑफिसर का हेडक्वार्टर तहसील में बदल दे।

देहाती क्षेत्रों में काम करने के आधार पर मैंने एक चीज और देखी और वह यह है कि यदि कहीं पर एस० डी० ओ० दौरा करने के लिए देहात में जाते हैं, तो अक्सर वह मुकदमे वहीं पर लिया करते हैं। तो ऐसा होता है कि जिस गांव के लोगों के मुकदमे हैं, उस गांव से वह जगह करीब १०, १५ मील के फासले पर होती है, और अगर एस० डी० ओ० साहब को वहां पर कोई जरूरी काम आ गया, या कोई कठिनाई आगयी, तो वह कह देते हैं कि आज नहीं ४ दिन के बाद मुकदमों की सुनवाई की जायगी। आप उनके कष्ट का अनुभव कर सकते हैं कि उन लोगों को कितना कष्ट होता होगा ? अगर फिर हेडक्वार्टर की तारीख दी गयी तो उनका कष्ट और समय बरबादी को आप समझ सकते हैं कि वहां पर १०, १५ मील के फासले पर वह २,३ दिन तक पड़ा रहा, फिर वहां से वापस आया, और फिर उसको हेडक्वार्टर पर जाना पड़ा उस तारीख के लिए, तो उनको बड़ा कष्ट होता है। इस ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बतलाया कि उन्होंने आदेश जारी कर दिये हैं कि सेक्रेटेरियट में जो अफसर यहां पर हैं, वह बहुत दिनों तक यहां नहीं रह पायेंगे। उनका जेहन कुन्द न हो जाय, इसलिये उनको जिलों में भेजा जायगा ताकि वहां पर वह अनुभव प्राप्त करें और वह जनता के सम्पर्क में आयें और इसी तरह से वह ऑफिसरान जो जनता के सम्पर्क में रह चुके हैं, उनको वहां का कुछ अनुभव हो चुका है, वे सेक्रेटेरियट में आयें और यहां काम करें। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस आदेश के लिए धन्यवाद के पात्र हैं तथा मैं समझता हूं कि इससे शासन में जो कमियां हैं, वे पूरी हो जायंगी।

*श्री सुल्तान आलम खां—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सदन में सामान्य प्रशासन का मुख्य मन्त्री के तौर पर पहला बजट पेश किया है। हमें यह इल्म है कि हमारे मुख्य मन्त्री पुराने एजुकेशनिस्ट हैं। इसके अलावा यह भी हमारी खुश किस्मती है कि वे हमारे चीफ मिनिस्टर होने के साथ ही साथ पुलिस मिनिस्टर भी हैं। नीज मुख्य मन्त्री होने के बाद उन्होंने इस सूबे में इन्कलाब शुरू कर दिया है। माननीय मुख्य मन्त्री ने अपनी तकरीर में बताया कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर होने के बाद कई काम किये हैं। सबसे पहला काम यह किया कि छोटी तनख्वाह वालों की तनख्वाहें बढ़ा दीं, मुमकिन है कि उस हद तक न बढ़ी हों जितनी हम तवक्को करते थे। इसके अलावा उन्होंने सेक्रेटेरियट आफिसरों को जिले में और जिले के आफिसरों को सेक्रेटेरियट में तब्दील किया है। इसके अलावा उन्होंने और भी काम शुरू किये, जिनके मातहत उन्होंने इस बात की कोशिश की कि सेक्रेटेरियट के अन्दर शासन का जो इन्तजाम है, उसको रिआर्गनाइज किया जाय। जनाब-वाला, यह सही है कि सेक्रेटेरियट लेविल पर हमारे सूबे में जो इन्तजाम है, उसके लिए मैं इत्मी-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नान के साथ कह सकता हूं कि हमारा सूबा किसी दूसरे सूबे से पिछड़ा हुआ नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो शासन हमारे डिस्ट्रिक्ट लेविल पर है, वह जैसा अर्से से चला आ रहा है वैसा ही है, उसमें कोई रिआर्गनाइजेशन नहीं हुआ है। उसकी तरफ माननीय मुख्य मन्त्री को तवज्जह देने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर आर्गनाइज करने के लिए एक कमेटी बिठा दी जाय। वह ऐसी ही एक्सपर्ट कमेटी हो, जैसी कि सेक्रेटेरियट के लिए तजवीज हुई थी। वह कमेटी जिलों में शासन के रिआर्गनाइजेशन के बारे में देखे। वह यह देखे कि वहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से डिसेन्ट्रलाइज और रिआर्गनाइज किया जा सकता है, नीज वहां के डिपार्टमेंट्स में किस तरह से कोआर्डिनेशन पैदा किया जा सकता है ? जहां तक कोआर्डिनेशन का ताल्लुक है वह वहां के आफिसरान या डिपार्टमेंट्स के दरमियान ही न हो बल्कि आफिसरान और पब्लिक के दरमियान होना चाहिए। जब कि हम एक तरफ माननीय मुख्य मन्त्री और गवर्नमेंट से कुछ तवक्को करें, हमारे सूबे की तमाम पोलिटिकल पार्टीज का यह फर्ज हो जाता है कि वह डिस्ट्रिक्ट आफिसरान को मैक्सीमम सपोर्ट दें जिससे मैं समझता हूं कि जिले का शासन बेहतर हो सकेगा।

जनाबवाला, अभी हमारे मुख्य मन्त्री को और भी कई चीजों की तरफ तवज्जह देनी होगी। जहां तक इस सेक्रेटेरियट यानी एसेम्बली डिपार्टमेंट का ताल्लुक है अभी कुछ लोगों ने उसका जिक्र किया। मैं भी इस बात को कह देना मुनासिब समझता हूं कि एसेम्बली डिपार्टमेंट का भी रिआर्गनाइजेशन करने की जरूरत है। जनाबवाला, जहां तक असेम्बली और लेजिस्लेशन का ताल्लुक है, उसकी तरफ तो तवज्जह दी ही जाय, लेकिन उसके अलावा वाच ऐन्ड वार्ड का जो सिस्टम है, वह सीधा स्पीकर साहब के मातहती में होना चाहिए।

एक चीज मैं और माननीय मन्त्री जी की तवज्जह के लिए अर्ज करना चाहता हूं। इस सूबे में कुछ अरसा पहले एक कौंसिल ऑफ फिजिकल कल्चर बनी थी। जिस जमाने में कौंसिल आफ फिजिकल कल्चर कायम था, उस जमाने में हमारे मुख्य मन्त्री जी वजीरेतालीम थे। जहां तक मेरा खयाल है, उसके मातहत सर्वे वगैरह कराया गया, लेकिन बाद में उसे एबालिश कर दिया गया। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि जहां तक नेशनल हेल्थ का ताल्लुक है, यह एक बड़ी जरूरी चीज है। उस कौंसिल के एबालिश होने के बाद उसका काम पी० आर० डी० को दे दिया गया और फिर प्लानिंग कमेटी को दे दिया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए इस बात की जरूरत है कि कौंसिल आफ फिजिकल कल्चर में सुधार हो, जिससे सूबे के तमाम लोगों के हेल्थ की तरफ काफी तवज्जह की जा सके और इसके लिए हमारा पूरा कन्टैक्ट हो।

अभी मौजूदा राज्य के बजट में एक नया पोर्टफोलियो सोशल वेलफेयर कायम किया गया है। यह सही है कि आजकल के बदलते हुए जमाने में, बिलखुसूस उस जमाने में जब कि जिन्दगी के हर शोबे में प्लानिंग की जरूरत है, एक ऐसा डिपार्टमेंट कायम किया जाय। तो मैं यह चाहता हूं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा अपनी तवज्जह आर्ट्स की तरफ करे। हमारे यहां बहुत से आर्टिस्ट्स हैं, जिनकी जिन्दगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही है, इसलिए उनकी दिक्कतों और दुश्वारियों की तरफ तवज्जह देने की ज्यादा जरूरत है। मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे सूबे के अन्दर एक मिनिस्टर ऐसा हो जिसके पास यही "सरप्राइज चेक्स" पोर्टफोलियो रहे, और वह बराबर सूबे के अन्दर दौरा करे, लोगों से कन्टैक्ट करे और जो उनकी दिक्कतें और दुश्वारियां हैं उनको मन्त्रिमण्डल के सामने पेश करे। इसलिए कि "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड"। अभी जो पेटीशन का काम हमने शुरू किया है उससे ज्यादा कामयाबी हो सकती है और इस से बहुत काम निकल सकता है। मैं समझता हूं कि सेक्रेटेरियट के अन्दर काफी तरक्की हुई है। पिछले जमाने में पंत जी और हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने भी इस तरफ काफी तवज्जह की है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कहीं-कहीं रेड टेपिज्म का सामना करना ही पड़ता है। इस सिलसिले में मैं चीफ मिनिस्टर

[श्री सुल्तान आलम खां]

साहब की खिदमत में पेंशन डिपार्टमेंट का मामला पेश कर रहा हूं। पेन्शन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत हमदर्दी से काम होना चाहिए। लेकिन मैंने यह देखा है कि कई-कई साल हो जाते हैं लेकिन लोगों को पेन्शन नहीं मिलती है। उनकी दिक्कतों व दुश्वारियों की तरफ थोड़ी सी तवज्जह की जाय तो उनका भी काफी सुधार किया जा सकता है और इस से बहुत अच्छे तरीके से काम भी चलने लगेगा। जनाबवाला, मैं जानता हूं कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब ने काम की इब्तदा की है और उनको तमाम सूबे का मैक्सिमम कोआपरेशन और सपोर्ट मिले तो इससे हालत बहुत बेहतर हो सकती है और आज का शासन भी अच्छे तरीके से ऊंचा उठ सकता है। डिस्ट्रिक्ट शासन के मुतल्लिक जैसा कि मैं अभी अर्ज कर चुका हूं कि उस तरफ खास तवज्जह देने की जरूरत है और कुछ काम को इस तरीके से आर्गेनाइज करने की जरूरत है, जिससे काम में कोई दिक्कत बाकी न रहे। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाय कि जिले में बहुत सी कमेटीज बनी हैं, जेल कमेटी है, हास्पिटल कमेटी है, एन्टी करप्शन कमेटी है, प्लानिंग कमेटी है। मेरा खयाल है कि प्लानिंग का काम अब इतना वसीय हो गया है कि उसके मातहत सारे काम आ जाते हैं। इस लिए अगर इस बात पर गौर किया जाय तो कोई नामुनासिब नहीं होगा कि जितनी कमेटीज जिले में काम करती हैं वे सब की सब प्लानिंग कमेटी के ही मातहत हों, इससे काम भी अच्छी तरह से हो सकेगा। जहां तक डिसेन्ट्रलाइजेशन की बात है उसके लिए इस तरफ तवज्जह करने की जरूरत है कि परगना हाकिम या एस० डी० ओ० का हेड क्वार्टर जिले से हटा कर तहसील में कर दिया जाय, यानी उसका सेन्टर जिले में न होकर तहसील में होना चाहिए। उससे प्लानिंग का काम भी अच्छी तरह से होगा, क्योंकि तहसील प्लानिंग कमेटीज भी होंगी ही। और इससे लिटिगेन्ट पब्लिक को भी आराम हो सकता है, और अगर एस० डी० ओ० के हेडक्वार्टर्स तहसील के सदर मुकाम पर बनाये जायं। इससे लोग बहुत आसानी के साथ अपनी शिकायतें और दिक्कतें उनके सामने रख सकेंगे। हमारे कांस्टीटयूशन में भी सब से छोटे से छोटा यूनिट पंचायतों को माना है। तहसील तो हमारा बहुत बड़ा यूनिट है, हमारे यहां तहसील हैं, उसके बाद परगना है, और उसके बाद जिला होता है। मेरी तो यह राय है कि जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा डिसेन्ट्रेलाइजेशन किया जाय और तहसील को ही हेडक्वार्टर मान कर वहीं एस० डी० ओज० को रखा जाय और इस तरह से डिसेन्ट्रेलाइजेशन की तरफ कदम उठाना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं इस ग्रान्ट को सपोर्ट करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी जो अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसके लिए उन को बधाई देता हूं। श्रीमन्, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रदेश के जिस प्रगति की ओर अग्रसर होने की ओर प्रकाश डाला है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, पर साथ ही मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि शासन ने, या मुख्य मन्त्री जी ने जो प्रगति या जो क्रान्तिकारी कदम इस समय उठाये हैं, वह अभी सन्तोषप्रद या जनता के असन्तोष को मिटाने वाले नहीं कहे जा सकते। यह ठीक है कि २५ रुपये तक का वेतन पाने वालों के वेतन में २ रुपये तक की वृद्धि की गयी है, और यह भी ठीक है कि पुलिस कांस्टेबिलों को साढ़े ४ रुपया मासिक भत्ता देने की भी व्यवस्था की गयी है। लेकिन मैं उन का ध्यान विशेष रूप से जो आर्थिक विषमता आज हमारे शासन के बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में पायी जाती है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। आज भी वेतन में जमीन आसमान का अन्तर है। यह ठीक है कि सरकार ने इस ओर कदम उठाया है, लेकिन वह बहुत कम है। मैं आशा करता हूं कि इन वेतनों के अन्तर और विषमता को मिटाने के लिए हमारे शासन का कदम जल्द से जल्द और तेज से तेज उठना चाहिए, क्योंकि आज समाज के असन्तोष का कारण या समाज की मांग जहां अपने कष्टों के निवारण के लिए है, वहां दूसरी ओर उन की बेचैनी इस बात के लिए भी है कि जब वह देखते हैं कि उन्हीं जैसा एक व्यक्ति स्वर्ग जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है और वहीं दूसरा मनुष्य समाज में नर्क जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है! मैं

बताना चाहता हूं कि शासन का कुछ अंग ऐसा है कि जिनके काम के घंटे और समय निर्धारित हैं। वह ८ घंटे से अधिक काम करना पसन्द नहीं करते और वह अपना अधिकार समझते हैं कि उन्हें ८ या ६ घंटे से अधिक काम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या उन्हीं के चपरासी को सुबह के ६ बजे से रात के १० बजे तक जब तक साहब सो नहीं जाते, या उनके घर का बच्चा बच्चा नहीं सो जाता तब तक काम करना नहीं पड़ता? इसलिए इन शब्दों के द्वारा मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस आर्थिक और सामाजिक विषमता की ओर दिलाना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त जैसा कि मेरे दूसरे मित्रों ने कहा जनता की सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि हमारे परगनाधीश ही नहीं, बल्कि मैं तो यह भी कहूंगा कि उनके साथ हमारे जुडिशियल ऑफिसर भी तहसील हेडक्वार्टर्स पर ही रहें ताकि हमारे समाज के लोगों को कम खर्च पर ही न्याय मिल सके और उन का समय भी बच सके।

इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मन्त्री जी ने शक्ति के केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीयकरण की भी बात कही। इसमें संदेह नहीं कि हमारी सरकार का ध्यान और कदम शक्ति के विकेन्द्रीयकरण की ओर बढ़ा है। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण यदि प्रान्त से जिले में हुआ है तो यदि यहां प्रान्त के मुख्यमंत्री के हाथ में है तो वहां वह एक ही व्यक्ति के हाथमें हो गया है और वह है जिलाधीश और इसमें सन्देह नहीं है कि जिलाधीश के ऊपर काम का इतन बोझ पड़ गया है कि वे अपनी पूरी जिम्मेदारी को सम्हालने में असमर्थ हैं। उदाहरण के तौर पर मुख्य मंत्री महोदय के सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। वह जिलों से आंकड़े मंगा कर देखें कितने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसे हैं जिन्होंने इस गन्ने के सीजन में गन्ने के तौलों की चेकिंग की है जहां किसानों का गन्ना मन की जगह पर डेढ़ मन तक तौला जाता है? कितने हाकिम परगना ऐसे हैं जिन्होंने अपने हल्के के सेंटरों की चेकिंग की है जहां मिल मालिक और उनके कर्मचारी किसानों को कष्ट देते हैं। बेइमानियां करते हैं और किसानों का खून चूसते हैं। यही नहीं, यदि हम और बातों की तरफ जायं तो कितनी शिकायतें ऐसी आती हैं जिला मैजिस्ट्रेटों के पास कि किसानों को सताया जाता है और लोगों को कुंओं पर पानी नहीं भरने दिया जाता। लेकिन कितने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने इन तीन चार सालों में अपने यहां इस तरह के केसेज को चलाया है जिससे ऐसे लोगों को कुंओं पर पानी भरने की आज्ञा मिल सके। और यह इसलिये है कि एक ही व्यक्ति पर इतनी जिम्मेदारियां डाल दी गयी हैं कि वह अपनी असमर्थता प्रकट करता है। मैं मन्त्री महोदय से मांग करता हूं कि यदि शक्ति का विकेन्द्रीयकरण करना है तो वह शक्ति जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में होनी चाहिये। सही विकेन्द्रीयकरण शक्ति का वही कहा जायगा जिसमें जनतंत्रीय शासन की शक्ति जनता के हाथ में हो और इसके लिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि जिस तरह से हमारे प्रान्त में प्रान्तीय आधार पर केन्द्रीय सरकार के अधीन रहते हुये भी एक शासन का सूत्र हमारी प्रान्तीय सरकार सम्हाले हुये है, इसी प्रकार कुछ एक्जीक्यूटिव पावर्स हमारे जिले के आधार पर जनप्रतिनिधियों के हाथ में देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान कुछ न्याय की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज सामाजिक व्यवहार इस प्रकार है कि जो व्यक्ति जितना अधिक धन अपने पास रखता है उतना ही ज्यादा समाज पर अत्याचार करके अपने पक्ष में न्याय करा लेता है, और अच्छे से अच्छे एडवोकेट को ले जाकर अदालत के सामने अपने मामले म पैरवी कराता है और एक गलत स्टोरी को अदालत के सही स्टोरी सिद्ध करा कर निर्धनों, दलितों और पीड़ितों को अदालतों के द्वारा इंसाफ पाने से, असमर्थ कर देता है। आज हमारी न्याय प्रणाली अत्यन्त दूषित सी हो गई है लेकिन मैं इसका भार, अपनी जनतंत्रीय सरकार पर नहीं डालता। यह तो विदेशी सरकार की एक देन थी जो अब तक हमारे समाज के खून को चूस रही थी

[श्री महीलाल]

इसमें धीरे-धीरे परिवर्तन होना चाहिये और समाज में ऐसे लोगों को भी सस्ता और जल्दी न्याय पाने का अवसर मिलना चाहिये। जिनके पास खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने को मकान नहीं है, कहां से वह धन का संचय करें जिससे अच्छे वकील और एडवोकेट को अदालत में ला करके न्याय पा सकें और यही नहीं, मैं तो यह भी कहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय मुझे क्षमा करें, क्योंकि जो मैं अनुभव करता हूं बिलकुल वही बात कहना चाहता हूं कि आज समाज में जो भ्रष्टाचार है, जो शोषण है वह बहुत कुछ धन के आधार पर हो रहा है। आज जो लोग अपराध करते हैं वे अपने पैसों के बल पर उन अपराधों से बच जाते हैं और निर्धन, निरपराध जो हैं वे पैसों की कमी की वजह से अपराधी बना दिये जाते हैं, और अदालत में जाकर बेचारे अपराधी घोषित हो जाते हैं। जो आर्थिक और सामाजिक विषमता आज हमारे समाज में है उसको दूर करने में हमारे शासन का जितना हाथ हो सकता है उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह शीघ्र से शीघ्र अच्छी प्रकृति के साथ उस ओर कदम उठायें, जिससे हमारे समाज के पीड़ित, शोषित और अनपढ़ लोग भी अपने को यह समझें कि वे भी समाज के दूसरे अंगों के बराबर हैं। मैं किसी विशेष प्रदेश, जिले या स्थान की आड़ में कोई दूसरी व्यवस्था की मांग नहीं करता। मैं तो अपने पूरे प्रान्त के लिये शोषित और पीड़ित लोगों के लिये जो कि उनको एक तरफ से अभी तक शोषित बना रहे हैं, जिनको हर तरह वे कुचल रहे हैं, जिनकी भावना को वे खत्म कर रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति में सुधार की मांग करता हूं।

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्रित्व पद ग्रहण किया था उसके बाद उन्होंने एलान किया था कि हम देश के शासन में पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा सुधार करेंगे। यह समाचार हम लोगों ने अखबारों में देखा था। आशा बंधी थी कि पहले के मुकाबले में ज्यादा परिवर्तन होगा लेकिन ज्यादा नहीं हुआ। हां, कुछ जरूर हुआ और मुझे आशा है कि जिस प्रकार से परिवर्तन प्रदेश में होना चाहिये शायद उनको करने में मुख्य मंत्री जी समर्थ हों। उपाध्यक्ष महोदय, पहले की सरकार या मुख्य मंत्री जी ने कई बार कहा है कि हम कमिश्नरों की बढ़ती नहीं करना चाहते हैं, उनको कम करना चाहते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि कमिश्नर का जो पद है वह घटाया नहीं गया बल्कि बढ़ाया गया। बजट के बढ़ने से मालूम होता है कि सन् १९५४-५५ में ४ कमिश्नर और ७ एडिशनल कमिश्नर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में ७ कमिश्नर और कलेक्टर इन्चार्ज और ८ एडीशनल कमिश्नर रखे जायंगे! इस पर खर्च पारसाल १ लाख ९२ हजार रहा और इस साल खर्च करने के लिये रखा गया है ३ लाख १४ हजार ५ सौ। इसके मुताबिक जो कमिश्नरों को बढ़ाया जा रहा है वह ठीक नहीं है। हमें जितनी जानकारी है कमिश्नरों की आवश्यकता आज की इस शासन प्रणाली में नहीं रह गयी है क्योंकि जिलाधीशों को इतने ज्यादा अधिकार दे दिये गये हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कुछ प्रबन्ध था जिसके बारे में कमिश्नर कुछ काम किया करता था लेकिन वह सारा काम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में दे दिया गया है। ऐसे बहुत से काम थे जिनका सारा उत्तरदायित्व कमिश्नरों के बदले जिलाधीशों को दे दिया गया है। इन कमिश्नरों के ऊपर इतना ज्यादा खर्च करना ठीक नहीं है और मैं जानता हूं कि कमिश्नर लोग जिलों में जाते हैं तो क्या करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूरे प्रान्त की तो जानकारी नहीं है लेकिन अपने जिले की जरूर थोड़ी बहुत जानकारी है, और मैं जानता हूं कि जब बाढ़ के समय में हमारे आजमगढ़ जिले में कमिश्नर साहब गये थे तो वह शायद ही किसी उस क्षेत्र में गये हों जो बाढ़ पीड़ित रहा हो, या वहां जाकर देख सके हों कि वहां के आदमी क्या काम करते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, नई मदें इस अनुदान में भी बढ़ाई गई हैं। पिछली बार से १ लाख ३० हजार रुपया बढ़ाया गया है और ऐसे जो

काम किये गये हैं उसमें तो ५१ लाख ५६ हजार का अनुदान रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान में एक दो मदें ऐसी हैं कि जिनमें ज्यादा खर्च हुआ है और होना चाहिये। जैसे कि जुडिशियल अधिकारियों की ६० जगहों को स्थायी किया गया है, और अप्रैल, १९५५ में १२० और अधिकारियों को किया जायगा। इस पर जो रुपया खर्च किया गया है वह ठीक है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो बहुत ज्यादा काम करते थे, ईमानदारी से अच्छा काम करना चाहते थे, उनका पद स्थायी न होने के कारण वह काम ईमानदारी से नहीं कर सकते थे। हम लोगों की बहुत ज्यादा मांग रही है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों का पद स्थायी किया जाना चाहिये। उनकी नौकरी, उनका वेतन परगना हाकिम के मुताबिक होना चाहिये। प्रसन्नता है कि सरकार ने पूरा करने की ओर कदम उठाया है। लेकिन बजट में कहा गया है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कभी-कभी परगना हाकिम का पद अख्तियार करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की और सभी लोगों की प्रबल इच्छा है कि न्याय और प्रशासन का बटवारा होना चाहिये, इनको अलग-अलग होना चाहिये। लेकिन जब जुडिशियल अधिकारियों को भी सरकार वही पद दिया करती है जो डिप्टी मैजिस्ट्रेटों को है, तो मैं समझता हूं कि इस देश में न्याय और शासन का बटवारा नहीं हो सकता और सही मानों में न्याय और शासन का बटवारा होकर गरीब लोग जो सही मानों में सस्ता और जल्दी न्याय लेना चाहते थे उसको प्राप्त करने में उनको बहुत मुश्किल होगी।

आज कल, उपाध्यक्ष महोदय, कहना नहीं है, सरकार में और कांग्रेस पार्टी में कोई अन्तर नहीं रह गया है। मैं जहां देखता हूं जब कोई माननीय मंत्री दौरे पर जाते हैं तो उसके ७, ८ दिन पहले से कहचरियां बिलकुल बन्द हो जाती हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर यह सब के सब मन्त्रियों की मोटरों के पीछे दौड़ते रहते हैं। कचहरी वाले मुवक्किल अपनी-अपनी तारीखों पर जाते हैं, अपना-अपना मुकदमा देखने, गवाह ले कर जाते हैं लेकिन पहले से ही मंत्रियों के आने का प्रोग्राम बना रहता है। अदालतें यह नहीं कर पाती हैं कि उन बेचारे आदमियों को जो अपने मुकदमें के सिलसिले में इतनी परेशानी और पैसा खर्च कर के आते हैं, उन्हें सूचना दे दी जाय जिनकी तारीखें पड़ती हैं उन दिनों। लेकिन कोई सूचना भी नहीं दी जाती। तारीख पर मुवक्किल जाते हैं और उनको परेशानी उठानी पड़ती है। हम सब लोग कहते हैं, माननीय मंत्री लोग कहते हैं कि हमारे किसान लोग बड़े गरीब हैं, लोग परेशान होते हैं, सस्ता न्याय मिलना चाहिये। अभी कल ही अखबारों में हमने पढ़ा माननीय पं० जवाहरलाल जी नेहरू ने चन्दीगढ़ हाई कोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर बोलते समय कहा कि सरल न्याय, सस्ता न्याय और जल्दी न्याय होना चाहिये। यहां पर ठीक उसके विपरीत होता है!

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सभा में माननीय मंत्री लोग बोलने जाते हैं, लेकिन उस मीटिंग का प्रचार कलेक्टर से ले कर लेखपाल तक करते हैं, और उस मीटिंग में बाकायदा अन्य पार्टियों का छिद्रान्वेषण होता है। जब हम लोग अंग्रेजी राज्य में थे, उनके खिलाफ भाषण दिया करते थे तो कई दफ़ायें थीं, मुझे अब याद नहीं है, उनके मातहत हमको गिरफ्तार किया जाता था और पुलिस रिपोर्टर यह लिखता था और गवाही में वह कहता था कि इनकी स्पीच से जनता में बहुत रोष एवं क्रोध पैदा हुआ है। मैं आप के द्वारा माननीय कमलापति त्रिपाठी जी जो बैठे हुये हैं, माननीय मुख्य मंत्री तो हैं नहीं, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जिस मजमे में आप के अधिकारी और कर्मचारी जनता को इकट्ठा करते हुये चार दिनों तक लगातार आप की मोटरों के पीछे घूमते हुये काम करते हैं, उन मजमे में किसी दूसरी पार्टी की शिकायत मंत्री लोग करते हैं तो क्या उन अधिकारियों पर उस पार्टी के सम्बन्ध में कोई असर नहीं होता है? मेरा विश्वास है उपाध्यक्ष महोदय, कि बड़ा बुरा असर पड़ता है अधिकारियों के ऊपर, और मैं इस बात के कहने में जरा सी हिचक नहीं मानता कि उसी का असर है कि अधिकारीगण दूसरी पार्टियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और उनको मजबूर होना पड़ता है अपनी नौकरी के लिये उनको मजबूर होना पड़ता है, अपनी

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

तरक्की के लिये कि सत्तधारी दल को प्रसन्न करें और उनके प्रसन्न करने में कानून-कायदा कुछ नहीं देखा जाता है। हमारे पास एक दो नहीं, पचासों सबूत हैं जिससे पता चलता है कि कानून कायदों को तिलाञ्जलि दे दी जाती है। एक दिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय द्वारकाप्रसाद मौर्य जी के सवाल के उत्तर में कहा था, सवाल उनका यह था कि एक कर्मचारी ने घूस लिया, घूस में छूट गया तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि घूस लेने में उसको अदालत से सजा हो या न हो लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने ईमानदारी बरती, क्या कहा जाय? घूस लेने में छूट जाय तब भी बेईमान, घूस लेने में सजा हो जाय तब भी बेईमान, दोनों तरह से छुटकारा नहीं है! माननीय मंत्री जी यदि अच्छा कह दें तो अच्छा यदि बुरा कह दें तो बुरा। मैं आप से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में, और अपने जिले की बात उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि अधिकारी खुल कर के विरोधी पार्टियों के लोगों पर, किसानों पर, कार्यकर्ताओं पर गैर कानूनी काम करते हैं। थाने में रिपोर्ट तक नहीं होती है और खुद हाकिम परगना साहब दफ़ा १०७ में मुकदमा चला देते हैं। कोई थाने में रिपोर्ट नहीं, थानेदार को मालूम नहीं और दफ़ा १५१ में गिरफ्तार कर के हाकिम परगना साहब २४ घन्टे तक साथ रखते हैं। इसी तरह की कार्यवाही परगना हाकिम घोसी, जिला आजमगढ़ आये दिन किया करते हैं।

इस तरह की शिकायतों का पत्र नेता विरोधी दल ने आजमगढ़ जिले के बारे में लिख कर माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की जो शिकायतें हैं उन्हें माननीय मुख्य मंत्री जी दूर करने में समर्थ होंगे और मेरा यह भी विश्वास है कि इस तरह की जो परिपाटी प्रदेश में चली आ रही है उसे भी बन्द करने में विद्वान माननीय मुख्य मंत्री जी समर्थ होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक मद है बाढ़ सहायता और उसके लिये देशी नाव और मोटर बोटों की सप्लाई। इस अनुदान पर तो दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में विवाद हो चुका है लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो अनुदान स्वीकार किया जाता है वह खर्च नहीं होता है। इसी प्रकार पारसाल हुआ है कि देशी नावें जिलों में नहीं बट पायीं हैं, गांव सभाओं को कोई जानकारी नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं जिले के अधिकारी यह कोशिश करते हैं कि गांव वाले आधा पैसा सरकार के खजाने में जमा करें और जिले के अधिकारी कहीं से खरीद कर नाव मंगायें। मैं समझता हूं कि इससे गांव वालों को नुक्सान होगा और सस्ती और अच्छी नाव जो देहात का आदमी लोहार से बनवा सकता है वह नहीं बना पायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी को इसमें सुधार करना चाहिये। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि पुलिस के मामलों में पारितोषिक देने के लिये दस हजार रुपया इसमें रखा गया है। पुलिस के मामले में तो पुलिस के बजट के दिन ज्यादा विचार किया जा सकेगा। लेकिन एक बात की ओर माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय शिवराम राय जी और माननीय श्रीनाथ जी भी बैठे होंगे, इन लोगों ने मऊ की पुलिस के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां, जो कि पहले मुख्य मंत्री थे और जो अब हैं बहुत सी शिकायतें कीं। श्रीनाथ जी ने तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास कापी मौजूद है, लिख कर बहुत लम्बी चिट्ठी भेजी थी। मैं समझता हूं कि मऊ में अभी हाल में जो घटना घटी है उसका कारण यदि मैं यह कहूं कि यह सरकार है, तो कोई अत्युक्ति न होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मऊ शहर की जो पुलिस है वह कितनी निर्दयता-पूर्वक वहां के लोगों के साथ व्यवहार करती है उसका उदाहरण मैं समझता हूं कि माननीय शिवराम राय जी या श्रीनाथ जी ज्यादा अच्छा पेश कर सकेंगे। उनको इस सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन मैं यही निवेदन करना चाहता हूं उस सम्बन्ध में कि ऐसी पुलिस है वहां की कि मारने और चोरी में गिरफ्तारी होती है, बाकायदे थाने में रिपोर्ट होती है उन आदमियों के विरुद्ध तथा सेशन कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त पड़ती है उन आदमियों के लिये, सेशन कोर्ट उसे

नामंजूर करती है और फिर पुलिस वालों की जमानत पर कैसे छोड़ दिया जाता है ? यह ताज्जुब की बात है ! और उपाध्यक्ष महोदय, गोली चलने के बाद जब कि शहर में १४४ है, रात को निकलना मुश्किल है, उस वक्त जब कि पुलिस का पहरा है, ३० हजार रुपये की चोरी मऊ बाजार में होती है ! तो ऐसी पुलिस को जब यह सरकार पारितोषिक देगी तो मैं समझता हूं कि सही माने में प्रदेश की जनता जो पुलिस को अपना रक्षक समझती है, उसको अपना रक्षक समझने में असमर्थ हो जायगी। मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस के मामले में गृह मंत्री जी जो कि मुख्य मंत्री भी हैं, उनको बड़ी कड़ाई बरतनी चाहिये और जैसा मैंने अखबारों में देखा, कल उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में जो आश्वासन दिया है, मेरा विश्वास है कि अगर कड़ाई से उस पर चला जायगा तो कुछ सुधार हो सकता है।

आनरेरी मैजिस्ट्रेटों का पद उपाध्यक्ष महोदय, अभी मौजूद है। उस पर ४० हजार रुपया आकस्मिक व्यय करने के लिये मांगा गया है। मैं चाहता हूं आनरेरी मैजिस्ट्रेट का पद नहीं रहना चाहिये। आनरेरी मैजिस्ट्रेट लोग क्या करते हैं, कैसे होते हैं, कौन लोग होते हैं, इसमें उपाध्यक्ष महोदय बड़ा विवाद है।

तकावी उगाही के लिये कुछ अस्थायी कर्मचारी रखे गये हैं जिनके लिये इस साल ५६ हजार रुपया ज्यादा माँगा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारी रखने चाहिये, लेकिन हमने देखा कि जो कर्मचारी रखे गये हैं, और जिस तरह से कि तकावी की वसूली होती है वह बहुत गलत तरीका है। तकावी की वसूली जहां पर स्थगित है वहां भी वसूली होती है। तो अभी एक कांग्रेसी सज्जन सिगड़ी तहसील से आये हुये थे। वहां मुल्तवी भी है, वसूली भी है, बैल-भैंस कुर्क कर के वसूल करते चले जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूं कि जिले के कलेक्टर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार या हाकिम परगना एक जिले में कितने दिनों तक रखे जायंगे ? इसकी सीमा सरकार निर्धारित कर दे। अभी-अभी हमारे जिले के कलेक्टर का, जिनका स्थानांतरण हुआ है, वह ५ साल तक आजमगढ़ में रहे हैं और मेरे ख्याल में सरकार ने खुद घबरा कर उन्हें हटाया है। कोई ढाई-ढाई साल, कोई तीन-तीन साल और कोई पांच साल तक रखे जाते हैं। विरोधी पार्टियों को दबा कर कांग्रेस पार्टी को खुश रखने वाले अधिकारी बहुत दिनों तक रखे जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री इस तरह की परिपाटी को समाप्त करने के लिये कोई कदम अवश्य उठावें और इस प्रथा को खत्म कर देंगे।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन से संबंधित जो दोनों अनुदान माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किये हैं, मैं उनके लिये उनको बधाई देता हूं। सामान्य प्रशासन वास्तव में शासन का वह बिन्दु है जिसके चारों ओर प्रदेशीय तथा जिलों के शासन का भ्रमण होता है। माननीय मुख्य मंत्री ने अपने संक्षिप्त भाषण में हालांकि कहा तो यह है कि कोई क्रांति जैसी बात इस विभाग में सम्भव नहीं, लेकिन उन्होंने जो छोटे कर्मचारियों की कुछ थोड़ी सी वेतन-वृद्धि की घोषणा की है वह वर्तमान में एक क्रान्ति ही जैसी है। साथ ही इसके कुछ और आवश्यकतायें जो कई अन्य माननीय सदस्यों ने बताई हैं वह भी वास्तव में ध्यान देने योग्य है, और इनके अतिरिक्त एक अन्य जो छोटे कर्मचारियों की खूराक की है, वह मैं समझता हूं कि अभी बहुत आवश्यक है। चौकीदारों को और छोटे कर्मचारियों को केवल ३ आने रोज खूराक के दिये जाते हैं जिसमें इस आर्थिक कठिनाई के जमाने में पेट का भरना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करने की कृपा करेंगे।

अब कुछ और बातें हैं सामान्य प्रशासन से संबंधित, जैसे हिन्दी के सम्बन्ध में, जिनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक प्रतीत होता है। हमारी राष्ट्रभाषा

[श्री कृष्णशरण आर्य]

हिन्दी है परन्तु इसी बजट पर जो माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण हुआ है उससे कुछ जनता में भ्रम सा है कि हिन्दी के सम्बन्ध में सरकार ने जो बहुत पहले निश्चय किया था लगता है वह उससे एक पग पीछे हट रही हो। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय में सरकार की नीति स्पष्ट करने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त कई माननीय सदस्यों ने शासन अधिकारियों के बारे में नौकरशाही का नाम लेकर कुछ आलोचना की है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बजट पर एक बात कही थी, वही फिर कहना चाहता हूं कि प्रदेशीय तथा जिलों के शासन अधिकारियों में यद्यपि अब जहां एक ओर अधिकांश ऐसे हैं कि जो सरकार की नीति को समझते हैं और हृदय से उसको पालन करने की और सफल करने की पूरी कोशिश करते हैं, वहां दूसरी ओर अभी भी एक वर्ग उन्हीं में ऐसा भी है जो सरकार की नीति पालना तो क्या उस पर विश्वास और श्रद्धा करना तथा उसे ईमानदारी से मानने के लिये तैयार नहीं है। वह उसका आज भी उपहास ही करता है तथा उसे अपने प्रयत्नों से विफल करने का विचार रखता है, एवं करता है। यह वर्ग कितना ही छोटा क्यों न हो परन्तु है अवश्य। अतः कोई उचित उपाय उस को ठीक करने का माननीय मुख्यमंत्री जी करें। साथ ही इसके, रोग का पूरा-पूरा निदान नहीं हो सकता यदि हम डाक्टर के सामने रोगी की पूरी स्थिति न रखें।

जहां एक तरफ यह है कि कुछ शासनाधिकारी, जन कार्यकर्ताओं के, वह चाहे इधर के हों या उधर के हों, निरुत्साहित करने के लिये और सरकार की पालिसी के पीठ में छुरा भोंकने के लिये कोई कमी उठा नहीं रखते हैं, वहाँ दूसरी ओर दुर्भाग्यवश यह भी है कि कुछ हम में से ऐसे भी हैं कि शासनाधिकारियों पर नितान्त मिथ्या आरोप लगाते हैं। उनसे अनुचित बातें चाहते हैं और उनके पूरा न होने पर उनके ऊपर झूठे आरोप लगाया करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस के प्रमाण में मैं एक डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले की कुछ पंक्तियां आपकी आज्ञा से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आपको विदित ही है कि २३ जनवरी, १९५४ को मेरे ऊपर कुछ गुंडों ने एक सांघातिक आक्रमण किया था, जिससे कि मैं केवल उसी समय अपने को बचा सका जब कि मैंने स्वरक्षार्थ अपने पिस्तौल का प्रयोग किया।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य किसी फैसले पर कमेंट न करें क्योंकि जुडीशियल मैटर को यहां लाना ठीक नहीं मालूम होता।

श्री कृष्ण शरण आर्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं अपितु उस फ़ैसले के उसी अंश को पढ़ना चाहता हूं जिससे प्रमाणित होता है कि अधिकारियों पर किस तरह असत्य आरोप लगाये जाते हैं। मैं सिर्फ कोटेशन प्रस्तुत करना चाहता हूं। हां, तो उसी घटना के संबंध में मेरे विरुद्ध कुछ शक्तिशाली लोगों ने झूठा मुकदमा चलवाया था जिससे कि मैं २४ जनवरी, १९५५ को पूर्णतया निर्दोष, कोर्ट द्वारा, सिद्ध हुआ हूं। इसी फैसले की कुछ पंक्तियां, जो जज महोदय ने लिखी हैं और वह ओपिन कोर्ट की हैं, मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं जिससे कि मालूम हो जाय कि किस तरह से सरकारी अधिकारियों के ऊपर लोग आरोप लगाया करते हैं:

"D. W. 11 Sri Brij Lal Sharma is an employee of the U. P. C. C. Office, Lucknow. He filed, letter Ex. D-11 sent by Sri Mahmud Ali Khan, M. L. A., to the President Provincial Congress Committee, Lucknow, complaining against the accused. The letter is dated 1-2-54. In the second para of the letter it was stated that "within the last fortnight, accidently,

a man was killed by Sri Arya, M. L. A. The general public of Rampur noted it with a sense of awe and harassment that the district authorities did not even observe the Priliminary formalities in such a grave accident and that the bail was not demanded from him in time. It has become a general gossip that influential congressmen and M. L. As. are now above the law and no one is safe from their misdoings."

उपाध्यक्ष महोदय, अब जज साहब ने इस पत्र के विषय में अपने विचार प्रकट किये हैं कि—

The paragraph speaks for itself and clearly indicates "that there are FAILIOUS AMONG THE CONGRESS RANKS and one party does not spare the other. Even the executive authorities are not spared and are duped with partisonship spirit. Though it was stated that Sri Arya shot the man accidentally yet a mountain was attempted to be created of a mole hill by criticism of the district authorities."

श्रीमन्, इस प्रकार से मैंने इस अंश को केवल इसलिये कोट किया है कि रोग का निदान ठीक-ठीक तो तभी हो सकता है जब कि रोग की दोनों सूरतें डाक्टर के सामने हों।

इसके अलावा एक बात मैं अपने जिले रामपुर के सम्बन्ध में आपके द्वारा और भी सरकार के सामने रखना चाहता हूं। वह विशेषतया इसलिये कि किसी कवि के अनुसार "पुर्जे एक मशीन के कहने को हैं साठ, बिगड़े उनमें एक भी, हों सब बारहबाट"। श्रीमन्, रामपुर हमारे प्रदेश का वह हिस्सा है, जहां पर कि लगभग १५० साल से चली आ रही दुहरी दासता से जहां की जनता त्रसित थी और स्वर्गीय पटेल जी की अनुकम्पा से और अनुपम नीति के फलस्वरूप उसे पहली दिसम्बर, १९४९ को खुली सांस लेने का मौका प्राप्त हुआ, परन्तु इधर पिछले दिनों में यह बात अनुभव की जा रही है कि वहां की वही प्रतिक्रियावादी शक्तियां आज फिर जोरों के साथ पनप रही हैं जिनसे कि सरकार ने हमको मुक्ति दिलायी थी। इसका ज्वलन्त उदाहरण अभी वहां की म्युनिसिपैलिटी के कम्युनिस्ट चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के प्रसंग में माननीय मुख्य मंत्री के सामने आ ही चुका है। मैं इस बात को केवल सांकेतिक रूप में ही माननीय मुख्य मंत्री के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और यह आशा करता हूं कि वह हमको यह बतायें कि इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है? मैं यह नहीं कहता कि हम किसी व्यक्ति का यथोचित सम्मान न करें परन्तु शासन के लिये क्या यह हितकर है, इसका निर्णय मैं उनके ऊपर ही छोड़ता हूं।

जो सरकारी अधिकारी यदाकदा यहां से रामपुर जाते हैं, मैं जानता हूं कि उनके अन्दर कोई कमी नहीं होती लेकिन वहां उनके सामने टैम्पटेशन्स पैदा किये जाते हैं और इसलिये मैं चाहूंगा कि उनको इस बात के स्पष्ट आदेश हों कि वे केवल जनता के ही हित की बात अपने अमल से करें और किसी भी भ्रमात्मक प्रोपेगेन्डा के लिये अवसर न दें। मैं जानता हूं कि शिक्षा विभाग के एक अफसर ने एक व्यक्ति विशेष से अपने रामपुर जाने के कुछ दिनों तक मुलाकात नहीं की तो उसको शिक्षा संचालक की ओर से कड़ा आदेश गया कि तुमने उससे क्यों नहीं मुलाकात की?

अन्त में प्रदेश के शासन के सम्बन्ध में मैंने कुछ सुझाव १८ अक्तूबर, १९५२ को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री की सेवा में भेजे थे। अब समय नहीं है अन्यथा मैं उनको सदन के सम्मुख पढ़ता परन्तु यदि मुख्य मंत्री जी आदेश देंगे तो फिर उनकी सेवा में मैं उन सुझावों को पेश करूंगा।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सामान्य प्रशासन पर समय देने के लिये आपका बड़ा आभारी हूं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि इस प्रदेश के मुख्य मंत्री, जिन्होंने अभी हाल में इस प्रदेश के शासन की बागडोर सम्हाली है, उनके सम्मुख आज मैं अपने विचार रख रहा हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को उनके उन एलानों के लिये जो उन्होंने नया पद ग्रहण करने के बाद इस प्रदेश के लिये किये थे, धन्यवाद देता हूं क्योंकि उनसे इस प्रदेश की जनता में प्रसन्नता की एक लहर आ रही है। मगर इस समय मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस प्रदेश की उस हालत की तरफ भी ले जाना चाहता हूं जिसकी वजह से आज यह उत्तर प्रदेश, जिसको अभी माननीय सुरेशप्रकाश जी ने तो भारतवर्ष में सबसे अच्छा कहा, और बाहर प्रदेशों में जब हम जाते हैं तो हमें भी इस प्रदेश की प्रशंसा अच्छी मालूम होती है और हम स्वयं भी करते हैं। मगर जब मैं इस प्रदेश की हालत देखता हूं, मैंने भी पंजाब मैसूर, मद्रास और बहुत से सूबों को देखा है, वहां की जनता के बीच में मैंने देखा है, और उस हालत को अपने जिले के इलाके की हालत से तुलना करते हैं तो उदाहरण है कि एक ही चावल से सारी हांडी का पता लग जाता है, और इस सदन के अन्दर अनेक माननीय सदस्यों द्वारा जो इस प्रदेश के बारे में चर्चा होती रहती है उससे भी मैं पूरी तरह जानकार हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने अभी प्रशासन के संबंध में कहा कि बड़ा भारी परिवर्तन आया है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् ४७ में जब यह देश आज़ाद हुआ उस समय एक जिलाधीश थे हमारे जिले में उन्होंने मुझसे यह कहा कि अब इन खद्दरधारियों का राज्य आ गया है, हमें एक झोला सिलवाना होगा और चने लेकर देहातों में दौरा करना पड़ेगा। उस वक्त एक जिलाधीश के ये शब्द थे और आज जितने भी कर्मचारी हैं उनको अधिक से अधिक मोटरें दी जा रही हैं, उनका पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया है! आज जिलों में अनेक प्रकार की घटनायें होती हैं और मैंने उन बहनों के आर्तनादों को सुना है जहां कई घंटे गोली चली परन्तु पुलिस नहीं पहुंची! एक दावा डकैती का दायर किया गया लेकिन उस दावा दायर करने के ठीक एक महीना बाद फिर वहां गोली चलती है, पुलिस को इत्तला दी गयी और दो घंटे तक गोली चली, जब कि पुलिस गांव के पास ही रहती है!

वहां एक २६ वर्ष का नौजवान दो घंटे गोली चलाकर मारा गया। वहां के लोगों ने कहा कि हम दावा करने के लिये तैयार नहीं हैं। अभी हमारे दो भाई हैं और आज अगर हम सरकार से यह दावा करते हैं तो हमको इन दोनों भाइयों से भी हाथ धोना पड़ेगा, यह हमारे राज्य की हालत है! हमारे जिलाधीश और हमारे जिले के अनेक मोटर रखने वाले लोग ऐसी घटना पर आज तक नहीं पहुंचते हैं। मैं आज इस पुकार को इसलिये कहता हूं कि आज जनता में किस प्रकार की राय है और किस प्रकार की अराजकता है? जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम सरकारी कर्मचारियों की फौज बढ़ायें, वह बढ़ायें ठीक है। लेकिन वह फौज आज हमारी जनता के लिये दूभर हो गयी है और जनता सांस नहीं ले रही है। सरकारी कर्मचारियों की इस बढ़ी हुयी तादाद से आज गांवों में किस प्रकार से जनता भावना रखती है इस वास्ते मैंने शासन के बारे में कहा कि जिन बहनों ने रोते हुये कहा था कि हम दावा करने के लिये तैयार नहीं हैं, आज सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। आज सारे उत्तर प्रदेश की यही हालत है। मैंने सारे पंजाब को देखा है कि वहां पर किस प्रकार का शासन चल रहा है। उस प्रदेश के उजड़ने के बावजूद भी आज जो पंजाब की हालत है वह किसी से छिपी हुयी नहीं है। स्वयं रफ़ी अहमद किदवई साहब ने पंजाब के संबंध में बहुत सी बातें कही हैं। आज उस पंजाब को मैं भी बहुत करीब से जानता हूं जिसने उजड़ने के बाद यहां सराहनीय कार्य किया है। मैं आज उत्तर प्रदेश की हालत यह देख रहा हूं कि यहां पर अपने-अपने घरों में लोग यह कहते हैं कि बहुत से प्रदेशों से इस प्रदेश की हालत बहुत बदतर है, अच्छी नहीं है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों में जहां एक तबदीली की बात कही जाती है, जिसमें एक तो मैंने उस जिलाधीश का उदाहरण दिया कि जिसने झोले और चने की बात कही थी, और आज सरकारी कर्मचारियों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकार और उनके साधन तरह-तरह के बढ़ते चले जाते हैं, किन्तु उनकी जैसी भावना थी वह नहीं बदली है इस समय रावत जी यहां नहीं हैं। जिस समय लोग पी० टी० सी० में जाते थे लोग खद्दर के वस्त्र बनवाते थे कि जिससे वह लोगों की निगाहों में कुछ जंच जांय और इसलिये वह खद्दर के बनवाते थे कि सब लोग उनसे प्रभावित हो जायं। मगर उसके बाद सरकार के अनेक प्रयत्न करने के बाद, हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने अनेक बार घोषणा निकाली और कहा लेकिन आज तक इस प्रदेश के कर्मचारियों के दिल तो क्या इनके वस्त्रों को भी सरकार नहीं बदल पायी है! दिल बदलने की बात बहुत अच्छी लगती है। दिल बदल कर प्रेम का शासन हो सके तो बहुत प्रसन्नता की बात है मगर न प्रेम का शासन है और न भय का ही शासन है। यह इस प्रदेश की हालत है! मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इनके दिल बदलने के लिये या तो मैं सही कहता हूं कि इन लोगों में आत्मबल की कमी है, या ऊंचे कर्मचारी जो भारी भत्ता पाते हैं उनके दिल नहीं है बल्कि उनके पत्थर के दिल हैं जो इस प्रदेश की दुखद घटना को सुनकर प्रदेश की अराजकता को देखकर उनको जरा भी ख्याल नहीं होता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आपकी अनेक घोषणाओं से इस प्रदेश की जनता को बहुत शांति मिली है। आपके गोबध के कानून की घोषणा से जनता में बहुत प्रसन्नता है। आपने दो रुपया छोटे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया तो इससे आपकी भावना का ज्ञान होता है कि आपको छोटे कर्मचारियों का और छोटे आदमियों का ध्यान है। किन्तु और भी बातें हैं जिनकी वजह से बहुत बदनामी होती है। मैं अपने जिले के ही उदाहरण दे सकता हूं कि जहां पर लोगों का यह ख्याल है कि फलां आदमी करप्ट है और वह भ्रष्टाचारी है, उस आदमी को ही तरक्की देने की बात की जाती है। मैं मानता हूं कि योग्यता के आधार पर कर्मचारियों को उन्नति दी जाय किन्तु मेरा जहां तक अनुभव है मैंने यह देखा है कि जो ज्यादा भ्रष्टाचारी है, ज्यादा रुपया लेकर, लखनऊ आ सकता है, सिफारिश करा सकता है उनको ही ज्यादा तरक्की दी जाती है और जो ज्यादा सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं वह बेचारे खामोश पड़े रहते हैं और मेरी राय में आपके राज्य में उनकी तरक्की होना संभव नहीं है। एक तहसीलदार साहब थे, वह अब डिप्टी हैं। मेरे जिले के पड़ोस में ही थे अम्बाप्रसाद, जो मिठाई भी किसी से नहीं लिया करते थे और बहुत ईमानदार थे। और उनके जूनियर जो भ्रष्टाचार के लिये मशहूर थे वह आज कहीं से कहीं तरक्की पर पहुंच रहे हैं? योग्यता के आधार पर तरक्की दी जाय यह बुरा सिद्धांत नहीं है, मगर उस सिद्धांत का कुछ तो आधार होना चाहिये वरना हम ईमानदार कर्मचारी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? मैं जिले की मीटिंगों में कहा करता हूं और आज सदन के सामने भी कहता हूं लेकिन जो इस प्रकार के कर्मचारी हैं, जो जिलों के तमाम हिस्सों में धन इकट्ठा करके सरकार तक पहुंच पाते हैं, उनकी तरक्की होती है।

मैं एक बात की तरफ और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो जिले के स्तर के कर्मचारी हैं उनमें से अधिकांश को मैंने देखा है जब मंत्रियों के दौरे होते हैं, उनके दौरों के समय उनमें कुछ चेतना आ जाती है। उस चेतना के बाद में वे सचमुच यह समझ जाते हैं, मंत्रियों की प्रशंसा के आधार पर कि उनका काम बहुत अच्छा है। लेकिन हम आपसे जनता की दर्द भरी कहानी कहते हैं और आप लोगों की प्रशंसा करते हैं। हमारी प्रार्थना तो यह है कि यदि कोई कर्मचारी खराब है और उसकी शिकायत होती है, और अगर वह शिकायत सही साबित हो जाती है तो उसको दंड दिया जाना चाहिये। जो दोषी पाया जाय उसको दंड दिया जाय लेकिन आज हम इसके विपरीत पाते हैं। मंत्रियों के सामने चाहे थोड़ी देर के लिये वे एफ़ीशियेंट भले ही हो जायं लेकिन उनके निकलने के बाद जो जिलों में घटनायें होती हैं उनको सदन के सामने कहने में हमें लज्जा आती है। जो साधन उन लोगों को जनता की सेवा करने के लिये दिये जाते हैं उनका सदुपयोग जनता के सुख और साधनों के लिये नहीं होता लेकिन अपनी आरामतलबी के लिये किया जाता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, यहां बहुत बड़े नेताओं ने जन्म लिया है लेकिन जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि यहां सच्चे अर्थों में जनता का राज्य नहीं है। सचमुच अगर जनता का राज्य होता तो माननीय मुख्य मंत्री के आदेशों की

[श्री रामचन्द्र विकल]

इस प्रकार से अवहेलना न होती और न माननीय विधान सभा के सदस्यों की शिकायतों को इस प्रकार से नोंच-नोंच कर फेंका जाता। हम अपनी जानकारी के आधार पर जो प्रदेश की समस्या को माननीय मंत्री जी के सामने रखते हैं उस पर उनको गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि वाकई प्रदेश में सुव्यवस्था है या नहीं। आज सरकार की अनेक प्रशंसायें की जाती हैं, लेकिन हमारे यहां जो आबपाशी की दरें हैं उनके मुकाबिले में किसी दूसरे प्रदेश में नहीं है और उनके बोझ से किसान कराह रहा है, लेकिन सरकार उन आबपाशी की दरों को कम नहीं करती है। जब हम कहते हैं कि भाव गिर रहे हैं, किसान मरा जा रहा है तो मंत्री जी कहते हैं कि भाव गिरे नहीं हैं। आज ४ रुपया मन मटर का भाव है और मंत्री जी कहते हैं कि भाव नहीं गिरा है। भला हम जनता में किस प्रकार से संपर्क स्थापित करें जब कि स्वयं की सुरक्षा भी वहां नहीं है। यह ठीक है कि जब हम माननीय मंत्री जी से कहते हैं तो जहां हालत ठीक नहीं होती वहां पहरा पुलिस का बैठ जाता है लेकिन आज हालत ऐसी है कि हम वहां आसानी से घूम फिर नहीं सकते हैं। हमारे जिले में जो जिलाधीश हैं वे उसी प्रकार के हैं जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो प्रशासन संबंधी अनुदान आया हुआ है उस संबंध में मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिये जो आपने समय दिया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज प्रशासन से संबंध रखने वाले किसी अधिकारी को लीजिये, चाहे वह सेक्रेटरियट में बैठ कर सारे प्रांत पर शासन करता हो, चाहे वह जिले में बैठकर गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होकर जनता के ऊपर शासन करता हो। कांग्रेस के इतने बड़े शासन काल में ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं हुई जिससे प्रदेश के अधिकारियों की मनोवृत्तियों के बदलने का परिचय मिलता हो या वे जनता के संपर्क में आये हों। कम से कम वह भाव तो पाया ही नहीं जाता जिससे हम कह सकें कि वे जनता के सेवक हैं किन्तु जितना जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने ही उतने आज आफीसरान इस बात को महसूस करते जा रहे हैं कि वे जनता के सेवक नहीं बल्कि स्वामी बनने वाले हैं। मैं इस समय पुलिस के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता बल्कि जो जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं सरकार ने उनकी मनोवृत्ति को बदलने का प्रयत्न किया और उसने चाहा कि कल्याणकारी राज्य में कलेक्टर से लेकर नीचे तक के हाकिम हैं वे सब जनता के सेवक हो जायं। जितने भी कंस्ट्रक्टिव वर्क्स की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, आज यह हो रहा है कि जितना भी काम उन लोगों के ऊपर डाला गया है उसको करने में वे समर्थ हो रहे हैं। उनसे आशा तो यह की जाती है कि वे पुनर्निर्माण का काम करें। उनसे आशा तो यह की जाती है कि वे मुल्क के निर्माण का काम करें और साथ ही साथ जब उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गयी तो आज स्थिति ऐसी हो रही है कि वे उस काम को करने में कतई असमर्थ हैं। सेक्रेटेरियेट में अभी भी लोग ऐसे हैं कि पुरानी मनोवृत्ति के अनुकूल काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि वाकई में देश अपना है और उसको आगे बढ़ाना है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने की तरह शराब के भी आदी हैं बहुत से ऐसे हैं जो उसी तरह से पार्टी के आदी हैं और ब्रिटिश नौकरशाही की तरह से ही लोगों से व्यवहार करते हैं। आज उन लोगों को इस बात की ख्वाहिश नहीं है कि वे जनता के सेवक बनें और जनता की सेवा का काम करके देश को आगे बढ़ावें। ऐसे लोग एक्सटेंशन लेने का बराबर प्रयत्न करते हैं और अक्सर यह देखने में आया है कि जिस किसी शख्स के रिटायरमेंट का समय आता है वे साल भर पहले ही से इस प्रकार की पृष्ठ भूमि बनाना शुरू कर देते हैं ताकि उनको एक्सटेंशन अवश्य ही मिल जाय। वे इस प्रकार से अपनी महत्ता को साबित करने की कोशिश करते हैं कि जैसे उनके बगैर इस प्रांत का काम ही नहीं चलने का। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में ऐक्सटेंशन देने की जो नीति चल रही है वह बहुत ही घातक है। कोई भी अफसर ऐसा नहीं है जिसके चले जाने पर कहीं का कोई काम नहीं चल सकता। मैं यह मानता हूं कि कई

आदमी ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट वियू के हैं और अगर किसी को एक्सटेंशन देना ही हो तो दूसरी शक्ल में उसकी सेवा ली जा सकती है। कुछ लोग हमारे प्रांत के अन्दर ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उनको कहा गया कि आपको एक्सटेंशन दिया जा रहा है वे बहुत ऊंचे दरजे के सज्जन हैं और आज भी मौजूद हैं लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन लेने से इन्कार कर दिया। वे लोग हमारे स्तुत्य हैं और हमारे लिये प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने हमारे सामने एक आदर्श उपस्थित किया है। लेकिन आज हालत यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मालूम हुआ कि उसके अन्दर करप्शन है, लाखों रुपये का गोलमाल एकाउन्ट में हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी उनको एक्सटेंशन दिया गया है। मैं यह नहीं समझता हूं कि आखिर सरकार यह कौन सी नीति अपना रही है कि जब ऐसे अफसर के ऊपर लाखों रुपये गोलमाल करने का चार्ज है और यह साबित हुआ है कि उसने फोर्जरी की है, एकाउंटेंट जनरल का चार्ज है कि लाखों रुपये का गोलमाल एकाउन्ट के अन्दर मौजूद है, कई साल तक एकाउन्ट नहीं पेश किया गया है, गबन को छिपाया गया इसके बावजूद भी रिटायरमेंट के वक्त उनको एक्सटेंशन मिल गया। एसेम्बली सिक्रेटेरियेट में ऐसा हुआ। जब उनको एक्सटेंशन मिल जाता है उसके बाद ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि वे एम० एल० एज० को चैलेंज करके कहते हैं कि बावजूद तमाम शिकायतों के आपने हमारा क्या कर लिया, हमारा तो एक्सटेंशन हो ही गया। तो यह कितनी हास्यास्पद बात है कि ऐसा अफसर जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज हो, जिसके बारे में खुली हुई इनक्वायरी बाकायदा होनी चाहिये, चाहे वह एम० एल० एज० की कमेटी हो या कोई इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, इसकी इनक्वायरी करे। ऐसे-ऐसे अफसरों को भी एक्सटेंशन दे दिया जाता है तब इस मौके पर सोचना पड़ता है कि कहीं न कहीं कुछ गोलमाल है, कहीं न कहीं कोई पोल खाता है जिसकी वजह से उसका असर मंत्रिमंडल के ऊपर पड़ता है। मंत्रिमंडल समझता है कि इस अफसर के बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता है। किसी भी देश के प्रशासन को पवित्र करने के लिये यह बड़ा आवश्यक है कि आप बड़े-बड़े अफसरों की समय समय पर पर्जिंग करते रहें, तो इस प्रकार की नीति अनुशासन व्यवस्था के लिये घातक और निन्दनीय होगी। यदि हम ऐसी पद्धति इस प्रदेश में कायम करेंगे और ऐसे करप्टेड और भ्रष्टाचारी आफिशियल्स को अपने यहां बनाये रखेंगे और उनको एक्सटेंशन देते रहेंगे, तो उस का प्रभाव यह होगा कि जनता समझेगी कि ऐसे व्यक्तियों की योग्यता को यह सरकार स्वीकार करती है और दूसरी तरफ अगर उन के इन पोलखातों की इंक्वायरी नहीं करायी जायेगी तो जनता फिर क्या समझेगी और फिर कैसे यह दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? यदि यह बातें यहां चलती हैं और वह जनता तक पहुंचती हैं और वह इन पोलखातों को समझती है और उसको मालूम होता है कि ऐसे लोगों को यहां एक्सटेंशन मिलते हैं, तो उसका हमारी सरकार के बारे में क्या ख्याल जमेगा। इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से और पूरे मंत्रिमंडल से विनम्र निवेदन है कि जहां पर इस प्रकार की शिकायतें आती हैं जैसा कि अब तक आती रही हैं, वहां पर निष्पक्ष होकर एक ट्रिब्युनल की स्थापना कर के उससे ऐसे लोगों के खिलाफ इनडिपेंडेंट इन्कवायरी करायी जाय, उसके मेम्बर चीफ सेक्रेट्री और एकाउन्टेंट जनरल हों और दूसरे गैरसरकारी निष्पक्ष लोग हों और जिसकी भी शिकायत हो, बगैर उसके खिलाफ इंकवायरी साबित हुये उसे नहीं छोड़ना चाहिये। मुझसे पूछा गया तो मैं बताऊंगा कि कौन-कौन ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन जब यहां शिकायत लाई जाती है तब भी कोई इन्कवायरी नहीं होती और यह दुर्गति होती है कि (वह) ऐसे अधिकारी चैलेंज करते हैं। मैं समझता हूं कि यह जनमत का अपमान है और मैं समझता हूं कि जहां पर इस तरह से जनमत का अपमान होता है वह शासन गिर जायगा। मेरा निवेदन है कि प्रदेश में ऐसी परम्परा कायम की जाय कि जो योग्य हो और ईमानदार हो, उसी को एक्सटेंशन दिया जाय दूसरों को न दिया जाय।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत विचारपूर्वक बजट बनाने का परिश्रम

[श्री रंणजय सिंह]

किया है और सामान्य प्रशासन के लिये जो कुछ भी हो रहा है उसमें अवश्य सुधार हुआ है और होगा। उनका पूर्ण विश्वास करते हुये मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि जो कुछ थोड़े बहुत सुझाव हैं उन को हमें सदन में रखना चाहिये जिससे कि मुख्य मंत्री जी को प्रांत की सारी परिस्थिति की जानकारी हो जाय। मैं जानता हूं कि शासन में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं देखता हूं कि एक सहस्त्र वर्ष की पराधीनता के बाद अब भी अधिकतर लोगों में वही आफिशियलडम बना हुआ है कि वह कहने को तो जन-सेवक कहे जाते हैं, परन्तु अबतक जनता के साथ उन का व्यवहार प्रशंसनीय नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि सुधार नहीं हुआ है, सुधार हुआ है और होगा लेकिन मैं यही कहूंगा अभी भी परिस्थिति ऐसी है जिसमें बहुत कुछ सुधार आवश्यक है। यह मैं जानता हूं कि बिगाड़ने में कम समय लगता है और बनाने में अधिक समय लगता है। सदन में जो बातें हम कहें स्पष्ट शब्दों में कहनी चाहिये कोई ऐसा दुर्भाव न होना चाहिये और जो कुछ हमें यहां कहना हो वह इसी उद्देश्य से कहना चाहिये, जिससे शासन में सुधार हो और वह सुचारुरूप से चल सके और जनता सुखी हो सके। हम देखते हैं कि हिन्दी यहां की राष्ट्र भाषा बनाई गई, कई बार इस विषय में प्रश्न आये और बहुत सी बातें हुई लेकिन फिर भी जब हम अंग्रेजी ही में पत्र व्यवहार होता देखते हैं, जो भी सूचनायें आती हैं उनमें पत्र प्रायः सब अंग्रेजी ही में आते हैं। यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि पता नहीं वे सरकारी अफ़सर क्या समझे हुये हैं! क्या वे समझते हैं कि फिर से अंग्रेजी चली आयेगी और वह वैसी ही बनी रहेगी? मैं तो उनकी इस मनोवृत्ति को देखकर चकित हो जाता हूं। जब मैं देखता हूं कि सरकार ने हिन्दी के लिये जनता से बड़ी बड़ी बातें कही थीं और १५ वर्ष में हिन्दी को भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा बनाने की बात निश्चय है तो अभी तक कैसे यह अंग्रेजी चल रही है? सड़कों के माइल स्टोन भी जो अंग्रेजी में थे वह नागरी में किये गये और वे अब फिर अंग्रेजी में किये जा रहे हैं और उन पर जो अंक लिखे जा रहे हैं वह भी अंग्रेजी में लिखे जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता कि कैसे लोगों को अब भी इस तरह का दुस्साहस होता है और किस तरह से वह अपनी मात्रभाषा हिन्दी के हितैषी नहीं हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा मंत्री हो सकता है जो चाहे कि हिन्दी न पनपे। हिन्दी के लिये हमारी सरकार बहुत कुछ करती है इसलिये मैं सरकार से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इसका ध्यान रखा जाय कि किसी भी प्रकार से हिन्दी की अवहेलना न होने पावे।

यदि जनता का पूर्ण विश्वास हमारे सरकारी अफसरों पर होगा, उनका सद्-व्यवहार जनता के साथ होगा तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सबका उनको सहयोग प्राप्त होगा। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन अपने यहां की दो एक बातें कहना चाहता हूं। कोई किसी के साथ सख्ती करे, दुर्व्यवहार करे, यह कुछ अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि उन अफसरों के लिये होता है कि किसी न किसी प्रकार से रुपया वसूल करना है और उसके वसूल करने में सब दोष उनके क्षम्य माने जायं, यह उचित नहीं कहा जा सकता। अभी हमारी तहसील में ही लेखपालों को जाकर दूसरे क्षेत्रों से रुपया लाना पड़ा और अपनी इज्जत बचानी पड़ी और कहीं-कहीं तो ऐसी बातें हुई हैं कि जहां रुपये वसूल हुये और सख्ती से वसूल हुये हैं और सख्ती के खिलाफ शिकायत हुई, तो शिकायत का कोई परिणाम नहीं हुआ। इसी तरह से खरीफ की मालगुजारी भी रबी के साथ-साथ वसूल कर ली गई। लेकिन उनके खिलाफ शिकायत के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो वह जानते हैं कि जैसा भी व्यवहार वह करें, चाहे जितनी साम्प्रदायिकता की भावना उनमें भरी हुई हो, वह सब कुछ क्षमा हो जायगा क्योंकि वे रुपया वसूल करने में अग्रसर हैं, तो बात यह उचित नहीं है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिनसे ज्यादा से ज्यादा जनता को लाभ हो और जिनसे ज्यादा से ज्यादा जनता संतुष्ट हो सके।

इसके पश्चात् मुझे यह भी निवेदन करना है कि अभी जब स्वराज्य प्राप्त हुआ तो यह बात हुई थी कि एस० डी० ओज० को देहातों में हेडक्वार्टर्स बनाकर रहना चाहिये, लेकिन वह लोग वहां नहीं रहे। वास्तव में लाभ तो तभी हो सकता है जब वह लोग वहां रहें, जनता की दशा को देखें, जनता से सहयोग प्राप्त करें और तभी सुधार हो सकता है। कागजी सुधार से तो उतना लाभ नहीं पहुंच सकता जितना कि वास्तविक सुधार देहात में रह कर किया जा सकता है और वह तभी हो सकता है कि जब पारस्परिक सहयोग हो और जनता उसको सहयोग दे। लेकिन अभी कुछ दिन हुए एक प्रश्न के उत्तर में यह पता लगा था कि जहां इमारतें नहीं है वहां इमारतों की कमी के कारण वह लोग वहां नहीं रहते। लेकिन हमारे वहां इमारत की कमी नहीं थी। एक एस० डी० ओ० साहब अमेठी में रहते थे लेकिन जब वह एस० डी० ओ० साहब गये तो दूसरे एस० डी० ओ० साहब पुनः सुल्तानपुर में रहने लगे। तो यह समझ में नहीं आता कि जब सरकार की ऐसी नीति है कि जहां इमारतें हों वहां एस० डी० ओज० देहातों के अन्दर रहें, तब भी कोई एस० डी० ओज देहातों में क्यों न रहें? हमारा शासन सुव्यवस्थित हो, सफल हो और सब प्रकार से हमारा प्रदेश हरा भरा हो, यह तो सभी की हार्दिक इच्छा है। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं एक बात विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि अधिवासियों के लिये जैसा माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने बताया है कि जमींदारी उन्मूलन कोष में जो रुपया एकत्रित किया गया है उसमें से अन्य मदों में क्यों व्यय किया जाता है? तो मैं इतना ही इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि उसका सदुपयोग होना चाहिये। इसके बाद जैसा माननीय रामचन्द्र जी विकल ने और माननीय शर्मा जी ने कहा है, वह बिल्कुल ठीक है। समस्त व्यवस्था गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार जैसा कि महर्षि दयानन्द जी ने कहा है, होनी चाहिये और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सफलता नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि न्याय होगा और सब से सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव होगा। लेकिन मैं अभी देखता हूं कि देहातों में अब भी कड़ाई हो रही है, सख्ती हो रही है, जिससे जनता बेचैन हो जाती है और कभी-कभी उन पर करों का भार इतना लाद दिया जाता है कि और लोग उनको बहकाने के लिये पहुंच जाते हैं और ऐसे लोग जो वास्तव में नेता नहीं हो सकते, वह भी पहुंच जाते हैं और उनको बहकाने लगते हैं और जनता उनके बहकावे में आ जाती है क्योंकि वह जानती है कि इन अफसरों से अब फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि जब वह इन छोटे-छोटे अफसरों के पास जाती है तो गालियां पाकर लौट आती है और वह हताश हो जाती है। इस प्रकार शासन को सुव्यवस्थित करने की बहुत आवश्यकता है ताकि गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार पूर्णरूप से सब कार्य हों। तो इस प्रकार से इन सब बातों के लिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हम लोग क्या सभी लोग चाहते हैं और सभी लोग पूरे तौर से सहयोग देंगे लेकिन सुव्यवस्था हो जाय, जनता व्याकुल न हो, निराश न हो, दुर्व्यवहार न हो, न्याय के साथ शासन व्यवस्था हो और आफिशियलडम सेवा के रूप में परिणत हो जाय ताकि सब लोगों को पूरा लाभ हो। तभी हमारा देश और प्रदेश पनपेगा और सभी लोग सुखी होंगे वरना इससे कोई लाभ नहीं होगा कि समय बीतता जाय, एक जगह सुधार हुआ और दूसरी जगह फिर विलम्ब।

हिन्दी के लिये फिर निवेदन करके स्मरण दिलाना चाहता हूं कि उसके प्रति अब भी कुछ लोगों का भाव ऐसा बहकाने वाला मौजूद है, अभी थोड़ी सी बात हुई कि कुछ लोग कहने लगे कि फिर उर्दू का साम्राज्य होगा, ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। मैं नहीं कहता कि किसी भाषा का गला घोंटा जाय, लेकिन हमारी जो राष्ट्रभाषा का आसन है वह उससे न छीना जाय और अगर कोई भाषा प्रतिद्वंदिता करती है तो वह न कर सके और भाषायें पनपें, लेकिन राष्ट्रभाषा हिन्दी जो है वह अपने आसन पर आसीन रहे और उसके द्वारा भारत ही नहीं, बल्कि सारे संसार का कल्याण होगा और हिन्दी का जो आसन है वह

[श्री रंणजयसिंह]

उससे छीना न जाय और उसके प्रति जो दूषित मनोवृत्ति है उसको दूर किया जाय और समझा दिया जाय कि ऐसा करने से प्रान्त के लिये और देश के लिये अच्छा न होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार प्रकट करता हूं।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग को लाने पर मैं सबसे पहले मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि बहुत थोड़े में बहुत अच्छा उन्होंने पेश किया। उन्हें ही नहीं बल्कि अपने नेता विरोधी दल को और उपनेता त्रिपाठी जी को, जिस अच्छाई से उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, उसके लिये उनको भी धन्यवाद देता हूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---वे बोले ही नहीं।

श्री सीताराम शुक्ल---नारायणदत्त तिवारी जी ही सही।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---वे उपनेता नहीं हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---मेरी जबान से निकल गया, तो मुमकिन है नेता ही हो जायं। तो मैं उनके व्याख्यान पर बधाई देता हूं कि विरोधी वही अच्छा है जो अच्छी तरह से विरोध करे। बातें तो आपने बहुत कहीं लेकिन दो खास कहीं। एक तो यह कि बड़े आफिसरान की तनख्वाहें घटाई नहीं गईं और दूसरी यह कि साहब यह इंफार्मेशन विभाग का खर्चा बढ़ा क्यों दिया गया, इसकी क्या जरूरत है, बिला वजह बढ़ाने से क्या फायदा है; अखबार बहुत से निकलते हैं और अखबार निकालने की क्या जरूरत है। मैं उनको इस तर्क पर बधाई देता हूं। लेकिन यह बात उनके प्वाइंट आफ व्यू से ठीक हो सकती है। आप केवल यह चाहते हैं कि केवल चपरासियों की तनख्वाह बढ़ा दी जाय, कुछ छोटों की और बढ़ा दी जाय, इससे कोई मतलब नहीं। आप बढ़ाना नहीं बल्कि घटाना पसन्द करते हैं। छोटों की तनख्वाह बढ़ाई गई, उसकी कोई तारीफ नहीं, बड़ों की घटाई नहीं गई, उसकी शिकायत है। आपको बढ़ाने की शिकायत है। लेकिन मैं अर्ज करूं कि कांग्रेस सरकार का इरादा बढ़ाने का है, घटाने का नहीं है। बुराई को घटाना है और अच्छाई को बढ़ाना है, अच्छाइयों को घटाने का नहीं।

एक सदस्य---शायरी नहीं हो रही है।

श्री सीताराम शुक्ल---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को शिकायत है कि शायरी नहीं हो रही है। मैं दावत देता हूं कि आप मेरे यहां तशरीफ लावें, चाय भी पियें और शायरी भी सुनें, लेकिन यहां वक्त इस काम में लगाना उचित न होगा। इस सूबे के प्रशासन पर, श्रीमन्, खर्चा बहुत कम होता है। बिहार में २४.६, बम्बई में २९.०, मध्य प्रदेश में २४.१, मद्रास में २५.९, उड़ीसा में २३.४, पंजाब में २६.५, उत्तर प्रदेश में २१.३। सब से कम यहां खर्चा होता है और यह १९५३-५४ की आमदनी में से इतना खर्चा हुआ है। उसकी आपने तारीफ नहीं की, जरा इस पर खयाल कीजिये।

जहां जरूरत है वहां घटाया जाता है। आप चाहते हैं कि जो परेशान हैं वह तो हैं ही, लेकिन और ऊंचे अफसरों के सामने भी परेशानी हो ताकि जो जजमेंट होते हैं, जो फैसले होते हैं वह भी गलत हो जायं और उसका आप फायदा उठावें। जहां आपका दिमाग जाता है वहां इस पार्टी का भी दिमाग जाता है, लिहाजा ऐसी गलती करा कर आप उससे फायदा नहीं उठा सकते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब आगे आपने बताया कि इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट बेकार है। यह आपने लाजवाब बात कही। आप चाहते हैं कि सरकार जो काम कर चुकी है, कर रही है या आगे करने जा रही है उसकी कोई खबर पब्लिक के पास तक न पहुंचे ताकि आप गलत प्रोपेगेन्डा करें और लम्बी चौड़ी बातें करें। एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि शिकायत करना बहुत आसान है, ५ मिनट शिकायत करने के लिये बहुत काफी होता है और उसका जवाब देने के लिये घंटों की जरूरत पड़ती है। आप उस जगह नुक्ता रख रहे हैं कि जिससे प्रचार विभाग कमजोर हो। मैं बतला देना चाहता हूं कि जमींदारी खत्म हो गई है, जमींदार नहीं रहे। जहां कवियों का आदर होता था, जहां बड़े बड़े आर्टिस्ट पाले जा रहे थे। आज वह असंतुष्ट हो रहे हैं और अगर असंतुष्ट हुए, तो गलत काम कर बैठेंगे। आप चाहते हैं कि वह असंतुष्ट हों और हमारे माफिक लिख दें, लेकिन मैं समझता हूं कि वह ऐसी ही कवितायें लिखेंगे कि जिनसे मुल्क का फायदा होगा। यह मेरा विश्वास है। हुजूरवाला, प्रचार विभाग का यह भी काम है कि बुरे अच्छे हो जायं, दुश्चरित्र सच्चरित्र हो जाये, एक आलसी परिश्रमी हो जाये और एक स्वार्थी परमार्थी हो जाये। यह बहुत अच्छा काम है और इसके लिये आपने कहा कि पैसा क्यों बढ़ाया गया। हमें शिकायत है कि पैसा कम है और बढ़ाना चाहिये। आपने अखबार के बारे में कहा कि अखबार तो बहुत निकलते हैं, कम होना चाहिये। आपकी स्पीचें यहां ज्यादा छपती हैं और इधर बैठने वालों की कम। लेकिन निन्दा ज्यादा अच्छी मालूम होती है इसलिये आपकी स्पीच ज्यादा छपती है और इधर के लोग तारीफ करते हैं इसलिये वह कम छपती है, यह आपको वाजे रहे। यह ज्यादा छपते हैं इसलिये कि हमारी बातें गांव-गांव में पहुंचे और पब्लिक जाने कि उसको क्या करना चाहिये और वह समझे कि हमें किस बात को करने की जरूरत है और किस की नहीं।

अब मैं अन्त में एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करके अपनी बात समाप्त करूंगा। वह यह है कि :

अग्निदाहे न मे दुःखं, न दुःखं लौह ताड़नात्।
एतन्मह्यम् महद् दुःखं, गुंजया सह तौलनम्॥

सोना कहता है कि जब हमें परखने के लिये आग में डाला जाता है तो हमें दुःख नहीं होता, जब असली और नकली की जंचाई के लिये हमें लोहे से पीटा जाता है, तो दुःख नहीं होता, लेकिन जब हमें तोला जाता है और तराजू में एक तरफ जब घुंघची होती है और दूसरी तरफ हम, तो दुःख होता है। मैं अदब के साथ अर्ज करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को कहने की जरूरत है कि हिन्दी होने की जरूरत है। इसके लिये कहने की जरूरत है? हां, है अंग्रेजी जमाने से जो काम कर रहा हो और ऐसा खरा काम करने वाला हो, उसको यह कहने की जरूरत, हां, है। हिन्दी में काम नहीं हो रहा है। मुझे उर्दू से मुखालिफत नहीं, उसको रहना चाहिये और उसकी तरक्की होनी चाहिये, लेकिन सरकारी जबान तो हिन्दी हो गई है। इतने खत अंग्रेजी में जाते हैं, पता लगता है कि यह इसलिये कि टाइप राइटर नहीं है। मैं कहता हूं कि टाइप राइटर हिन्दी के होते हुए भी खत अंग्रेजी में जाते हैं, इसके क्या माने हैं? चिराग के नीचे अंधेरा रहता है, बिजली के ऊपर अंधेरा रहता है लेकिन आपके यहां क्या है? आप यह बिल्कुल आर्डर दे दीजिये कि हिन्दी में ही खत जायंगे। एक और दिक्कत है कि आपके अफसर साहबान हिन्दी नहीं जानते। अंग्रेजी तेज लिख सकते हैं, हिन्दी नहीं लिख सकते। उन्हें कहिये कि जरा तकलीफ करिये और हिन्दी ज्यादा इस्तेमाल करिये। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के एक प्रेसीडेंट साहब ने नोट तैयार किया था अंग्रेजी में

[श्री सीताराम शुक्ल]

और हिन्दी में व्याख्यान देना था। एक साहब जो यहां के बड़े भारी आदमी हैं, बहुत अच्छी हिन्दी जानते हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। जहां दो पंजाबी भाई मिलते हैं, पंजाबी में बात करते हैं, पहाड़ी मिलते हैं, पहाड़ी में बात करते हैं, बंगाली मिलते हैं बंगला में बात करते हैं और हम अंग्रेजी में बात करें, यह ठीक नहीं है। आखिर आपके बच्चे भी आपकी ही नकल करेंगे। इसलिये अगर आप चाहते हैं कि हिन्दी हो, तो मेहरबानी करके, बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप अपने यहां सेक्रेटेरियट में हिन्दी के टाइप राइटर दीजिये और कोशिश कीजिये कि आपके घर में ही आपका अपमान न हो।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सामान्य प्रशासन का स्तर ऊंचा हुआ है। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनकी इस बात की तरदीद करूं लेकिन मैं उनसे आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि सामान्य जनता क्या सोचती है। उस तरीके पर हमें इस बात का निर्णय करना है कि प्रशासन का स्तर ऊंचा उठा है या नीचे गिरा है। किसी भी राज्य के लिये दो उसके मुख्य स्तम्भ हैं, रक्षा और न्याय। मैं समझता हूं कि बाकी और बातें उसके पीछे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे राज्य में विकास के काम में काफी प्रगति हुई है। हमारे सिंचाई मंत्री ने सिंचाई की ओर अधिक ध्यान दिया है, खेती की तरक्की के लिये बहुत सी नई-नई बातों के करने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इन सब बातों पर अगर पानी फिर जाता है तो रक्षा और न्याय में जनता का विश्वास कम हो जाने के कारण । मैं फिर कहता हूं कि सामान्य जनता में रक्षा और न्याय में विश्वास कम हुआ है और होता जा रहा है। मैं मिसाल के तौर पर दो एक बातों की तरफ कि क्यों ऐसी बात है, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी मेरे जिले में, गाजीपुर के १०, १२ गरीब व्यक्तियों के ऊपर एक मुकदमा चला दिया गया। वे गाजीपुर के रहने वाले ३०, ४० मील पैदल मय औरतों और बच्चों के आवें और फिर मुकदमा पेश न हो, वापस चले जायं। जौनपुर में मुकदमा चलाया गया फौजदारी का, जब कि वह गाजीपुर के रहने वाले थे। इसी तरह से जौनपुर के एक व्यक्ति के ऊपर बम्बई में मुकदमा चलाया गया और वह एक जमींदार ने चलाया था और बम्बई से वारन्ट आया, वह गिरफ्तार हुआ। चार एकड़ खेत का झगड़ा था, वह शिकमी था, उसने जब इस्तीफा दे दिया, तब उसकी जान बची। मैंने यह सुझाव रखा कि फौजदारी के मुकदमे में जहां का मुल्जिम हो, अगर प्राइवेट कमप्लेन्ट पर मुकदमा हो, तो वह मुकदमा वहीं चलाया जाय जहां का मुल्जिम रहने वाला हो। यह कमप्लेन्ट केसेज के बारे में, मैं कह रहा हूं, पुलिस केसेज के बारे में नहीं। यह एक विचारणीय बात है और मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री और सदन के तमाम सदस्यों का ध्यान खींचना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि झूंठा मुकदमा दायर करके परेशान किया जाता है गरीब को । अगर जहां का वह रहने वाला हो, वहां मुकदमा हो, तो शायद उसकी परेशानी कम हो।

दूसरी बात यह है कि जूडिशियरी को लोगों से ज्यादा मिक्स नहीं करना चाहिये; आज न्याय में विश्वास इसलिये भी घट रहा है। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं कि मैं जौनपुर गया था, एक मुख्तार साहब ने मुझसे कहा कि जमानत की दरख्वास्त मैंने हाकिम के सामने दी और हाकिम ने उसे नामंजूर किया। फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल वही दरख्वास्त एक दूसरे वकील की मार्फत मैंने पेश करायी। उसमें एक लफ्ज भी इसलिए नहीं बढ़ाया और घटाया ताकि यह कहने को न हो कि कोई और दलील थी। चुनांचे उनके जाते ही अदालत ने बिना पढ़े उस जमानत की दरख्वास्त को मंजूर कर दिया। एक वकील एक तरफ से खड़ा होता है, उसके लिए फौरन मोहलत मिल जाती है। उसको दूसरे फरीक को यह देख कर कि कैसा वकील है

कौन है, ज्यादा हर्जा दिलाया जाय और दूसरी तरफ बिला हर्जा दिये ही मुकदमें में तारीख। इस तरह की शिकायतें होती हैं, इनको दूर करने के लिए केवल एक उपाय यही है कि जुडिशियरी को जनता में ज्यादा मिक्स नहीं होने देना चाहिये। एक्जीक्यूटिव तो तमाम जनता के बीच में रहे, उसके तो बहुत से काम हैं, लेकिन जुडिशियरी का केवल न्याय का काम है। जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव का बिल्कुल जब तक सेपरेशन नहीं हो जायगा तब तक शायद यह बुराई जिसकी ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया, दूर नहीं होगी।

दो एक बातें और हैं। डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी कमेटी ने इस बात की सिफारिश की थी कि सुपरविजन का काम बजाय मोटरों के घोड़ों पर लोग करें और गवर्नमेंट ने भी उस सिफारिश को मंजूर कर लिया था। लेकिन मुझे दुःख है कि बजट में जहां भी कहीं प्रोवाइड किया गया है जीप गाड़ियों के लिए और मोटर कारों के लिए प्रोवाइड किया गया है। घोड़ों के प्रोवाइड करने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है जब कि वह सिफारिश मंजूर कर ली गई थी। उससे सुपरविजन अच्छा होता है और मेरा खयाल है उससे अफसरों का एक रवैया भी बदलता है। तो मैं समझता हूं कि इधर ध्यान देना चाहिए।

यह भी प्रशासन की तरफ से लोगों में स्तर को नीचे गिराने की बात है कि जितने भी सरकारी नौकरी के लिए लोग आते हैं सब समझते हैं कि बिला सिफारिश के नौकरी कोई नहीं मिलेगी। इस धारणा का बढ़ना यह प्रशासन के लिए अच्छा नहीं है। यह सिफारिशें होती हैं, सुनी जाती हैं या नहीं सुनी जाती हैं, इस पर मैं ज्यादा जोर नहीं देना चाहता, लेकिन धारणा बढ़ती जा रही है और चाहे योग्य से योग्य व्यक्ति हो, वह भी यही समझता है कि जब तक कोई सिफारिश नहीं होगी, मेरी सुनवाई नहीं होगी। यहां इस सदन में पिछड़ी जाति की तरफ से इसीलिये संरक्षण की मांग की गई। मुझे मालूम हुआ कि दिल्ली के प्रान्त में पिछड़ी जातियों के लिए ३० प्रतिशत का संरक्षण है। वहां शिडयूल कास्ट और पिछड़ी जातियों को मिला कर शायद है। शिडयूल्ड कास्ट का दस प्रतिशत है लेकिन जब शिडयूल्ड कास्ट से दस प्रतिशत पूरा नहीं होता, तो वह भी पिछड़ी जातियों से भरा जाता है और कुल मिला कर ३० प्रतिशत सरकारी नौकरी उन्हें दी जाती है। मुझे नहीं मालूम कि क्या कठिनाई है हमारी सरकार को पिछड़ी जातियों को संरक्षण देने में। इससे मैं समझता हूं कि शासन के प्रति उनमें ज्यादा विश्वास पैदा होता है और इससे शासन को और जो सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति वाले हैं, उनका भी संतोष बढ़ता है। मैं सिफारिश करता हूं कि वह संरक्षण पिछड़ी जाति के लिए प्रशासन में मिलना चाहिये।

जिले के पुलिस कर्मचारियों का जहां तक सवाल है और रक्षा का जहां तक सवाल है, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सामान्य जनता का जहां तक सवाल है, उसके ऊपर से विश्वास घटता जा रहा है। उनकी काश्त की हुई फसलें दिन दहाड़े कट जायं, जिन खेतों पर उनका कब्जा वर्षों से चला आता हो, वह जबरदस्ती उस खेत से बेदखल कर दिये जायं, इन सब बातों से जनता में क्षोभ और न्याय और शासन के प्रति विश्वास घट जाता है। शासन को बलवान और मजबूत बनाने के लिए विश्वास यही एक बड़ी भारी ताकत है क्योंकि बाकी और सब चीजें जो कुछ हम कर रहे हैं, उसको हम गवां बैठते हैं अगर जनता अपना विश्वास रक्षा और न्याय में खो देती है। इसलिए दो बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। एक तो यह, और मैं इसके लिए बधाई देता हूं माननीय मुख्य मंत्री को कि उन्होंने यह जो घोषणा की कि जो सेक्रेटेरियट के लोग हैं उनको जिलों में भेजा जाय। मैं यह निवेदन करूंगा कि चुने चुने हुए डी० एम० वैसे ही हों जो कि जिले में पूरे तौर पर, पूरी जिम्मेदारी के

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

साथ जिले की स्थिति को सुधारने का जिम्मा लें। जहां तक कप्तान का सवाल है, मैं समझता हूं कि कप्तान को तो जिलाधीश की निगरानी के अन्दर रखना चाहिये। कई कई जिलों में पुलिस कप्तान और जिलाधीश दोनों में आपस में जो एक संघर्ष चलता है और जिलाधीश से कप्तान समझता है कि मेरा दर्जा कम नहीं है, ऐसी बातें होने से भी शासन में बड़ी त्रुटि आती है। जिलाधीश पूर्ण रूप से जिले का जिम्मेदार हो और जो भी पुलिस की शिकायतें हों उन सबके लिए पूरे अधिकार जिलाधीश के हाथ में दिये जायं। ऐसे जिलाधीश नियुक्त किये जायं जो जिले के संचालन में दिलचस्पी रखते हों और उन्हें जिले के मुताल्लिक सब बातों की जानकारी हो, जो अपने बंगले को छोड़ करके बाहर निकल सकें, दौरा करने में जिन्हें कठिनाई न हो और जिन्हें जनता का विश्वास प्राप्त हो।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रशासन के लिए अनुदान माननीय मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसके लिए उनको बधाई देते हुए, अपने जो कुछ सुझाव हैं उन्हें रखना चाहता हूं। प्रशासन के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने जो अपने विचारों को प्रकट किया है उनसे यह बात स्पष्ट है कि प्रशासन के अन्दर बहुत सी त्रुटियां हैं जिनकी वजह से आज हमारी जनप्रिय सरकार होते हुए भी जनता में सरकार के प्रति असन्तोष की भावना फैलने की काफी गुंजायश है और फैलती है। जितने अधिकारी वर्ग हैं उनके कार्यों की आलोचना करते हुए ऐसा समझ में आता है और ऐसा अनुभव है कि देश के स्वतंत्र होने से पहले सरकारी नौकरों के मस्तिष्क में जो नौकरशाही की भावना भरी हुई थी उसके प्रति जनता के अन्दर असन्तोष फैला हुआ था और देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद जनता को इस बात की आशा हुई थी कि हमारा देश है, हमारा अधिकार है, हमारा राज्य हुआ है और वास्तव में जो सरकार का कर्तव्य है, जो सरकार कानून इत्यादि बनाती है देश के विकास के लिए, जनता के लाभ के लिए, उनका प्रतिपादन उन अधिकारियों के द्वारा होता है। तो जनता को इस बात की आशा हुई थी कि हममें जैसे कि हमारे ये सेवक हैं और इनमें कोई विशेष अन्तर नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात प्रैक्टिस में, देखने में, व्यवहार में कम आती है। उन अधिकारियों के मस्तिष्क में वह भावना आज भी बनी हुई है। वह अपने को एक राजा की हैसियत से कम नहीं समझते हैं, उनके विचार ज्यों के त्यों हैं, उनके वही ठाठ हैं, उनके वही व्यवहार हैं, वही बातें हैं। मैं मिसाल के तौर पर एक बात यहां पर बता देना चाहता हूं कि कोई आदेश सरकार की तरफ से यदि निकलता है, जैसे नेशनल प्लान के ऊपर ले लीजिये कि लोन मांगा जा रहा है, तो उसको वसूल करने में कभी भी इस बात का प्रयास नहीं किया जाता पब्लिसिटी आफिसर्स के जरिये से या और जो साधन हैं उनके जरिये से कि यह कर्जा लिया जा रहा है। बल्कि जहां कमेटियों में यह बात होती है वहां तो इस बात पर काफी प्रकाश डाल दिया जाता है, मगर जहां अमली तरीके पर उसको प्रैक्टिस में लाने की बात होती है तो देहातों में यह चीज सुनने को मिलती है कि लेखपाल ने यह कहा कि, "तुम्हारे ऊपर तीन रुपया टैक्स सरकार की तरफ से बांध दिया गया, वह तुमको देय का परिहै"। इस तरीके से हम देखते हैं कि जनता के अन्दर व्यावहारिक तरीके से सेवा की भावना के साथ-साथ सही मानों में बातें समझाई जानी चाहिये वह नहीं समझाई जाती हैं। इसलिये मेरे विचार से इस तरह की चीज की जरूरत नहीं है। जहां तक स्वयं उनको कोई मौका देखने के लिये कहा जाता है तो उसमें बराबर टालटूल होती है। जहां तक कचहरियों का सवाल है और जो एक्जीक्यूटिव आफिसर्स होते हैं उनके पास भी क्रिमिनल केसेज १०७, १०८, १०९ और ११० के बहुत से मुकदमे रहते हैं और वह काफी लम्बे अर्से तक चलते हैं जिससे जनता को परेशानी होती है। इन आफिसर्स को समय नहीं

मिलता है। कभी एक बजे, कभी दो बजे और तीन बजे तक आते हैं और कभी तो चार पांच बजे तक आते ही नहीं और पेशकार से पेशी मिल जाती है। यदि उनके सामने यह बात पहुंचाई जाती है तो इधर उधर की बातें कह कर टाल देते हैं कि आज कल यह एक हेडेक हो गया है. और कमेटियों से छुट्टी ही नहीं मिलती है, हम कैसे करें और क्या करें !

इस प्रकार की चीज है और इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि जो आजकल एक-एक जिले के अन्दर बीसियों कमेटियां बनी हुई हैं। मैं समझता हूं कि देश को विकसित करने की आवश्यकता है और हमारी सरकार जिस तेजी से इस ओर अग्रसर हो रही है वह सराहनीय है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्लानिंग कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के अन्दर छोटी छोटी कमेटीज को मिला दिया जाय और उसकी मीटिंग की एक तिथि निर्धारित हो जाय, तो इन अधिकारियों का बहुत सा समय बच सकता है और वह दूसरे कामों में लग सकता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय हमारे देश की पापुलेशन थोड़ी थी उसी समय से जिला स्तर पर प्रशासन चल रहा है और आज हमारे देश की जनसंख्या बढ़ कर ३६ या ४० करोड़ के करीब हो गई है। ऐसी स्थिति में मैं यह कहना चाहता हूं कि तहसील लेविल पर कमेटियां बनाई जायं और एस० डी० ओज० के हैडक्वार्टर्स भी तहसील में ही होने चाहिये।

हमारे माननीय साथियों ने जो विचार प्रकट किये हैं उनसे जो बातें मालूम हुई उससे कुछ ऐसा समझ में आता है कि यह अधिकारियों की गल्ती है। मैं भी कहता हूं कि प्रशासन के काम में हमें अधिकारियों का सहयोग मिलना चाहिये जिससे जनता समझे कि यह हमारे सेवक हैं। हम लोग भी काफी आलोचना करते हैं। उनके लिये कानून बनाने की जरूरत है, उनके लिये आदेश हों या सरक्यूलर्स हों जैसा भी सरकार उचित समझे, निकालने चाहिये और उनको इंस्ट्रक्शन्स होने चाहिये पर हम भी अपने को मोल्ड करें। हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि प्रत्येक काम कानून से नहीं चला करते हैं बल्कि हृदय को परिवर्तित करना होता है। जहां तक सत्य बात हो, उसे कहने की जरूरत है। अगर हम किसी आदमी की केवल बुराई ही बुराई देखेंगे तो उसके ऊपर बुरा असर ही पड़ेगा क्योंकि वह सोचता है कि इसमें हम जो अच्छा करते हैं वह भी अच्छा नहीं कहा जाता है तो फिर हम क्यों न अपने को वैसा ही बनावें ? लेकिन साथ ही साथ में त्रुटियों के बारे में भी कहना चाहता हूं कि इनको दूर किया जाय।

बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे कि आज किसी आफिसर का ट्रांसफर हो जाता है तो उसको दावतें दी जाती हैं। यह दावतबाजी मेरे विचार से अच्छी चीज नहीं है क्योंकि इससे उनके मस्तिष्क में नौकरशाही भावना पैदा होती है, इसलिये इनको बन्द करना चाहिये। विभागीय कर्मचारी भी पैसा इकट्ठा करते हैं, कैसे इकट्ठा करते हैं, मैं इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन उनकी ओर से दावत होती है और यत्र-तत्र जनता में भी होती है, इसलिये मेरे विचार से इनको बन्द कर दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि जो सरकारी गाड़ियां अधिकारियों को दी जाती हैं उनका इस प्रकार से दुरुपयोग होता है कि वह अपनी निजी कार तो गैरेज में बन्द कर देते हैं और अपने प्राइवेट काम के लिये भी उन्हीं का प्रयोग करते हैं। अगर उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन सरकारी गाड़ियों में जाते हैं, अगर उनकी सब्जी आती है तो उन सरकारी गाड़ियों में, अगर उनकी लकड़ी आती है तो उन सरकारी गाड़ियों में, अगर उनको मटरगश्ती बाजार में करनी है तो उन्हीं सरकारी गाड़ियों में। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये बड़ी निन्दनीय हैं, इनके लिये हृदय परिवर्तन से काम चलने वाला नहीं, इनके लिये तो सरकार को ही ध्यान देने की आवश्यकता है।

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

आनरेरी मैजिस्ट्रेटों का जहां तक सम्बन्ध है, बेन्चें बनी हुई हैं, उनके यहां बहुत से मुकदमे जाते हैं, उनके ऊपर कोई कैद नहीं है, हम जानते हैं कि सरकार उनको कोई तनख्वाह नहीं देती है लेकिन उनके यहां ढाई-ढाई, तीन-तीन साल तक मुकदमे पड़े रहते हैं, मैजिस्ट्रेट आते नहीं हैं, कोई कार्य पूरा होता नहीं है। इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है।

एक और ध्यान मुझे सरकार का हिन्दी की तरफ दिलाना है कि हिन्दी हमारे राष्ट्र की भाषा बना दी गयी है; १५ वर्षों के अन्दर-अन्दर सारे देश में लागू होने की संविधान में भी उसकी व्यवस्था कर दी गयी है। लेकिन हमारे प्रदेश की भाषा तो हिन्दी है, यह निर्णय हो चुका है फिर भी जो आज सम्मन निकलते हैं उनके अन्दर न जाने कैसे-कैसे उर्दू, फारसी के शब्द भरे रहते हैं जैसे 'हाजा', 'असालतन' वग़ैरह वग़ैरह। मैं तो उर्दू जानता नहीं हूं, लेकिन अजीब से शब्द उसमें रहते हैं जो समझ में नहीं आते। जब हम सुझाव देते हैं, तो कहा जाता है कि ये सम्मन पहले से छपे हुये हैं। तो क्या सरकार के पास छपाने की कोई कमी है? यह ढांचा क्यों नहीं बदला जाता है? यह चीज अच्छी नहीं है, इस ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सब बातों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

*श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से माननीय मुख्य मंत्री जी को एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस सदन में एक नयी परिपाटी अपने पदारूढ़ होने के बाद कायम की है कि अपनी सरकार की कमजोरियों को, अपनी दुर्बलताओं को या विवशताओं को स्पष्ट रूप से वे सदन में रखने लगे हैं जब कि इसके पहले हम गोल-मोल, लीपा-पोती के तरीके या शब्दजाल या वाग्जाल के आदी हो चुके थे। इस एक बात के लिये मैं हृदय से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई बार इस तरह के विचार प्रकट किये हैं कि उनकी सरकार के हाथ में सत्ता समझौते के तरीके से आयी, इसलिये उनके सामने कठिनाइयां हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक विनय करना चाहूंगा कि क्या इतिहास की इस प्रक्रिया को जो भोंड़े तौर से हिन्दुस्तान में घटित हुई है उसके जरिये जो कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं उन कठिनाइयों को हल करने का तरीका वे आमूल रूप में कौन सा करना चाहते हैं। मेरी समझ में सब से पहली गलती तो उसी समय हुई जब कि सत्ता हस्तान्तरण के समय कांग्रेस हाई कमांड ने आल पावर टु कांग्रेस कमेटीज, जब कि कांग्रेस कमेटियां सचमुच हिन्दुस्तान की जनता की भावनाओं की प्रतीक थीं, जब कि कांग्रेस में सभी प्रकार के विचार के लोग थे, यह नारा नहीं दिया। सही मानों में सारी सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में रह गयी जो पहले से सत्ताधारी की शक्ल में हमारे सामने आते थे और यही वजह है कि जनता के सामने बुनियादी तब्दीली जो माननीय मुख्य मंत्री जी भी लाना चाहते होंगे, नहीं दिखाई पड़ती अन्यथा परिवर्तन दिखाई पड़ता। इस मौजूदा नौकरशाही के रहते हुये, नौकरशाहियत, रेड टेपिज्म, भ्रष्टाचार, जन-सम्पर्क की कमी और संदिग्ध भ्रष्टाचारी होते हुये भी शासन के यन्त्र में बड़े-बड़े लोगों का बना रहना, ये दिक्कतें हैं जिन्हें उनको हल करना होगा।

(इस समय ३ बजकर ४८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

यह बात सही है कि अब इतिहास के रथ के घोड़े को हम वापस नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हमारा खयाल है कि उन बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को आगे बढ़ना होगा, जो एक विशेष विचार दर्शन के मानने वाले होने के नाते करने में क्षम्य हो सकते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता था कि आज जनता का एक कामन मैन किसी एक अधिकारी को देखकर, तहसील के अधिकारी को देखकर, जिले के अधिकारी को देखकर वह उसको रक्षक के रूप में और उसको बचाने वाले के रूप में नहीं समझता है बल्कि उसको देखकर वह आतंक और रोग की मूर्ति समझता है। तो उनको जून भावना की अनुभूति करनी चाहिये। केवल सरकारी रिपोर्ट पर मुनहस्सिर रहकर सचमुच जनता की भावना को आप समझ नहीं सकते हैं जिनको यहां पर माननीय सदस्यों ने कई तरह से प्रकट किया है.....

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)––आप यह यहां की बात कह रहे हैं या रूस की ?

श्री झारखंडे राय––यह मैं यहीं की बात कह रहा हूं। आज कानूनी न्याय और सत्य न्याय में विरोध है। उनके पास कौन सी योजना है जिसके द्वारा वह कानूनी न्याय और सत्य न्याय के अन्तर (विरोध) को कम करना चाहते हैं। उधर के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जरूरी है जिलाधीश को मोटर दी जाय। हम भी समझते हैं कि उनके पास मोटर रहे मगर एक मील चलकर अगर वह वास्तविकता को समझ सकता है और उसकी सही रिपोर्ट सरकार के पास भेज सकता है तो इससे जनता का बहुत लाभ हो सकता है। मगर वह ऐसा इसलिये नहीं करता कि उसके पास मोटर नहीं है या वहां तक मोटर नहीं जा सकती है, यह मैं समझता हूं कि एक बहुत ही गलत स्थिति होगी। गोरखपुर जिले में बांसी तहसील हमारे जिले के सामने पड़ती है। वहां पर घाघरा ने एक गांव को ८० फीसदी काट दिया और गांव के ७० फीसदी मकान भी गिर गये। सरकार के पास वहां की स्थिति के बारे में तार दिये गये और प्रार्थना भी की गयी लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर और उस तहसील के एस० डी० ओ० आज तक वहां नहीं पहुंच सके हैं इसलिये कि वहां पर मोटर का रास्ता नहीं है। वहां पर साइकिल जा सकती है, चूंकि मोटर का रास्ता नहीं है इसलिये आज तक वह नहीं गये और उसकी कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आयी है। उस गांव की दयनीय दशा थी और कोई भी हृदयवाला आदमी बगैर रोये रह नहीं सकता था। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनको जांच की प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन करना होगा। हम भी अधिकारियों की शिकायत करते हैं और उनकी पार्टी के लोग भी उनकी शिकायत करते हैं। लेकिन वह शिकायत जांच के लिये उसी अधिकारी के पास पहुंच जाती है। अगर पुलिस की शिकायत की जाती है तो वह शिकायत घूम फिर कर उसी के पास पहुंच जाती है तो फिर वह आदमी वही लिखता है जो उसके जी में आता है और उसके हित में होता है। इस बात की ओर उनका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस जांच की प्रणाली को उनको आमूल बदलना होगा। समय कम है, मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं कि सामान्य जनता की हार्दिक आवाज मुख्य मंत्री तक किस प्रकार से पहुंचे ? क्या उसका एकमात्र साधन वही कागजी रिपोर्ट है जिसमें इधर से उधर कुछ लिखा जाया करता है? मैं निवेदन करूंगा कि उनकी भलाई के लिये, उनकी पार्टी की भलाई के लिये जरूरी है कि जनता की सामान्य आवाज पकड़ने के लिये कोई और साधन निकालें जिससे उनके पास तक सही बात पहुंच सके।

मैं एक बात और कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की तरफ अपना ध्यान दें। अभी एक प्रश्न के उत्तर में जवाब मिला था कि लाल चीन नामक किताब की ५०० प्रतियां शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों में वितरित की गयी हैं। चूंकि चीन के बारे में लोगों की जानकारी कम है इसलिये वह जानकारी के लिये बांटी गयी है। मैं समझता हूं कि चीन के बारे में उतनी ही गलत रिपोर्ट है जितनी कि हो सकती है। चीन हमारा एक महान् पड़ोसी देश है और हमारा उनका संबंध शताब्दियों से चला आता है और आज भी हमारा उनके साथ मित्रतापूर्ण संबंध है और आज भी सही मानों में हमारे प्रधान मंत्री महोदय उस पड़ोसी देश पर अभिमान प्रकट करते हैं किन्तु इस किताब से आप उसका अपमान करते हैं

[श्री झारखंडे राय]

और उस देश के मुंह पर कालिख पोतने की कोशिश करते हैं और उस पुस्तक को सरकार की ओर से वितरित किया गया। हो सकता है यह मंत्री जी की उस भावना के कारण हुआ हो जो कम्युनिस्ट विरोधी भावना कहलाती है।

*श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि अपने देश में जब तक यह शासकीय संगठन उचित ढंग से काम नहीं करता है तब तक देश की तरक्की होना गैरमुमकिन मालूम होती है। अब इस सदन में बहुत विस्तार से उस पर बात करने के बजाय हमें यह आवश्यक है कि हम देखें कि उसको किस प्रकार से संगठित किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको पवित्र बनाया जा सकता है जिससे जो उनकी ड्यूटी है उसको वे पूरी तरह से निभा सकें। सरकार से इस मौके पर इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि आज अखिल भारतीय सेवा के लिये सरकार के सामने जो कसौटी है उस कसौटी में सरकार को यह गुंजाइश करनी चाहिये कि अगर किसी की ईमानदारी पर रत्ती भर भी संदेह हो तो उसे अखिल भारतीय नौकरी न दी जानी चाहिये। अभी हम यही कह सकते हैं कि उस कसौटी पर ठीक प्रकार से उनको कसा नहीं गया है। इसके बारे में और कुछ इस समय नहीं कहना चाहूंगा।

इस वर्ष का जो बजट है वह दूसरे वर्षों के बजट से कुछ भिन्न है, इस वास्तविकता को मैं कबूल करता हूं। पहले वर्षों में हमें चेष्टा करनी पड़ती थी, हमें वकालत करनी पड़ती थी कि निम्न दर्जे के कर्मचारियों को कुछ मिलना चाहिये। जहां और वर्षों में निम्नवर्ग के लोगों में कमी, उनके वेतन और भत्ते में कमी का खतरा रहता था, वहां इस वर्ष में स्वीकार करता हूं कि कांस्टेबिल्स को जो दिया गया है वह एक कदम ऐसा है जिसमें कोई प्रगति का उपासक यह समझ सकता है कि आगे बढ़ने का मौका है। इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े अफसरों पर जो खर्चा किया जाता है उसमें जो कमी नहीं की गयी, इसकी कमी रह गई है, जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। जब तक कि जहां धन है वहां से नहीं निकलेगा तब तक हम उन लोगों की भी सेवा नहीं कर सकते जो निम्न श्रेणी के हैं। हम यह जानते हैं कि जिस प्रकार से हम देश का हित चाहते हैं उसी प्रकार से जो बड़े-बड़े आफीसर्स हैं वे देश का हित चाहते हैं तो वे यह कभी भी ऐतराज नहीं करेंगे कि भारत सरकार से जो उनकी शर्त तय हुई है वे उसी के अनुसार कार्य करेंगे। मुझे विश्वास है कि बदली हुई परिस्थितियों में वे ऐसा दावा नहीं करेंगे।

मैं यह भी सोचता हूं कि प्रशासन का और न्याय विभागों को जहां तक अलग करने का संबंध है उसको तेजी के साथ होना चाहिये। इसके साथ ही साथ इस बात को भी कहूंगा कि सरकार को अगर इसमें कुछ लाभ भी दिखता हो तब भी उसे इस कार्य को जल्दी करना चाहिये। जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसको सरकार अपने हाथ से जल्दी से जल्दी मुक्त कर दे और, अध्यक्ष महोदय, वह विभाग सोलहो आना आप को सुपुर्द हो जाना चाहिये। पार्लियामेंट के स्पीकर के जो अधिकार हैं वे हमारे यहां के स्पीकर के अधिकारों से बहुत ऊंचे हैं। वे ही अपने विभाग के कर्मचारियों को तरक्की देने, रखने और निकालने के लिये प्राइम मिनिस्टर साहब से सलाह लेकर करते हैं। लेकिन यहां बिलकुल उल्टा है, मैं आपका और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा क्योंकि माननीय सदस्यों के अधिकारों की हिफाजत तभी हो सकती है जब कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट सरकार के हाथ से बिलकुल मुक्त हो। अभी कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी ने यहां एक ऐसी बात कही जिसके संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने भूमि के बटवारे से कतई इंकार कर दिया कि इस सूबे में भूमि बटवारे का कोई सवाल ही नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने मालगुजारी के सिलसिले में कहा कि मालगुजारी हमारी बढ़ेगी और बढ़ रही है। इन दोनों बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भूमि-बटवारे से इंकार करना एक ऐसी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐतिहासिक आवश्यकता से इन्कार करना है जिसको मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कबूल नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में एक स्पष्ट नीति सरकार की होनी चाहिये। हमारी तरफ सारे देश की निगाह लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार को एक निश्चित नीति इस संबध में बनानी चाहिये। मैं समझता हूं कि जब तक भूमि का बटवारा नहीं होता है यहां की बेकारी की समस्या का हल निकलने वाला नहीं है। कृषि उत्पादक वस्तुओं की तरफ में सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है, मैं भी मानता हूं। लेकिन हमारे सूबे में गन्ने की उपज काफी मशहूर है और सारे देश में जितना गन्ना पैदा होता है उसका ५४ प्रतिशत गन्ना हमारा सूबा पैदा करता है। ५४ प्रतिशत गन्ना पैदा करने के बाद भी जितनी चिन्ता सरकार को हमारे प्रांत की रखनी चाहिये, उतनी चिन्ता नहीं रखी गयी, यह हमारी शिकायत है। आज हमारे देश के गन्ना उत्पादकों को करोड़ों रुपये का जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो पैसा मिल मालिकों के पाकेट में चला गया है और जो देश के किसी काम में भी नहीं आ सकता है, यह बड़ी शिकायत की बात है और सरकार के छोटे-छोटे जो भी प्रयत्न हैं, उस प्रयत्न को और भी आगे जाना चाहिये ताकि गन्ना बोने वालों को अपना उचित मूल्य पाने में सहायता मिल सके।

एक बात बड़े बखेड़े की है जो कि हमेशा हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों के वेतन मिलने में पैदा हुआ करती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों को जितनी कम तनख्वाह मिलती है उसकी तरफ तो ध्यान दिलाना ही चाहता हूं, लेकिन जो भी वेतन मिलता है वह दो-दो, चार-चार और छः छः महीने तक नहीं मिल पाता। आखिर सरकार बोर्ड को ग्रांट देती है और अगर उस ग्रांट को समय पर दे दिया जाय और बोर्ड को हिदायत दे दी जाय कि उन्हें ठीक समय से वेतन देना होगा तो मैं समझता हूं कि सरकार की बहुत सी परेशानियां जो हैं वे भी और बोर्ड और अध्यापकों की भी बहुत हद्द तक दूर हो जावेंगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत से ऐसे अवसर पर इस शासन का भार अपने हाथ में संभाला है जब सारा देश उनकी ओर देख रहा है, मैं भी देख रहा हूं, सब लोग देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगली राजनीतिक जिन्दगी में शायद इतना बहुमत किसी दल को प्राप्त हो सकेगा, इसमें मुझ संदेह है। एक ऐसा बहुमत जिसके नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में जो कुछ भी फैसला हो, उस फैसले के आगे अपने सर को झुकाने को तैयार है, तो इस मौके पर अगर सरकार कोई बोल्ड स्टेप ले, कोई साहसिक कदम उठावे, तो देश के लिये कोई रास्ता निकल सकता है। मेरा विश्वास है कि कोई भी फैसला जो माननीय मुख्य मंत्री जी करेंगे उस फैसले से यह सदन इन्कार नहीं कर सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश की ऐसी हालत है कि आज मैं उत्तर प्रदेश की उसी जगह से आता हूं जहां की परेशानियों और दयनीय स्थिति का क्या बयान करूं कि ५ आने मजदूरी पर २२, २४ हजार मजदूर ८ घंटे तक काम करने के लिये तैयार थे। लेकिन वहां टेस्ट वर्क को बन्द कर दिया गया। यह अकाल की स्थिति है, फेमिन की स्थिति है और बार बार इसको दोहराने से माननीय सदस्यों को भी शिकायत होती है कि जब कभी मैं आता हूं तो देवरिया जिले की दयनीय स्थिति का ही बयान करता हूं। वहां की दयनीय स्थिति का मैं वर्णन नहीं करूंगा। लेकिन वह मैं इसलिये नहीं करता कि वहां की स्थिति सुन कर किसी को तकलीफ हो, बल्कि मजबूर होकर ही मैं वहां की दयनीय स्थिति को माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं कि वे इस तरफ विशेष ध्यान दें और ध्यान देकर इस सूबे की हालत को ऐसा बनाने में सफल हों, यह हमारी शुभकामना है जिससे कि हम अगले दो तीन वर्ष के भीतर कम से कम इतनी रोटी हासिल कर पायें कि कम से कम एक निश्चित तादाद में हमें रोटी तो मिल जाय। अध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर मैं जरूर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैंने देखा कि बंगलों में जो अफसर लोग रहते हैं उनके बंगले की फसल बेंचने का प्राविजन इस बजट में है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि ये फसलें बेंची न जायं बल्कि वे बंगले

[श्री गेंदा सिंह]

के मालिकों को ही दे दी जायं। जहां तक हो सरकार उनसे सेवा ले, उनकी तनख्वाह में भले ही कमी करे लेकिन यह मैं जरूर चाहता हूं कि जो लोग जिन बंगलों में रहते हैं उनकी फसलें उन्हीं लोगों को दे दी जायं। इससे एक फायदा यह होगा कि उपज में भी वृद्धि होगी और खेती की तरफ भी उनकी रुचि होगी। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि इसे जरूर कर दिया जाय। और अन्त में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कलेक्टर और कमिश्नर लोग जो हैं उनकी हैसियत आज माननीय मंत्रियों से भी ऊंची है। मैं नहीं चाहता कि मंत्री लोग या वह कोई ऐसी आराम की जिन्दगी अपनायें जो जनता की साधारण जिन्दगी से बहुत ऊंची हो। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सारे संसार में कहीं ऐसी बात नहीं है कि कहीं माननीय मंत्रियों के वेतन से अधिक वेतन अफसरों को मिलता हो। अब सवाल यह है कि यह कैसे हो और कौन करे, मैं समझता हूं कि देश की गरीबी और करांची के प्रस्ताव का ध्यान रखते हुये वह और तमाम कलेक्टर और कमिश्नर भी जरा नीचे आने की कोशिश करें।

अन्त में एक बात और कह दूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता लेकिन कलक्टरों और कमिश्नरों के बारे में कहीं-कहीं बहुत गम्भीर शिकायतें हैं। क्या क्या शिकायतें हैं और किस के खिलाफ हैं, इसकी चर्चा मैं इस वक्त नहीं करना चाहता क्योंकि उससे कुछ गलतफहमी हो जाती है। मैं इस चीज की तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। कहता मैं इसलिये नहीं हूं कि अक्सर यह गलतफहमी हो जाती है कि किसी खास दल की वजह से शिकायत की जाती है। मैं चाहता हूं कि सिविलियन किसी दल के पीछे न रहें क्योंकि उन की पोस्ट कोई एलेक्टिव तो है नहीं कि वह एक बार हो गये तो कुछ वर्ष तक रह सकते हैं, इसलिये उन के साथ कोई रियायत नहीं होना चाहिये।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, इस सामान्य प्रशासन के बजट के समय जो वादविवाद चल रहा है उस में कुछ कहने अथवा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता मेरे लिये नहीं थी क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी पूर्ण समर्थ हैं उन समस्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिये और जो शंकायें उठाई गई हैं उनका समाधान करने के लिये यह पूरा समय देंगे और उसके लिये वह पूर्ण समर्थ हैं। ऐसी अवस्था में मुझे अधिक बोलना नहीं था परन्तु सूचना विभाग का बजट सामान्य प्रशासन विभाग का अभी तक एक अंग बना चला आ रहा है। उसके संबंध में माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उस में उन्होंने इस विभाग का भी कुछ उल्लेख किया है और इसलिये मुझे यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि मैं थोड़े से समय में उन प्रश्नों का कुछ निराकरण कर दूं कि जो उन्होंने सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं। अब तक सूचना विभाग सचिवालय का भाग रहा है और ऐसा बहुत दिनों से है सूचना विभाग। सचिवालय का भाग होने के कारण उस का बजट भी सचिवालय के बजट के साथ ही आता रहा है। अब सूचना विभाग का विस्तार हुआ है और संभव है कि भविष्य में यदि आवश्यक प्रतीत हुआ कि उसका काफी विस्तार हो चुका है और उसका बजट अलग कर दिया जाय तो संभवतः वह भी किया जा सकेगा।

माननीय नारायण दत्त जी ने एक प्रश्न यह उठाया कि सूचना विभाग कमर्शियल घोषित हो गया है इसलिये उस का सारा बजट सदन के सामने आना चाहिये। मैं नहीं समझता कि उन्होंने यह कैसे समझ लिया कि सूचना विभाग एक कामर्शियल संस्था हो गई है। .....

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैंने पब्लिकेशन ब्यूरो के लिये कहा था।

श्री कमलापति त्रिपाठी—तो जो हमारा कामर्शियल ब्यूरो है वह कामर्शियल घोषित किया गया और उस से जो कुछ आय हुई है वह तो बजट वाल्यूम के पेज ४०३ पर दी हुई है। साथ ही साथ जो नियम इस के लिये बनाये गये हैं वह आडिटर जनरल के यहां भेजे गये हैं और वह जब आ जायेंगे तो लागू किये जायेंगे लेकिन जो दूसरे विभाग जिला अधिकारियों

के या फिल्म प्रोडक्शन आदि के हैं उन का प्रोडक्शन ब्यूरो से संबंध नहीं है और न वह कामर्शियल हैं। अगर वह उसका हिसाब देखेंगे कि क्या आय हुई है तो उनको संतोष होगा और यह आश्वासन मैं देना चाहता हूं कि उसके नियम बनाकर आडीटर जनरल के यहां भेजे हैं और उनकी स्वीकृति के बाद वे पूरी तरह से लागू कर दिये जायेंगे कि किस तरह से उसका हिसाब किताब रखा गया है। दो तीन और प्रश्न उन्होंने उठाये जिनसे, अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ आश्चर्य भी हुआ है। एक प्रश्न तो उन्होंने यह उठाया कि इसका बजट क्यों इतना बढ़ गया? गतवर्ष कदाचित् उन्होंने १० लाख रुपये का बताया था परन्तु गतवर्ष १५ लाख का बजट था और इस वर्ष वह ४० लाख क्यों हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस प्रदेश का बजट सन् १९४६ से १९५५ के बीच में कई करोड़ रुपया बढ़ गया और जिस प्रदेश के समस्त विभागों में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसका बजट दुगुना तिगुना और कहीं कहीं चौगुना तक न बढ़ गया हो उस संबंध में नारायण दत्त तिवारी जी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ परन्तु सूचना विभाग एक छोटा सा विभाग है जिसका १५ लाख का बजट गत वर्ष था उसके लिये उनको आश्चर्य हुआ कि क्यों इतना बढ़ गया है। श्रीमन्, मैं स्वयं इस रहस्य को नहीं समझ सका परन्तु वृद्धि किस कारण से हुई है इसकी पूरी व्याख्या बजट साहित्य में दी हुई है। मान्यवर को कदाचित् याद होगा कि सूचना विभाग का एक बड़ा भारी भाग जिले के सूचनाधिकारियों का है। पिछले साल डेढ़ साल पहले वह नियोजन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था और सोचा यह जा रहा था कि जो नियोजन विभाग की कमेटियां बनी हैं और जिले जिले में जो नियोजन का काम हो रहा है उसमें नियोजन अधिकारी के अधीन सूचना विभाग के ये अधिकारी कदाचित कोई सहायता उनकी कर सकेंगे। साथ-साथ उस जिले की जनता के हृदय में नियोजन के प्रति जो कार्य किये जा रहे हैं उनके प्रति कुछ रुचि और उत्साह उत्पन्न कर सकेंगे। इसमें नीति के परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने कहा कि सूचना विभाग में पिछले दो तीन वर्षों में नीति का परिवर्तन हुआ है लेकिन इसमें मैं नहीं समझा कि नीति के परिवर्तन का प्रश्न कहां है। सूचना विभाग ने जिस नीति के अधीन अपना कार्य किया है और जो उसकी नीति रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ता है। अवश्य ही आन्तरिक शासकीय प्रबन्ध के भीतर व्यवस्था में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन इधर से उधर हुआ हो लेकिन उसमें नीति के परिवर्तन की कोई बात नहीं उठती। अब कुछ दिनों के अनुभव के बाद यह ज्ञात होता है कि सूचना अधिकारियों का प्रबन्ध अच्छी प्रकार सूचना विभाग के अधीन ही होगा इसलिये उनको सूचना विभाग के अन्तर्गत कर लिया गया लेकिन उसमें केवल उनके नियंत्रण और उनके संचालन की बात है। इसमें कोई नीति परिवर्तन की बात नहीं है। इसलिये उनके आ जाने से उनके कार्यालय का खर्च है और अन्य व्यय है और वह सब करीब ८ लाख के हैं, तो वह खर्च बढ़ा है।

उन्होंने यह भी प्रश्न किया है कि ४० हजार पंचायत राज पत्रिका के बजाय ७० हजार क्यों छपाई जायगी? इसका छोटा सा उत्तर है कि पंचायतों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे पंचायत राज पत्रिका की अधिक प्रतियों की भी आवश्यकता है। अब हमारे देश में पंचायतों की संख्या ६०, ६५ हजार होगी जो माल विभाग के द्वारा बनेगी तो हिसाब से पंचायत राज पत्रिका की प्रतियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है और अवश्य ही इसलिये उसका व्यय कुछ बढ़ा है क्योंकि संख्या जब अधिक छपाई जायगी तब खर्च भी बढ़ेगा ही। अब पंचायत राज पत्रिका केवल पंचायत राज विभाग की पत्रिका ही नहीं है, न हो सकती है। यह भ्रम होता है पंचायत राज पत्रिका सुनकर कि यह पंचायत राज विभाग की होनी चाहिये और वहीं से निकलनी चाहिये और यही नारायण दत्त जी तिवारी ने कहा। लेकिन अगर वे दृष्टिपात करें तो वे देखेंगे कि इस पत्रिका में समस्त विभागों का उल्लेख होता है, सभी विभागों का उस पत्रिका से सम्बन्ध है और पंचायतों में वह पत्रिका विशेष रूप से जाती है। प्रत्येक पंचायत इस पत्रिका का ग्राहक है और इसी कारण उसका नाम पंचायत राज पत्रिका रक्खा गया है और हम चाहते हैं कि प्रत्येक पंचायत उसकी ग्राहक हो इसलिये कि सरकार के जितने कार्य हो रहे हैं देहातों में--वे

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

वे शिक्षा सम्बन्धी हों, स्वास्थ्य सम्बन्धी हों या किसी भी सम्बन्ध में हों उनका ज्ञान पंचायतों को और गांवों के रहने वालों को होना चाहिये। इस दृष्टि से वह पत्रिका निकाली जाती है, केवल पंचायत राज की ही वह पत्रिका नहीं है।

मैंने देखा कि डायरी और पंचांग से उन्हें विशेष प्रकार से चिढ़ हुई। मुझे खेद है कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं। ये डायरी और पंचांग हमारे विभाग से प्रकाशित होते हैं और वे अत्यन्त ही लोकप्रिय हैं। मान्यवर, ये जो कापियां छपती हैं और माननीय सदस्यों की सेवा में प्रस्तुत की जाती हैं, उनके सिवा उनको बाजार में बेचा भी जाता है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं नारायण दत्त जी को कि उनकी एक कापी भी बच नहीं पाती, प्रत्युत तमाम कापियां खरीद लेने के बाद हमारे पास आर्डर्स आते रहते हैं कि हम उनको दें। उसमें अगर कलेंडर है अथवा थोड़ी सी डायरी है तो उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि वह एक ऐसे रिफरेंस की किताब भी है जिसमें तमाम ऐसी सूचनायें भी होती हैं जो प्रतिक्षण किसी भी समय, जो कोई चाहे उपलब्ध कर सकता है। इस दृष्टि से वह निकाली गई उसमें कोई प्रचार की सामग्री नहीं होती। प्रदेश की समस्त आवश्यक सूचनायें और कुछ प्रदेश के बाद देश की भी आवश्यक सूचनायें उसमें संकलित की जाती हैं। अलग-अलग ऐसी पुस्तकें निकलती हैं लेकिन अगर एक दफा कोई चाहे किसी एक सूचना को प्राप्त करना तो उन पुस्तकों को खोजते-खोजते उतनी शीघ्रता से वह सूचना प्राप्त नहीं हो सकेगी जितनी शीघ्रता से कि रिफरेंस बुक में मिल सकती है। इसीलिए वह अत्यन्त लोकप्रिय हमारे प्रदेश में नहीं, बाहर की सरकारों में भी उसकी उपादेयता और लोकप्रियता स्वीकार की गई है। उन्होंने उसकी नकल की है और अपने यहां इस प्रकार का प्रकाशन निकालना आरम्भ कर दिया है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि थोड़े से जिन प्रश्नों को नारायण दत्त जी ने उठाया था उनको मैंने थोड़े में उत्तर दे दिया है।

केवल एक बात और कहना चाहता हूं। आपने यह कहा कि पी० सी० एस० आफिसर को भर्ती क्यों किया जा रहा है? मैं यह भी निवेदन कर दूं कि हमारे यहां सूचना विभाग में सचिव और संचालक का पद एक ही व्यक्ति के हाथ में बहुत दिनों से चला आ रहा है। पहले हमारे यहां संचालक होते थे। अब हमारे यहां संचालक और सचिव एक ही व्यक्ति हैं जो काम कर रहे हैं। दो तीन वर्षों से एक ही व्यक्ति के जिम्मे यह काम होता आ रहा है। लेकिन यह विभाग बढ़ता जा रहा है और मैं सदन के सम्मुख यह स्वीकार करना चाहता हूं कि मैं स्वयं चाहता हूं कि यह विभाग बढ़े और सूचना विभाग को जितना सक्रिय मैं चाहता हूं कि वह हो और जितना काम हो वह करे और अपने लक्ष्य की सिद्धि कर सके और जिस प्रयोजन से उसकी स्थापना हुई है और जिस प्रयोजन की पूर्ति हम चाहते हैं कि वह कर सके उतना कर सकने में वह समर्थ नहीं हुआ है जिसका कि हमें खेद है। और इस बात की हम पूरी चेष्टा कर रहे हैं कि वह उस प्रयोजन को सिद्ध कर सके और इसलिये हम चाहते हैं कि संभव हो सके तो सचिव और संचालक के पद को हम अलग करें और इसके लिये चाहे पी० सी० एस० आफिसर हो या अन्य योग्य व्यक्ति हो उसे रक्खा जाय। यह व्यवस्था बजट में कर दी गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसे समाज में जिसकी रचना लोकतंत्र के बुनियाद पर पड़ रही हो उसमें सूचना विभाग का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है, विशेषकर डेमोक्रेसी में—केवल डिक्टेटोरियल स्टेट्स ऐसी होती हैं कि उनकी पब्लिसिटी का नया ढंग है। वे विरोध सुनना नहीं चाहतीं लेकिन अपनी पब्लिसिटी इस ढंग से करती हैं जिसकी कल्पना करना भी कठिन हो जाता है। वहां सूचना विभाग की स्थापना न हो और उस डिक्टेटोरियल स्टेट के पब्लिसिटी के ढंग को तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि उनके उस ढंग को दोषपूर्ण मानते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इस बात की पूरी चेष्टा की जाती है। एडवर्टाइजमेंट के तौर पर ही नहीं बल्कि सरकार क्या कर रही है, इसका ज्ञान जनता

को भरपूर हो, इस सिद्धान्त को मान कर सूचना विभाग की स्थापना की जाती है। जहां नई-नई व्यवस्थायें स्थापित हो रही हों जहां नये समाज की रचना हो रही हो, जहां एक नयी योजना चल रही हो जीवन को परिवर्तित करने के लिये, एक समाज का निर्माण करने के लिये लोकतंत्रात्मक ढंग से, जिसमें जनता का सहयोग हमको मिले, जिसमें जनता के जीवन का निर्माण हमको करना है, जिसमें उसकी रुचि और उसकी दृष्टि से उसी के लिये उसको प्रेरित करना है, वैसे समाज में एक इस प्रकार के विभाग का बड़ा भारी कार्य है, कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से होने वाले कार्यों का ज्ञान कम से कम जनसमाज को करा दे। प्रचार की दृष्टि से नहीं, मैं जानता हूं कि हमारे ऊपर यह भी आक्षेप हो जाता है कि यह एक प्रकार का प्रचार किया करते हैं, परन्तु सरकारी कार्यों का प्रचार---यह उनका कर्तव्य है और उन्हें करना चाहिये ताकि जनता के हृदय में यह भरोसा और आत्म विश्वास पैदा हो सके जिसके बिना डेमोक्रेसी के ऊपर आधारित सरकार डेमोक्रेटिक ढंग से अपना कार्य नहीं कर सकती और अपनी प्रक्रियाओं को कभी पूरा नहीं कर सकती। इसी दृष्टि से हमारा यह विभाग अपना यह प्रयोजन और लक्ष्य रखता है।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे विभाग का यह भी कर्तव्य है कि वह हमारे प्रेस के और सरकार के बीच में एक कड़ी बनी रहे, क्योंकि प्रेस की बड़ी मान्यता होती है खास कर लोकतंत्रात्मक समाज में। वह जनता का, जीवन और उसकी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। वह प्रचारक है जनता का और उससे सरकार का और जनता के जीवन का घनिष्ट संपर्क होना आवश्यक है। यह संपर्क किस तरह से होगा? इस सम्पर्क को स्थापित करना ही इस विभाग का लक्ष्य है और हमने इस कार्य में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सीमा में सफलता प्राप्त की है। यहां के प्रेस देश में प्रसिद्ध हैं, उनकी आवाज है, उनके लेखों से लाभ होता है, उनसे हमारा मार्ग दर्शन भी होता है, कभी-कभी उनकी कठोरताओं से हम दुखी भी हो जाते हैं फिर भी हमारे प्रदेश में हमारे प्रेस से सरकार का और यहां की जनता के जीवन का एक मधुर घनिष्ट सम्बन्ध बना हुआ है। हम से उन्हें प्रकाश भी मिलता रहता है, हम उनकी सेवा भी करते रहे हैं। यह हमारे इन्फार्मेशन विभाग का, सूचना विभाग का मुख्य रूप से लक्ष्य रहा है और इसमें हम सफल हुए हैं। इसके लिये हमें उसमें विस्तार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस प्रदेश में जहां ९२ करोड़ का बजट बना है उसमें ३०, ४० लाख के इस बजट पर हमारा आश्चर्य करना ही एक आश्चर्य की बात प्रकट होती है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं प्रस्तुत वाद-विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों का अत्यंत अनुगृहीत हूं कि उन्होंने आज सारगर्भित भाषणों द्वारा सामान्य प्रशासन के संबंध में कुछ प्रकाश डाला। मैं इसके लिये भी उनका आभारी हूं कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने हमारे विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के भावों का समर्थन ही किया। हमारे माननीय सीताराम शुक्ल जी ने दो एक बात का विरोध भी किया तो उन्होंने कुछ मीठी चुटकियां लेते हुये कहा और मैं समझता हूं कि उसमें कोई विशेष गंभीरता नहीं थी और मैं तो उनके विद्वत्तापूर्ण भाषण को सुन कर कुछ गदगद भी हो गया। जब हिन्दी भाषा के संबंध में उन्होंने हमारे ज्ञान का भंडार बढ़ाया तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारी हिन्दी कैसी होनी चाहिये क्योंकि, श्रीमन्, आपको बहुत रोज हुए अनुभव है कि वह श्रीमन् के स्थान पर हुजूर वाला कह कर आपको पुकारा करते हैं।

एक सदस्य---जनाब वाला।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—हुजूर वाला या जनाबवाला। तो उन्होंने यह साबित कर दिया कि वास्तव में हिन्दी कैसी होनी चाहिये और शायद उन्होंने इस संबंध में पं० नेहरू से प्रेरणा ली होगी जो कि परसों के समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है। मेरे माननीय मित्र कुंवर सुरेश प्रकाश जी को मेरे नौकरशाही शब्द के उच्चारण पर कुछ आश्चर्य हुआ। मैं नहीं जानता कि उसमें आश्चर्य करने की कौन सी बात थी। नौकरशाही का संगठन अभी पुराना ही है केवल इतनी बात मैंने कही थी और श्रीमन्, कुछ बात बढ़ा कर इसलिये नहीं कही कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कभी-कभी बढ़ा चढ़ा कर कहने से हमारे कुछ उधर के सदस्य विरोधी दल का विरोध करने लगते हैं और फिर वह अपनी बात उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाते। उनका सारा ध्यान विरोधी दल के सदस्यों का विरोध करने में ही लग जाता है। इसलिये मैंने उसे बढ़ा कर कुछ नहीं कहा। श्रीमन्, मैं माननीय राम चन्द्र विकल और श्री शिवकुमार शर्मा आदि मित्रों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने स्पष्टतया विरोधी दल का कुछ भार वहन किया और जो सामान्य जनता की भावनायें है उन्हें स्पष्टतः व्यक्त किया। मैं माननीय सूचना मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने सूचना मंत्रालय के बारे में स्वयं कुछ कहने का कष्ट किया और कुछ ऐसी बातें बतलायीं जिनकी जानकारी बहुत आवश्यक थी। लेकिन मुझे एक बात सुन कर आश्चर्य हुआ, श्रीमन्, आप जानते हैं कि सन् १९४६ के मुकाबिले में तुलना करना शुरू किया कि सन् १९४६ से सूचना मंत्रालय का बजट दो चार गुना हो गया, और दो चार गुने से कुछ नाराज हुये। ऐसी बात नहीं है। सन् १९४६ में सूचना मंत्रालय शायद नहीं के बराबर था और उस समय से अगर हिसाब लगाया जाय तो सूचना मंत्रालय का बजट ४० गुना बढ़ गया है जब कि और विभागों के बजट दो-चार गुने ही बढ़े हैं और श्रीमन्, आप यह ध्यान में रखें कि केवल सूचना मंत्रालय सूचना नहीं देता बल्कि प्रत्येक सदस्य जानता है कि प्रत्येक विभाग अपनी सूचना खुद देता है और बड़ी-बड़ी रिपोर्ट हर विभाग प्रकाशित करता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट और सूचना विभाग में तो एक होड़ लगी हुई है कि कौन कितने अधिक आंकड़े देता है। तो केवल इतना ही नहीं कि सरकार को सूचना विभाग ही सूचना दिया करता है। हम तो कभी-कभी सूचना बटोरने में और घर ले जाने में सोचते हैं कि किस प्रकार हम सब सूचना मिला पायें कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं तो कहूंगा कि मंत्री जी जब सूचना विभाग का पुनस्संगठन करना चाहते हैं तो कृपया सब विभागों की सूचना अपने हाथ में लें तो ज्यादा अच्छा हो। तो अगर सभी सूचना के साधनों को एकत्रित किया जाय तो कम से कम समझता हूं कि इस सरकार का एक या डेढ़ करोड़ रुपया लगेगा सूचना देने में परमानेंट नुमायश, टेम्पोरेरी नुमाइश और डिस्ट्रिबट नुमाइश के सिलसिले में। उन्होंने यह शिकायत की कि पंचायत राज पत्रिकायें एक विभाग की ही नहीं वरन् सभी विभागों की हैं। श्रीमन्, मैं क्या करूं, मैं नयी मद की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पेज ३० की तरफ़ इसमें एक एडीटर मांगा गया है पंचायत राज के लिये। बजट में लिखा हुआ है "हिन्दी पाक्षिक" उत्तर प्रदेश पंचायत राज, में सुधार करने के लिये पंचायत से जोरदार मांग की जा रही है और प्रस्तावित सुधार इतने आवश्यक और उचित हैं कि इसके लिये सम्पादक मंडल की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है। तो अब मैं कैसे न समझ लूं कि पंचायत राज विभाग की ही यह पत्रिका है? मंत्री जी ने उसका कंट्रेडिक्शन कर दिया तो उन्होंने बजट को एक प्रकार से गलत साबित कर दिया है। मैं समझता हूं कि एडीटर के हटाये जाने की मांग स्वयं ही स्वीकार कर ली।

इसके बाद श्रीमन्, एक बात बहुत अच्छी की कि मासिक पत्रिका के संबंध में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा था कि मासिक पत्रिका के अब छपवाने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि और बहुत सी पत्रिकायें छपती हैं जिनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। उसके लिये उन्होंने चुप्पी धारण की। इससे मालूम होता है कि मासिक पत्रिका प्रचारित नहीं करावेंगे।

अब जहां तक सवाल है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन सबसे अच्छा है या बुरा है, यह इतना जटिल प्रश्न कि इसकी तह में जाने की जरूरत नहीं समझता। बम्बई का राज्य यह दावा

करता है कि हमारे यहां प्रशासन सबसे अच्छा है, मध्य प्रदेश कहता है कि हमारे यहां सबसे अच्छा है, अब मैं किसको कह दूं कि सबसे बुरा है और कैसे कहूं कि कौन अच्छा है ? लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि प्रजातांत्रिक देश में प्रजातंत्रीय शासन परम्परा कैसे निभायी जाय, यह बड़ी भारी कसौटी है। और पिछले ८ साल से यह कांग्रेस सरकार इसी कसौटी में कसी जा रही है और विरोधी दल लगातार कांग्रेस को इसी कसौटी में कसता है। आखिर प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण में, नौकरशाही लेजिस्लेचर और जनता के बीच में और न्यायाधिकरण के बीच में यह चार जो प्रमुख जनता के प्रति उत्तरदायित्व के साधन हैं, इनको किस प्रकार निभाया जाय इसी कसौटी में कांग्रेस सरकार कसी जा रही है और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक कांग्रेस हुकूमत अपने प्रशासन को ऐसा सबल नहीं बना पायी है जिसमें हमारा विश्वास तो क्या स्वयं कांग्रेस पार्टी के बहुमत सदस्यों का विश्वास प्रशासन के ऊपर नहीं हो पाया है। तो यह माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये एक चुनौती है और मैं यहां आशा करूंगा कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेंगे।

यहां पर कुछ प्रश्न दूसरे भी उपस्थित हुए जैसे कि माननीय सुल्तान आलम खां ने या माननीय सुरेशप्रकाश जी आदि ने निवेदन किया कि एस० डी० एम० का हेडक्वार्टर तहसील में होना चाहिए। श्रीमन्, मैं इस सुझाव का पूर्णतया स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि यह सुझाव अवश्य माना जायगा। जहां तक हिन्दी में कार्य करने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में इतना अवश्य होना चाहिये कि हिन्दी जो आज की है वह सुगम और सरल होनी चाहिए। कम से कम मुझ जैसे लोगों को, जो हिन्दी से बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं बड़ी दिक्कत हो जाती है इतनी कठिन हिन्दी को समझने में। तो कोई ऐसा माध्यम निकाला जाना चाहिये कि जिससे हम हिन्दी के विधान को, हिन्दी के विधेयक को और हिन्दी की नियमावली आदि को अधिक समझ सकें और जनता अधिक समझ सके। नहीं तो होता यह है कि वही अंग्रेजी की नियमावली और अंग्रेजी के ऐक्टों का आधार लेना पड़ता है और उन्हीं के आधार से हमें किसी भी कानून का विश्लेषण करना पड़ता है। श्रीमन्, समय कम है, माननीय मुख्य मन्त्री जी भी उत्तर देना चाहेंगे, मैं केवल दो बातें इतनी ही कहूंगा, एक तो माननीय मौर्य जी ने जो बातें बतलायीं और कहा कि जिलाधीश के नियंत्रण में सुपरिंटेंडेंट पुलिस आ जाने चाहिये। श्रीमन्, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि जिलाधीश के अधिकार इतने बढ़ाये जायं। उसके अधिकार पहले से ही इतने बढ़ चुके हैं कि जो भी जिले के मेम्बर हैं या और लोग हैं, वह इतने ही से बहुत परेशान हैं कि जिलाधीश को इतनी अधिक सत्ता क्यों दी जा रही है जब कि हम विकेन्द्रीकरण की बहुत आवश्यकता समझते हैं। तो इतनी अधिक सत्ता आज जिलाधीशों पर है कि मजबूर हो कर यह मांग करनी पड़ती है कि जिलाधीशों तक की पोस्ट एबालिश कर दी जाय। इसलिये जिलाधीशों की शक्ति बढ़ाना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। एक दूसरी बात जो झारखंडे राय जी ने प्रस्तुत की उस सिद्धांत को सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ कि सन् ४७ में ही कांग्रेस कमेटी को सारी ताक़त क्यों नहीं दे दी गई ? यह सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया मैं नहीं जानता कि यह कम्युनिस्ट पार्टी की नीति है या उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। मैं समझता हूं कि ऐसा न करके उन्होंने प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों का ही अनुकरण किया और कहीं ऐसी ग़लती अब भी वह न कर बैठें कि सारी ताक़त पार्टियों की कमेटियों को दे दें। तो मैं समझता हूं कि माननीय झारखंडे राय जी का यह सुझाव समयानुकूल नहीं है और उससे एक बहुत बड़ा ख़तरा हो जायगा। अगर किसी भी पार्टी को देश में कायम रखना है तो इस सुझाव को बरतना नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने सुझावों को प्रस्तुत करता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, जिस उदारता और सहानुभूति के साथ माननीय सदस्यों ने मेरी इस मांग के सम्बन्ध में अपने विचारों को प्रकट किया उसके लिये मैं उनका

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

ऋणी हूं। इस वाद-विवाद में हमारे सामने कई सुझाव आये हैं। इतना समय नहीं है कि मैं उन सब के सम्बन्ध में कुछ निवेदन कर सकूं, परन्तु यह कहना चाहता हूं कि उसमें कई ऐसे हैं जो मेरी समझ में विचारणीय हैं और मैं उन पर विचार करूंगा और देखूंगा कि उनको किस प्रकार किस सीमा तक कार्यान्वित किया जा सकता है? उदाहरण के लिये कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि एस० डी० एम० का हेडक्वार्टर तहसील में ही होना चाहिये न कि जैसा कि आजकल है। यह बात उचित प्रतीत होती है देखने में, मैं नहीं जानता कि इसके कार्यान्वित करने में क्या दिक्कत होगी? सब जगह मकान हैं या नहीं, जैसे उदाहरण के लिये एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि अमेठी में मकान जरूर होगा, लेकिन सब जगह मकान हैं या नहीं? अगर सब जगह नहीं है, बनवाना होगा और क्या-क्या दिक्कतें होंगी, उनको मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता। लेकिन हां, यह विचार करने लायक प्रश्न है और उचित मालूम होता है कि इसके ऊपर विचार किया जाय और जिस हद तक सम्भव हो, किया जाना चाहिये, क्योंकि इस में स्पष्ट रूप से कई सुविधाएं होती हैं।

उसी तरह से एक सुझाव और दिया गया था। आज जिलों में जिस तरह से काम हो रहा है उस के सम्बन्ध में, कहीं किसी ने कमेटी कहा, किसी ने कमीशन कहा, लेकिन किसी न किसी तरह जांच की जाय। मसलन यह कि आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात है। यह बिलकुल सही है कि आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कंधे पर बहुत बड़ा शासन का बोझ है। अगर एक बार किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का इम्तहान लिया जाय तो शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा जो यह बतला सके कि उसके जिम्मे कितने-कितने काम हैं। जो भी कानून बनता है, प्रायः हर कानून में कोई न कोई जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर आ पड़ती है और वाकई यह बात सही है कि बहुत सी कमेटियां हैं जिनमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को शरीक होना पड़ता है। दफ्तरी काम इतना बढ़ गया है कि जो उसका काम होना चाहिये, लोगों से मिलना जुलना, जिले की ओवरआल देखभाल करना, यह वह नहीं कर सकता। यह हमारे यहां शासन का दोष है और अब भी है। सच्ची बात तो यह है कि सेक्रेटेरियट में, कम से कम मिनिस्टर्स की बात तो कह सकता हूं कि हमारे पास भी लिखाई-पढ़ाई का इतना काम है कि जो पालिसी की बात, उसको सोचने की बात होनी चाहिये, वह नहीं कर सकते। मैं अपने तजुर्बे की बात कहता हूं। सन् १९४८ में मैं जब इंगलैन्ड गया था तो इंगलैन्ड के जो एजूकेशन मिनिस्टर थे मि० टार्मकिसन--उनका देहान्त हो गया--उनसे मुलाकात हुई थी। उस समय में मेरे पास एजूकेशन और लेबर दो विभाग थे। लेबर में तो ज्यादा फाइल नहीं होती थीं, ८-१० फाइल्स होती थीं, लेकिन एजूकेशन में ३०-४० फाइल्स रोज हुआ करती थीं। मि० टार्मकिसन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि औसत उनको ६ फाइल रोज का पड़ता है और इंटरव्यू का सवाल तो वहां है ही नहीं। मिनिस्टर्स से बहुत कम इंटरव्यू लोगों को मिलते हैं और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इंगलैन्ड में मिनिस्टर्स को जरूर ज्यादा काम रहता होगा, रुपया पैसा जरूर ज्यादा खर्च होता होगा, लेकिन फिर भी ६ फाइल उनको डील करनी होती थीं। जब कि यहां ३०-४० फाइल का औसत था। वही चीज ऊपर से नीचे तक चली गयी है और जिले में नीचे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वह गवर्नमेंट का प्रतिनिधि है हर विभाग का। तो उस के सुपुर्द जो यहां पर गवर्नमेंट के काम होते हैं वही वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जिम्मे होते हैं। यह बड़ी ठीक बात है और अवश्य सोचना चाहिये कि इस बोझ से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कैसे छुटकारा दिया जा सके।

यह भी सोचने की बात है कि जिन कमेटियों में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति आवश्यक कही जाती है तो उनसे उसका सम्बन्ध है या नहीं, वह उनमें रहे या न रहे। कोई कमीशन हो या कमेटी हो, उस में यह बात जरूर विचार करने की है। इसमें शासन में बहुत फर्क पड़ता है। मैं इसको जांचने की कोशिश करूंगा।

एक बात का और जिक्र किया गया कि इतनी कमेटियां जो जिलों में हैं वह सब तोड़ दी जायं और सब काम एक प्लानिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। मैं नहीं कह सकता कि ऐसा ठीक हो सकेगा या नहीं कि सब कमेटियों को एक कमेटी में रखा जा सके। वह इसलिये कि बहुत सी कमेटियों में एक बात यह होती है कि जितने लोग होते हैं, सब लोगों की एक सी राय नहीं होती। जिलों में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी भिन्न-भिन्न रुचि होती है। उनको एक किस्म के काम में रुचि होती है, दूसरे में नहीं होती। तो सब कमेटियों को तोड़ कर के एक महा कमेटी बनायी जा सके, जिसके टुकड़े कर के सब-कमेटियां बनाई जा सकें, यह नहीं हो सकेगा। लेकिन यह विचार करने लायक प्रश्न है कि इतनी कमेटियों की जरूरत है या नहीं और किन कमेटियों को मिलाया जा सकता है। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि इस प्रश्न पर भी विचार किया जाय और जल्दी किया जाय। कुछ बड़े-बड़े सुझाव हैं, कुछ और बातें कही गईं, लेकिन उनका जिक्र करने के पहले दो एक फुटकर सी बातें हैं उन पर कुछ कहना चाहता हूं जैसे कि माननीय गेंदा सिंह जी ने एग्रीकल्चरल चीजों के बारे में कहते हुये खास तौर से केन प्राइसेज की ओर गवर्नमेंट का ध्यान दिलाया। कम से कम माननीय गेंदा सिंह जी को मालूम है कि हम इस बात की कोशिश करते हैं और जो हम कोशिश करते हैं उसका जितना पता उनको है और किसी को सदन में नहीं है। कल वह मेरे पास इसी सिलसिले में आये थे, तो लोगों ने समझा कि क्या वह इधर आ गये? जहां तक हमारे बश की बात है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह मामला इस तरह से सुलझे कि जिससे तमाम भारत के और खास तौर से उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको पारिश्रमिक जो खेती वगैरा में होता है उसका हर तरह से उनको फायदा मिल सके। लेकिन जैसा कि सब को मालूम है इसका अंतिम निर्णय भारत सरकार के हाथ में है और हमारे हाथ में नहीं है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी ने पहाड़ी जिलों का जिक्र किया। उन्होंने ठीक ही कहा और मैं इसे स्वीकार कर चुका हूं कि मैं दावा नहीं करता हूं कि पहाड़ी जिलों की समस्याओं को मैं हर तरह से समझता हूं। लेकिन एक दिन मैंने कहा था और अब भी कहता हूं कि मैं उन लोगों से मदद लेने की कोशिश करूंगा जो इन चीजों को पूरी तौर से जानते हैं। मैं नहीं कह सकता लेकिन उनका सुझाव है कि इसके लिये कोई कमेटी वगैरा बनाई जाय, मस्लन डेवलपमेंट बोर्ड वहां सफल नहीं हो सका तो वह क्यों नहीं हो सकता, इसको पुनर्जीवित किया जा सकता है या नहीं, लेकिन अवश्य होना चाहिये। जो पहाड़ी जिले हैं उनकी विशेष समस्यायें हैं, उनके ऊपर विशेष रुप से ध्यान देना होगा और जो सारे उत्तर प्रदेश का विकास का काम है उससे अलग ढंग से पहाड़ी जिलों में कार्य करना होगा, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है।

शुरू में माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने अपना कटमोशन पेश करते हुये कई बातों की चर्चा की। उनमें कुछ बातें ऐसी हैं कि उनके मुख से उनको सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। जैसे उदाहरण के लिये उन्होंने कहा कि जो गजेटियर्स किये जा रहे हैं उनके लिये खर्च दो जगह क्यों रखे जा रहे हैं। एक अनुदान संख्या १२ में और अनुदान संख्या १३ में क्यों रखा गया है? वह तो फायनेंस के विशेषज्ञ हैं, वह जानते हैं कि अगर हम उनको दो जगह न रखते तो आडीटर हमारे सिर हो जाता और फायनेंस कमेटी हमारे सिर हो जाती। जाहिर है कि दो जगह खर्चा होने वाला है। एक सेक्रेटेरियट लेविल पर होने वाला है, उस को अनुदान संख्या १२ में रखा गया है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेविल पर होने वाला है, इसलिये उसको अनुदान संख्या १३ में रखा गया है। तो न सेक्रेटेरियट लेविल पर होने वाला खर्चा डिस्ट्रिक्ट लेविल पर होने वाले खर्चा में डाला जा सकता है और न डिस्ट्रिक्ट लेविल पर होने वाला खर्चा सेक्रेटेरियट लेविल पर होने वाले खर्च में डाला जा सकता है। जो बजटिंग के नियम हैं उनके अनुसार हमें इनको दो टुकड़ों में करना था।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

उन्होंने यह भी कहा और अपनी शंका प्रकट की कि सीरदारों को कम्पेन्सेशन जेड० ए० एफ० में से क्यों दिया जाता है? जो कानून बना है उसमें शब्द 'इंटरमीडियरी' आया है और वहां पर केवल जमींदार की बात नहीं है, इसलिये वह सब को दिया जा सकता है। वह कानून के अन्दर है। इस फंड का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं हुआ है।

एक प्रश्न है जिसके ऊपर माननीय सदस्यों को दिलचस्पी है कि हमारे लेजिस्लेचर के सेक्रेटेरियट को स्वतंत्र किया जाय। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज की महत्ता को नहीं मानते हैं और इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है। सम्भवतः वह चीज माननीय सदस्यों की जानकारी में नहीं है। इस सम्बन्ध में काफी विचार हुआ और ऐसी बात है कि जो कुछ भी विचार हुआ उसमें पदे पदे माननीय स्पीकर महोदय और माननीय चेयरमैन महोदय कौंसिल के उनसे राय ली गयी और जो कुछ भी थोड़ी सी व्यवस्था की गई है वह उन लोगों की राय से ही की गयी है कि यह पहला प्रयोग है, देखा जाय कैसा चलता है। यह प्रयोग ऐसे हैं कि दोनों सदनों के लिये एक सेक्रेटरी, उन सेक्रेटरी के अधीन दोनों सदनों के अलग अलग सेक्रेटरी हैं। यह जो लेजिस्लेचर सेक्रेटेरियट है उसके ऊपर माननीय अध्यक्ष का यहां और माननीय चेयरमैन का वहां करीब-करीब वही अधिकार है जो किसी मिनिस्टर का होता है। 'करीब करीब' का मतलब मैं पीछे बतलाऊंगा और अगर किसी मामले में कोई मतभेद की बात हो, जैसे गेंदासिंह जी ने या किसी और भाई ने जिक्र किया कि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर से बात होती है वैसे ही यहां हो गया है कि अगर कोई ऐसा मामला हो, तो माननीय अध्यक्ष और माननीय चेयरमैन आपस में मिल कर उसको तय कर लें। 'करीब करीब' शब्द का मतलब यह है, जहां तक हम अभी समझ पायें हैं, वह यह है कि सदन के सामने जो रुपये पैसे की जिम्मेदारी होती है, कम से कम वह तो किसी मिनिस्टर को लेनी होती है क्योंकि माननीय स्पीकर या माननीय चेयरमैन के सदन के सामने अपने विभाग का बजट पेश नहीं करते, तो बजट तो कम से कम किसी मिनिस्टर को ही पेश करना पड़ता है। तो इस हद तक जरूर कहा जा सकता है कि थोड़ा सा मिनिस्ट्री से सम्बन्ध है। इस वक्त तो जो लेजिस्लेटिव मिनिस्टर हैं उनके मातहत हैं और इस माने में थोड़ी सी मातहती जरूर है, और इसलिये मैंने 'करीब करीब', शब्द का प्रयोग किया है। थोड़े दिन देखने के बाद अगर और स्वतंत्रता देने की बात हुई, गवर्नमेंट से सम्बन्ध अगर और क्षीण किया जा सकता है, तो हमको उसे करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई विचार ही नहीं हुआ। जो काम ठीक है उसको करने में हमें कोई गुरेज नहीं है। शायद कुछ माननीय सदस्यों को खबर नहीं थी इसलिये यह चीज हुई और यह अच्छा हुआ कि हमको यह बतलाने का यहां मौका मिल गया।

दो, तीन चीजों का और जिक्र आया। एक तो माननीय नारायणदत्त जी ने पेटीशन्स डिपार्टमेंट का जिक्र किया और दो तीन और बातें जो अखबारों में निकल गयीं कि कहीं किसी जगह पर मैंने कुछ जिक्र किया उसके बारे में कहा गया। मैं उन सब बातों को विस्तार रूप से थोड़े में कहे देता हूं। जहां तक पेटीशन्स डिपार्टमेंट की बात है वह कुछ बहुत सफल नहीं हुआ। यह सही है कि कुछ पेटीशन्स ऐसी होती हैं कि उनको फाड़ देना ही होता है। कुछ दिन हुये एक चिट्ठी आयी, उसे पेटीशन ही कहना चाहिये, उसमें मुझको लिखा हुआ है कि:

"Please accept the title of 'do or die' from the Government of Baba Vishwanath of Banaras."

तो अब बताइये कि ऐसी पेटीशन्स को क्या किया जाय? फाड़ देना चाहिये, तो ऐसी भी चीजें आती रहती हैं। अब उसका एक तरीका हमने किया है। पेटीशन्स डिपार्टमेंट तो करीब करीब तोड़ दिया गया है और जो हमारे एक पी० ए० हैं, वे खासतौर से इसी काम के लिये हैं। इससे मेरा काम यह जरूर हो गया है कि बड़े-बड़े बंडल मुझको पढ़ने पड़ते

हैं लेकिन जितनी भी पेटीशन्स आती हैं, वे सब मेरे पास सीधे आती हैं। इससे इतना निश्चित हो जाता है कि कोई पेटीशन ऐसी नहीं होगी जिस पर विचार ही न हो। यह जरूर है कि काम ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि बड़े-बड़े बंडल होते हैं, एक दिन में नहीं तो दो तीन दिन में मैं पढ़ूं लेकिन पढ़ी जरूर जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे कुछ न कुछ पेटीशन्स के मामले में सुधार जरूर होगा।

जो सरकारी अहलकारान की प्रापर्टी वगैरह की बात है, कुछ नियम तो पहले भी थे, लेकिन अब उन नियमों में कुछ और परिवर्धन किया गया है। अब सब सरकारी अहलकारान के लिये यह अनिवार्य हो गया है कि उनके जो भी पुत्र, पत्नी या निकट सम्बन्धी जो उनके साथ रहते हों उनके नाम शुरु में, जब वे सर्विस में आये, तब क्या प्रापर्टी थी और अब क्या वृद्धि हुई है और केवल इम्मूवेबिल प्रापर्टी, जैसे घर, मकान ही नहीं, बल्कि मूवेबिल प्रापर्टी भी, जैसे मोटर वगैरह, इन सब का हवाला उनको देना होगा। हो सकता है कोई ग़लत रिपोर्ट दे दें, लेकिन उसकी रोकथाम हो सकती है। इससे हम यह समझते हैं कि अगर यह चीज चल गयी तो जैसा नारायणदत्त जी ने कहा और दूसरे सदस्यों ने भी अपनी राय जाहिर की है, इससे बहुत काफी नियन्त्रण हो सकेगा। लोगों के ऊपर नियन्त्रण रखने का शौक हमको बहुत हो गया है और एक किस्म की और प्रापर्टी की बात भी हमने की है कि उसके लिये भी रोकथाम की जाय और उसके लिये हमने रोकथाम की है। कुछ महीने हुये हमने इस तरह की हिदायत भेजी है कि कोई सरकारी कर्मचारी एक पत्नी के रहते हुये दूसरा विवाह नहीं कर सकता। बिना गवर्नमेंट की आज्ञा के वह ऐसा नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार की प्रापर्टी बढ़ाने के लिये हमने रोक थाम की है।

श्री गेंदासिंह—मिनिस्टरों के लिये भी होना चाहिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मिनिस्टरों में तो ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी एक पत्नी भी नहीं है।

कुछ यहां पर अन्टीकरेप्शन कमेटी की बात कही गयी। मानना होगा कि मैं स्वयं भी अन्टीकरेप्शन कमेटी, जिस तरह से चल रही है उनसे सन्तुष्ट नहीं हूं। उसके कई कारण हो सकते हैं। किन्तु यह बिलकुल ठीक है कि अन्टीकरेप्शन कमेटीज को जो काम दिया गया था वह पूरा नहीं हुआ है। कई लोगों का यह सुझाव भी हुआ कि चूंकि अन्टीकरेप्शन कमेटी का चैयरमैन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, इस वजह से वहां पर लोगों में कुछ उत्साह नहीं होता है। तो अब यह तय कर लिया गया है कि अन्टीकरेप्शन कमेटी का चेयरमैन कोई नानआफिशियल होगा। लेकिन अब और कुछ उसके सम्बन्ध की बाते हैं जिसको मैं इस समय निश्चित रूप से नहीं कह सकता और वह इस लिये नहीं कह सकता कि मैंने सोचा यह है कि अभी निकट में २६ तारीख को शायद पुलिस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है उस में सब दल के सदस्य होंगे। तो जो मेरे सुझाव हैं उनको मैं उनके सामने रखूंगा और जो भी निश्चिय होगा वही एक तरह से अन्तिम निश्चय होगा। और फिर उसके मुताबिक ही जिलों में आदेश जारी कर दिये जायगे। इस प्रकार से उन कमेटीज को ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकेगा और उससे कुछ अधिक सफलता की आशा भी हम कर सकते हैं। इस बीच में अगर कोई माननीय सदस्य अपना सुझाव देना चाहें तो वह दे सकते हैं, मैं उनका इसके लिये कृतज्ञ हूंगा।

यहां पर हिन्दी का भी कुछ जिक्र किया गया। हिन्दी का रूप कौन सा हो, हजूरवाला हो या श्रीमन् वाला हो, किन्तु यह बात जरूर है [कि श्रीमन् के रूप की तरफ मेरा ज्यादा झुकाव रहता है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है गवर्नमेंट की नीति में कोई रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जो हमारा निश्चय था, जो हमारी नीति थी या जो हमने निश्चय किया था कि हमारी भाषा हिन्दी है और

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

लिपि नागरी है उसमें कोई रत्ती भर परिवर्तन नहीं हुआ है। किसी विशेष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि विशेष प्रमाण की आवश्यकता हो तो जो शिक्षा का बजट रखा गया है, अभी उस पर बहस नहीं हुई है, उसमें एक लाख रुपया बजट में इस लिये रखा गया है कि वह अच्छी-अच्छी हिन्दी की किताबों पर खर्च किया जायगा। हिन्दी में यदि यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा देनी है तो हिन्दी में ऊंचे दर्जे के लिये किताबें होनी चाहिये। उसके लिये यही प्रमाण होना चाहिये कि एक लाख रुपया बजट में उसके लिये रखा गया है कि अच्छी पुस्तकें हिन्दी में तैयार की जा सकें। हमारी हिन्दी के बारे में एक नीति है। यह हो सकता है और हम इसको स्वीकार करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के दफ्तरों में हिन्दी में प्रगति जैसी होनी चाहिये और जितनी तेजी से होनी चाहिये, उतनी नहीं हुई है। उसका एक कारण मैंने पहले भी यहां पर निवेदन किया था। हमको कभी-कभी यह दिक्कत पड़ती है कि हमारे पास टेक्नीकल शब्द नहीं हैं। किस स्थान पर हिन्दी का कौन सा शब्द प्रयोग किया जाय, यह हमारे लिये दिक्कत है। हिन्दी सारे देश में चलानी है तो भारत सरकार ने इस विषय में एक कमेटी बिठा रखी है और वह टेक्नीकल शब्दों को तैयार कर रही है, वही सारे प्रदेशों में लागू होंगे। तो यह कठिनाई है कि भारत सरकार जो अपने शब्द तैयार करें वही हमारे यहां भी होने चाहिये, हमारे शब्द दूसरे प्रकार के नहीं हो सकते और अभी से अपने शब्दों को प्रयोग में लाने लग जांय तो बाद को हमको बदलना पड़ेगा, तो यह दिक्कत पड़ जाती है। कुछ हमारी सुस्ती भी हो गयी है किन्तु एक कारण हमारे सामने यह भी रहा है। बहरहाल हम यह मानते हैं कि जितनी तेज प्रगति होनी चाहिये थी हिन्दी के मामले में, उतनी नहीं हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि इस मामले में जो कुछ प्रगति हो सकती है और जो कुछ आगे बढ़ सकते हैं तो उसको बढ़ाया जाय।

अभी हाल में बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री जी ने जो भाषण दिया था उसमें उर्दू का जिक्र था। कुछ लोगों को उससे भ्रम हो गया कि सरकार की उर्दू के विषय में नीति बदल गयी, नीति बदलने की कोई बात नहीं है। नयी बात कोई नहीं कही गयी, जो बात पुरानी थी उसी को दुहराया गया था। उसके बारे में लोगों को भ्रम था इसलिये उसको स्पष्ट कर दिया। न तो अपने प्रदेश के लिये हमने हिन्दी के सिवाय किसी दूसरी भाषा को ही माना है और न उसको रीजनल लेंग्वेज ही माना है। जिस वक्त हिन्दी को राज भाषा माना गया था उसी वक्त कह दिया गया था कि हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो केवल उर्दू ही जानते हैं, अगर वे उर्दू में दरख्वास्त देना चाहें तो दे सकते हैं। मुसलमानों के सिवाय बहुत से हिन्दू या रिफ्यूजीज ऐसे हैं जो केवल उर्दू ही पढ़े हैं। अगर हम उनसे कह दें कि हम केवल हिन्दी में ही दरख्वास्त लेंगे तो यह उनके लिये एक अन्याय हो जायगा, इतना ही कहा गया था। पहले जो उनको यह ऐश्योरेंस दिया गया था, उसके बारे में उनको फिर कह दिया गया। जहां तक सरकारी काम का ताल्लुक है वह सब हिन्दी में होगा। लेकिन जहां दरख्वास्त देने की बात आयेगी वहां उस व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो उर्दू में भी दे सकता है। हमारी यह पालिसी सन् ४७ में तय हुयी थी और बोर्ड आफ ऐजूकेशन ने ४८–४९ में इसको स्वीकार किया था। अब कई ऐसी जगहें भी हैं जहां के लोग कहते हैं कि हमारी भाषा उर्दू है। अगर किसी स्कूल में ऐसे लड़के हों और उनके पैरेन्ट्स यह कहें कि उनकी भाषा उर्दू है, तो प्राइमरी स्टेज पर यानी ५ वें दर्जे तक उनके लिये एक मास्टर रख दिया जायगा लेकिन ऐसे लड़कों की संख्या ४० होनी चाहिये ऐसा नहीं कि केवल २–४ लड़कों के लिये इसका प्रबंध किया जा सके। दर्जा ५ के ऊपर जो शिक्षा होगी, वह सब हिन्दी भाषा में ही होगी। इसके अतिरिक्त उर्दू को न तो कोई और स्थान दिया गया है, कोई ऊंचा स्थान दिया गया है और न हिन्दी के स्थान को ही कम किया गया है। जो बात पहले कही गयी थी उसका ही जिक्र किया गया था।

सब बातों का जिक्र करने के लिये मैं समझता हूं कि समय नहीं है। मैं अब उन चीजों का जिक्र करना चाहता हूं जिन बातों की तरफ श्री गेंदा सिंह जी ने इशारा किया। उन्होंने

मुझको याद दिलाई कि मैंने एक विशेष परिस्थिति में शासन का भार लिया है। मैं इस बात को जानता हूं कि ऐसा सौभाग्य किसी-किसी को मुश्किल से ही प्राप्त होता है कि उसके साथ ऐसी मेजारिटी हो। यह बहुत बड़ी बातहै जिसका पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिये। मैं यह भी जानता हूं कि मेरे कंधे कितने कमजोर हैं और यह भी जानता हूं कि यह भार मुझे पंत जी के बाद उठाना पड़ा है। इसके साथ ही साथ यह भी जानता हूं कि मुझे न सिर्फ इस ओर के लोगों का ही सहयोग प्राप्त है बल्कि उधर के मित्रों का सहयोग भी मुझे प्राप्त है। मैं आशा करता हूं कि इसी सहयोग के बल पर, न कि अपनी काबिलियत के बल पर, हम सब लोग मिलकर देश को ऊपर उठाने का थोड़ा बहुत प्रयत्न कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी अपने सहज ब्राह्मणोचित स्वभाव से अपने कटमोशन को वापिस ले लेंगे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं वापिस तो ले ही लूंगा, लेकिन एक दूसरी बात है जो आपके सामने रखना चाहता हूं। वह यह कि माननीय मंत्री जी, अनुदान संख्या १२ के सम्बन्ध में २,७०,४५,४०० रुपये की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि विधान की धारा २०२ (३) के अनुसार यह मांग कम होनी चाहिये। श्रीमन्, आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है —

"202. (3) The following expenditure shall be expenditure charged on the Consolidated Fund of each State——

(*a*) the emoluments and allowances of the Governor and other expenditure relating to his office;"

यानी जो गवर्नर के वेतन या एलाउन्सेज और उनके इस्टेबलिशमेंट के सम्बन्ध में दूसरे खर्चे हैं, ये संविधान की धारा २०२ (३) (ए) में दिये हुये हैं। श्रीमन्, आप देखेंगे कि यह जो बजट है उसके पेज ६० पर आप देखेंगे कि चार्ज्ड के जो आइटम्स हैं वे दिये हुये हैं। पेज ६२ पर लिखा हुआ है "पे आफ इस्टेबलिशमेंट और गवर्नमेंट इंनफिरियर सर्वेन्ट्स" यानी छोटे-छोटे कर्मचारी जिनकी तनख्वाह २५ रु० से शुरू होती है, उनकी लिस्ट ३८ की है। तो राज्य सरकार ने घोषित किया है कि सरकार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जो कि २५ रुपया पाता है २ रु० तनख्वाह बढ़ाती है। तो वह रुपया कहां पर दिखलाया गया है यही मैं जानना चाहता हूं? मुझे बतलाया गया है कि पेज ६० पर नीचे लिखा है—"लम्प प्रोविजन फार इनक्रीज इन पे आफ इनफिरियर गवर्नमेंट सरवेन्ट्स" यानी निम्न कर्मचारियों का वेतन ५७,००० रु० वोटेड दिखलाया गया है। जो वोटेड होता है वह तो सदन द्वारा वोट लिया जाता है। मैं समझता हूं कि भूल से विधान के विरुद्ध गवर्नर के निम्न कर्मचारियों के वेतन का रुपया वोटेड में आ गया है, इसको भारित व्यय में आना चाहिये। विधान की धारा के अनुसार जितने निम्न कर्मचारियों का वेतन है उसके ऊपर वोट होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप चाहते हैं कि वह एमाउन्ट चार्ज्ड में चला जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं मालूम होती। टोटल में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वह तो उतना ही आता है अगर वोटेड से चार्ज्ड में भी चला जाय। मैं समझता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वोटेड में फर्क पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कोई वैधानिक आपत्ति उठायी हुयी नहीं दिखायी देती। बजट में लम्प सम ग्रांट का जिक्र आया है उसमें कोई ब्योरा इस विषय का दिया हुआ नहीं है। यह ५७ हजार रुपया यह सदन मंजूर कर लेगा तो भी उसी वोटेड रकम के खर्च करने के सिद्धांत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

के अनुसार खर्च करने का अधिकार सरकार को होगा। वैधानिक आपत्ति तब होती जब कि माननीय राज्यपाल के कर्मचारियों पर खर्च का बजट में स्पष्ट अलहदा जिक्र दूसरी तरह से करते और बताते कि वह वोटेड है। मगर उन्होंने बजट में यह बताया है कि उनके कर्मचारियों पर कौन सा खर्चा चार्ज्ड है वोटेड नहीं है ? जब उन्होंने स्पष्ट यह बता दिया और लम्प सम ग्रान्ट में भी कुछ अंश संभवतः अलाउन्स का हो तो ऐसी अवस्था में सदन को पूर्ण अधिकार है कि सदन इस स्पष्टीकरण को सामने रख कर उसे पास करे या न करे, या रकम कम करे। लेकिन मैं कोई वैधानिक आपत्ति की बात इसमें नहीं देखता हूं। विधान की धारा २०३ (१) इस प्रकार से दी हुयी है —

"203. (1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of a State shall not be submitted to the vote of the Legislative Assembly, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in the Legislature of any of those estimates.

(2) So much of the said estimates as relates to other expenditure shall be submitted in the form of demands for grants to the Legislative Assembly, and the Legislative Assembly shall have power to assent, or to refuse to assent to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein.

(3) No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the Governor."

इसका मतलब यह है कि चार्ज्ड रकम है वह वोट के लिये सामने न आये लेकिन अगर कहीं पर जो रकमें चार्ज्ड नहीं रक्खी जानी चाहिये उनमें कोई गलती रह गयी तो गलती स्पष्ट पकड़ने पर उसके ऊपर सहमत होना गलती होगा यदि हिसाब लगाने से मालूम होता है कि उतना खर्च नहीं होगा जितना कि वोटेड रकमों में दिखलाया गया है। अभी श्री नारायणदत्त जी ने खुद कहा था कि चार्ज्ड रकम का कोई जिक्र लम्पसम प्राविजन में नहीं है और इस प्राविजन में यह नहीं दिया हुआ है कि वह किस तरह से खर्च होना है ? चार्ज्ड रकमें भी तो सदन के सामने आयेंगी पर उन पर वोट नहीं होगा। यह स्पष्ट बात है इसमें कोई वैधानिक आपत्ति की बात नहीं है ऐसी अवस्था में बजट की इन रकमों के बारे में कोई वैधानिक आपत्ति नहीं उठायी जा सकती।

(श्री नारायणदत्त तिवारी से) आप कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मेरी आपत्ति दूसरी थी.....

श्री अध्यक्ष—वह तो मैं ने आप को जवाब दे दिया कि आपत्ति नहीं हो सकती। तो मैं समझूं कि आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां।

(सदन की अनुमति से कटौती के दोनों प्रस्ताव वापस लिये गये।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (लेखा शीर्षक: २५—सामान्य प्रशासन)—के अन्तर्गत २,७७,४५,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत २,७५,२०,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विभिन्न समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये मंत्रियों की परामर्शदात्री समिति, वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। नाम निर्देशन पत्र और उनकी प्राप्ति का समय २५ मार्च, सन् १९५५ को ४ बजे दिन तक, नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा का समय २६ मार्च, सन् १९५५ को ३ बजे दिन तक और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि तथा समय २८ मार्च, सन् १९५५ को ४ बजे दिन तक और निर्वाचन की यदि आवश्यकता हुयी तो वह ३० मार्च, १९५५ को १२ बजे दिन से ५ बजे दिन तक विधान वाचनालाय में होगा।

मैं एक और सूचना देना चाहता हूं कि जब प्राक्कलन समिति का कार्यकाल समाप्त हो जायगा और उसके बाद जो निर्वाचित सदस्य होंगे वह १३ मई से कार्य सम्पादित करेंगे और इससे पूर्व काल में पहले जो समिति अभी है वह कार्य करती चलेगी। इस तरह से इस कार्यक्रम की सूचना मैं दिये देता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२१ मार्च, १९५५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न १३-१४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर)

सूची

कार्य	स्थान
१-३ मेढ़ा केन्द्रों की स्थापना ..	बंधियाकोट, सूपी और दर।
२-३ पशु संक्रामक रोग निवारण केन्द्र (Quarantine Stations) ..	झूलाघाट, मुन्नस्यारी और धारचूला।
३-४ भोटिया घोड़ा सांड केन्द्र ..	कर्मी, बधियाकोट, जल्थ तथा नागलिंग।

नोट-- इन कामों में जनवरी, सन् १९५५ के अन्त तक १९,०६७ रु० ० आना ६ पाई व्यय हुआ है। इस साल १९५४-५५ के अन्त तक ७८,३०० रु० और व्यय होगा। सन् १९५५-५६ का अनुमानित व्यय २,६८,२०० रु० है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ५ एल० ए०--१९५५--७९६।